खण्ड-230, अंक-8
गुरूवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1884
(17 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ६०५–६०९
प्रश्नोत्तर	.. ६०९–६४५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई ।) ..	.. ६४५–६४६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	.. ६४६–६४७
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमनोत्री के तीर्थ मार्गों पर चलने वाली बसों तथा ट्रकों के चालकों की हड़ताल के नोटिस के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	.. ६४७–६५०
रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	.. ६५०–६५१
मुख्य मंत्री द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज श्री ए० एन० मुल्ला के एक निर्णय में पुलिस विभाग के विरुद्ध की गयी आलोचनाओं से असहमति प्रकट करने पर सर्वश्री चन्द्रजीत तथा नरसिंहनारायण द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	.. ६५१–६६०
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १९––चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०––जन स्वास्थ्य (स्वीकृत)	६६०–७०६
नत्थियां	.. ७०७–७१८

SEP
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १७ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिंहा, श्री
अवधेश प्रताप, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंघईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द, राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह ,श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह , श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री

विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धा देवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्ददत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम ,श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु-उद्योग उप-मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १७ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हमीरपुर अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य, श्री हिन्दूपति की हत्या

१---श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि हमीरपुर अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य प्रसिद्ध कांग्रेसी श्री हिन्दूपति की हत्या दिन दहाड़े अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में गोली मारकर कर दी गई ?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)---जी हां ।

२---श्री झारखंडेराय**---यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर---विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

श्री झारखंडेराय---क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो सज्जन गिरफ्तार हुए हैं, श्री रामनाथ, जो कोर्ट में खुद हाजिर हो गये, उन्होंने पुलिस या अधिकारियों के सामने कोई बयान दिया है ? यदि हां, तो क्या और उससे क्या पता लगता है ?

श्री नवलकिशोर---अपराधी ने अपने अपराध को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह रंजिश से मेरा नाम लिया गया है ।

श्री झारखंडेराय---अब तक जो सूचनाएं इस हत्या कांड के विषय में सरकार के पास उपलब्ध हैं उनसे क्या पता लगता है कि यह पोलिटिकल मर्डर है या कोई रंजिश की वजह से यह मामला हुआ है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, अबतक जो जांच हुई है उससे पता लगता है कि जो रामनाथ हाजिर हुए हैं उनकी इसमें साजिश है । अब यह पोलिटिकल मर्डर किया गया या रंजिश की वजह से यह तो नीयत की बात है इसलिये यह कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बांदा, अलीगढ़, उन्नाव, हरदोई जैसे जिलों में पोलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, तो पोलिटिकल वर्कर्स की सुरक्षा के लिये सरकार कोई विशेष प्रबन्ध करने जा रही है या कम से कम उनको फायर आर्म्स देने में जो जनरल रूल्स हैं वह रिलैक्स कर दिये जायं, ऐसा सरकार का विचार है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि यह पोलिटिकल मर्डर है । जिन पर मर्डर का चार्ज है उनके और मृतक के खिलाफ आपस में १०७/११७ का मुकदमा चला था । जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी कि रामनाथ ने कुछ बदमाश बुलाये हैं और जहांतक हम समझ पाये हैं आपसी रंजिश की बिना पर यह कत्ल किया गया है ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी मृत हिन्दूपति की जिस कारण से हत्या हुई है उनके विवरण की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, इसका विवरण इस प्रकार से है कि भगवानदास ने एक रिपोर्ट सवा छः बजे २५-४-६२ को थाना राठ में लिखाई और यह कहा कि उनके चचा हिन्दूपति जो जिला परिषद् के सदस्य हैं उनकी हत्या रामनाथ लोधी के इशारे पर उनके दो अपरिचित व्यक्तियों ने साढ़े चार बजे जबकि हिन्दूपति राठ से ककरिया को वापस आ रहे थे, कर दी । ३०२ दफा के अन्दर केस रजिस्टर किया गया । इस इत्तला की बिना पर एस० डी० ओ० गये और पंचायतनामा भर कर डेड बाडी पोस्ट-मार्टम के लिये भेज दी गयी । पोस्ट-मार्टम से साबित हुआ कि किसी गोली से उनकी मृत्यु हुई है । रामनाथ मुल्जिम उसी सिलसिले में २-५-६२ को खुद ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में हाजिर हो गये । केस का चालान ८-५-६२ को अदालत को भेज दिया गया और जो दो साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृत हिन्दूपति ने इस हत्या के पहले थाने के रजिस्टर में ऐसी रिपोर्ट लिखाई थी कि अमुक-अमुक व्यक्ति मुझे मारने की साजिश में लगे हुए हैं ?

श्री नवलकिशोर---मैंने स्वयं कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले यह बात कही थी कि रामनाथ ने कुछ बदमाश बुलाये हैं, रिपोर्ट लिखाई थी लेकिन यह नहीं कहा था कि मारने को बुलाये हैं ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस हथियार से हत्या की गई वह रिवाल्वर अथवा गन थी तथा वह देशी अथवा विदेशी थी ?

श्री नवलकिशोर---वह तो पिस्तौल या रिवाल्वर जैसी चीज थी । देशी या विदेशी थी, इसका विवरण इस समय नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब मृतक ने थाने में यह रिपोर्ट लिखाई थी कि रामनाथ ने कुछ बदमाश बुलाये हैं और खतरा है तो क्या स्थानीय पुलिस ने कोई प्रिवेन्टिव कार्यवाही रामनाथ के खिलाफ की थी ?

श्री नवलकिशोर---मैंने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि खतरा है, केवल यही कहा था कि कुछ बदमाश बुलाये हैं, पूंछ-ताछ पर पता चला कि यह बात गलत है ।

शंकर हाई स्कूल, सम्भल के प्रधानाध्यापक को गोली मारने का प्रयास

**३—श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ३० अप्रैल, १९६२ को सम्भल, जिला मुरादाबाद में शंकर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक को गोली से मारने का प्रयास किया गया था जिसके फलस्वरूप वह बुरी प्रकार से घायल हुये थे और उन्होंने सम्भल थाने में नामजद रिपोर्ट लिखाई थी ? यदि हां, तो क्या मुलजिम गिरफ्तार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। २९-४-६२ को ऐसी घटना घटित हुई। नामजद रिपोर्ट लिखाई गई परन्तु अब तक की जांच के फलस्वरूप वह नामजदगी सही नहीं प्रतीत हुई। अभी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले की जांच हो रही है।

**४—श्री महमूद हसन खां—क्या यह सत्य है कि सम्भल थाना इंचार्ज के खिलाफ शिकायतें मुख्य मंत्री तक आई थीं ? अगर हां, तो उस पर क्या हुआ ?

श्री नवलकिशोर—एक शिकायत ३०-४-६२ को प्राप्त हुई है। उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री महमूद हसन खां—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दो हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई और न कोई गिरफ्तारी हुई जबकि नामजद रिपोर्ट है ?

श्री नवलकिशोर—दफा ३०७ के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई गई है। जैसा मैंने कहा उन्होंने जिस साहब का नाम लिया था उनकी जांच से साबित होता है कि आपसी रंजिश की वजह से नाम लिया गया है। उनके खिलाफ कोई बात साबित नहीं हो रही है।

पवई थाने के सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध श्रीनाथ मौर्य की शिकायत

**५—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के पवई थाने के सब-इन्स्पेक्टर ने २९ मार्च, सन् १९६२ के प्रातः ८ बजे थाने के एक कांस्टेबुल द्वारा श्री नाथ मौर्य प्रधान गांव सभा भरचकिया को बुलवाकर मारा और अपनी हिरासत (Custody) में रक्खा ? इस घटना की जांच हुई या नहीं ? यदि जांच हुई तो जांच का परिणाम क्या रहा ? यदि जांच नहीं हुई तो, इसका कारण क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उक्त प्रधान को थाना पवई के एस० ओ० ने २९ मार्च, १९६२ को धारा ३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमे के सिलसिले में, जिसमें यह नामजद थे, बाद दोपहर गिरफ्तार किया। मारपीट करने के आरोपों की सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा जांच की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

दि स्टील प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, फजलगंज, कानपुर के सेक्रेटरी श्री आर० ए० त्रिपाठी का अनशन सम्बन्धी नोटिस

*१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आर० ए० त्रिपाठी, सेक्रेटरी, दि स्टील प्रोड्यूसर्स क्वापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रजिस्टर्ड नं० ३१००२-६०, ६५-फजलगंज, कानपुर ने अभी हाल में कोई नोटिस दिया है कि वह १ मई, १९६२ से आमरण अनशन करेंगे ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

लघु उद्योग उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—(क)जी हां।

(ख) उनकी मांग यह थी कि कथित सोसाइटी को स्वीकृत ८,००० रुपये के ऋण का भुगतान अविलम्ब कर दिया जाय।

उक्त ऋण का भुगतान कर दिया गया है। श्री त्रिपाठी ने अपना अनशन स्थगित कर दिया।

श्री रक्षपालसिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह भुगतान किस तारीख को किया गया और उस तारीख के पहले भुगतान करने में क्या कठिनाई थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—९-२-६१ को उनको खबर दी गई कि रुपया संस्वीकृत हो गया है लेकिन उन्होंने बांड नहीं भरा और न जमानत दी, इसलिये रुपया नहीं दिया जा सका।

श्री रक्षपालसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअली किस तारीख को पेमेंट किया गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—पहली मई, १९६२ को।

फूलपुर ग्राम में 'परिवर्तन' फिल्म की शूटिंग में श्री सुरेश निगम द्वारा श्रीमती जयश्री के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत

*२—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि सूचना विभाग द्वारा इलाहाबाद जिले में स्थित फूलपुर ग्राम में एक डाकुमेंटरी फिल्म 'परिवर्तन' की शूटिंग मार्च, १९६२ के प्रथम सप्ताह में हुई? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ और उसकी भूमिका में किन-किन व्यक्तियों ने पार्ट अदा किया?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—जी हां।

अभी तक लगभग ७,९०० रु० का व्यय हुआ है। इसकी भूमिका में मुख्यतया दो पुरुष और एक स्त्री पात्रों तथा कुछ एक्सट्रा ने काम किया। पात्रों के नामों की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०८ पर)

*३—**श्री उग्रसेन**—क्या यह सही है कि 'परिवर्तन' फिल्म धुलाई करने के बाद पता चला कि खराब हो गई है और पुनः शूटिंग पार्टी फूलपुर में शूटिंग के लिये जा रही है?

श्री बनारसीदास—पुनः शूटिंग के लिये पार्टी अभी नहीं जा रही है। फिल्म शूटिंग में धुलाई के बाद बहुधा कुछ शाट ऐसे निकलते हैं जिनको फिर से शूट करने की आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ स्थल इस फिल्म में भी हैं। इनके संबंध में अगर आवश्यकता हुई तो पुनः शूटिंग की जायगी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो परिवर्तन फिल्म का शूटिंग हुआ और जिसकी सूची में बताया गया है कि उसमें जयश्री मुकरजी, के०के० सिंह और प्रकाश चन्द्र काम कर रहे थे, वह किसके निर्देशन में तैयार हो रही थी?

श्री बनारसीदास—यह फिल्म श्री सुधीर निगम के निर्देशन में तैयार की जा रही थी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सुरेश निगम, जिसके निर्देशन में यह फिल्म तैयार हो रही थी, उनके खिलाफ जयश्री मुकरजी के पति श्री जयदेव मुकरजी ने यह शिकायत की थी कि श्री निगम ने जयश्री के साथ अभद्र व्यवहार किया ?

श्री बनारसीदास---जी हां, इस प्रकार की एक शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आयी थी, जांच की गयी और उनके जो आरोप थे जांच के बाद वे निराधार सिद्ध हुए।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि सुरेश मुकरजी ने फूलपुर के ब्लाक कंपाउन्ड के अन्दर शराब पीकर जयश्री मुकरजी के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसकी रिपोर्ट उनके पति ने थाने में की और थाने के दरोगा ने इस बात पर एतराज किया ?

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब है कि उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखायी और थानेदार ने उस पर एतराज किया ?

श्री उग्रसेन---जी हां।

श्री बनारसीदास---यह सही है कि जयश्री के पति ने थाने के अन्दर रिपोर्ट की लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ठीक नहीं है कि थानेदार ने आकर मना किया और यह भी ठीक नहीं है कि श्री निगम शराब पिये हुये थे। इसके अतिरिक्त श्रीमती मुकरजी और उनके पति दोनों ने क्षमायाचना-पत्र उनको लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके आरोप गलत थे।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री निगम को जयश्री मुकरजी के साथ अभद्र व्यवहार करते देख कर फूलपुर ब्लाक के बी०डी० ओ० ने जब श्री निगम से इस प्रकार का अभद्र व्यवहार ब्लाक के कंपाउन्ड में करने के लिये मना किया तो उसको धमकी दी गयी कि यदि तुम मन के मुताबिक व्यवहार न करोगे तो उच्च आफीसरों को इस बात की सूचना दे दी जायगी और तुमको सर्विस से रिवर्ट करा दिया जायगा ?

श्री बनारसीदास---इस प्रकार की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि इस 'परिवर्तन' फिल्म पर कास्ट पर फुट क्या आयी ?

श्री बनारसीदास---यह फिल्म करीब-करीब २ हजार फीट की होगी और उस पर करीब ३५ हजार रुपया खर्च होने का अनुमान है।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी ने जिस क्षमा-याचना-पत्र के बारे में बताया है तो क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि वह क्षमा-याचना-पत्र श्री निगम ने श्रीमती मुरजी और उनके पति श्री मुकरजी से किन परिस्थितियों और किस प्रकार से लिखाया ?

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी माननीय उग्रसेन जी को अधिक हो सकती है, मुझको नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अभी माननीय मंत्री जी ने जो कास्ट का हिसाब बताया उससे १७ रुपया प्रति फुट वह पड़ती है। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि डाक्यूमेंटरी फिल्म ८ रुपया प्रति फुट से लेकर १२-१३ रुपया प्रति फुट सोलह मिलीमीटर वाली फिल्म पड़ती है। यदि हां, तो यह फिल्म इतनी महंगी क्यों पड़ी।

श्री बनारसीदास---हमारे यहां भी डाक्यूमेंटरी फिल्म का करीब इतना ही खर्चा आता है लेकिन यह एक फीचर फिल्म है। उस पर इतना ही खर्चा आने का अनुमान है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---फूलपुर में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है इसको देखते हुये क्या सरकार कोई समुचित कदम उठाने जा रही है जिससे आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि वह चीज तो गलत है ।

श्री चन्द्रजीत---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिस क्षमायाचना-पत्र की चर्चा की है, श्रीमती मुकरजी के पति श्री जयदेव मुकरजी ने स्वयं मुख्य मंत्री से शिकायत की थी कि उन्हें इस प्रकार की धमकी दी गई है कि कंट्रेक्ट को रद्द कर दिया जायगा और सारा रुपया उनसे वसूल किया जायगा और श्री मुकरजी की सर्विस पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि वे भी सरकारी सर्विस में हैं, इसलिये इसकी जांच वे स्वयं कर लें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझसे ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि डाक्युमेंटरी फिल्म पर ८ रुपये से १२ रुपये पर स्क्वायर फुट खर्चा पड़ता है, तो यह जो फिल्म बनी है, मैं समझता हूं डाक्यूमेंटरी कम शो पिक्चर के रूप में है । ब्लैक ऐंड व्हाइट में भी इससे बहुत कम रुपया खर्च पड़ता है, यानी दो ढाई या तीन रुपये पर स्क्वायर फुट खर्च पड़ता है । तो क्या वे इसकी स्पष्ट जांच करायेंगे कि इस फिल्म पर जो इतना ज्यादा खर्च १७ रु० पर स्क्वायर फुट पड़ता है, इसका कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास---अभी जैसा कि मैंने बतलाया, अब तक ७,९०० रु० खर्च हुआ है, और अनुमान है कि करीब ३५ हजार रु० इस पर खर्च होगा । जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, आवश्यक समझने पर अवश्य इसकी जांच करा लेंगे ।

गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की व्यवस्था

*४---श्री रामसूरत (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर में जो इंजीनियरिंग कालेज खोलने की व्यवस्था है उसकी पढ़ाई क्या जुलाई, १९६२ से प्रारम्भ हो जायेगी ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---कालेज को जुलाई से खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है ।

श्री रामसूरत---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज के लिये जब तक स्थायी भवन न बन जाय तब तक के लिये भवन और उपकरण तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था अब तक क्या की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---स्थान वहां देखा जा रहा है, कोशिश यह की जा रही है कि पोलीटेक्निक में थोड़ी सी जगह मिल जाय और वहीं क्लास शुरू कर दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाय, इसके लिये जो कोशिश इस वक्त की जा रही है, उनमें खास-खास क्या है, इसको माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गयी है, इसके अलावा और स्टाफ के नियुक्त करने की जल्दी तैयारी हो रही है । उसके साथ ही जैसा कि अभी उपमंत्री जी ने बतलाया पोलीटेक्निक के कुछ कमरे लेकर क्लासेज लगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने विद्यार्थियों की तालीम शुरू हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वैसे तो हमने १०० विद्यार्थियों के स्थान रखे हैं और यही कोशिश होगी कि १०० विद्यार्थी लिये जायं, परन्तु यह सब तभी संभव हो सकता है कि जब कि कालेज के लिये उचित तरीके का स्थायी रूप से स्थान मिल जाय ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उक्त कालेज को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ही खुलेगा । गोरखपुर में चूंकि वह कालेज स्थित होगा तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिस्सा वह बन जायगा । उसके लिये उचित स्टेट्यूट, आर्डिनेंस विश्वविद्यालय तथा सरकार बनायेगी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय में गोरखपुर और देवरिया के ही विद्यार्थी लिये जायेंगे या सारे प्रदेश के विद्यार्थी लिये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारे सूबे के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जायगी, तो उसमें कितने विद्यार्थियों के लिये जाने का प्रबन्ध किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कह दिया है कि १०० विद्यार्थियों के लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

*५-६—**कुंवर श्रीपाल** (जिला जौनपुर)—[वापस ले लिये गये ।]

अस्थायी इंजीनियरों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा

*७—**श्री राजनारायण मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ दिसम्बर, १९६१ को प्रादेशिक सरकार ने एक राजाज्ञा निकाली है जिसके अनुसार राज्य के सभी इंजीनियरों विभागों के अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियरों को "नियमित अस्थायी या स्थायी पद" पर आने के लिये नव-उत्तीर्ण छात्रों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जी हां ।

*८—**श्री राजनारायण मिश्र**—यदि हां, तो इस प्रतियोगिता का आधार व स्वरूप क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उत्तर माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०९ पर)

श्री राजनारायण मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि प्रथम प्रश्न के उत्तर में बताया गया है 'जी हां', तो क्या केवल २० प्रतिशत विद्यार्थियों को ही जो कि अभी तक अस्थायी हैं उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा ? क्या यह बात सही है या वह जो 'जी हां' कहा गया है वह बात सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—आपने इसको पूरा पढ़ा होगा, तो उस में लिखा है कि ५० प्रतिशत तो कम्पीटीटिव परीक्षा से लिये जायेंगे, २० प्रतिशत प्रोमोशन से और ३० प्रतिशत जो स्थायी हैं उनमें से लिये जायेंगे ।

श्री राजनारायण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४८ में इसी सरकार के अन्तर्गत डिसिप्लिनिरी इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी और उसने कुछ सिफारिशें की थीं और उन सिफारिशों को सरकार ने मान लिया था, उन सिफारिशों में से एक यह भी थी कि जो सरकारी अफसर ३ वर्ष या इससे अधिक समय तक किसी अस्थायी पद पर काम कर चुके हैं उन को स्थायी बनाया जायगा । तो क्या उस सिफारिश के अनुसार सरकार ऐसे अस्थायी इंजीनियरों को स्थायी बनाने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त——सरकार की अवश्य ही यह चेष्टा है कि जितनी स्थायी जगहें हों वे इन अस्थायी इंजीनियर्स से ही भरी जायं जो कि कई वर्ष से अस्थायी इंजीनियर्स के पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण मिश्र——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्हों ने अपने उत्तर में कहा कि जो यहां के फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण विद्यार्थी होते हैं वे बहुधा केंद्रीय सरकार में चले जाते हैं तो जो इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में फर्स्ट क्लास विद्यार्थी अस्थायी इंजीनियरों के पदों पर काम कर रहे हैं उन को स्थायी करने का सरकार का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जो कुछ अभी माननीय सदस्य ने कहा वही कारण था जिसने कि सरकार को और कमीशन को प्रेरित किया कि अच्छे अस्थायी इंजीनियर्स को स्थायी पदों पर मौका देने के लिये कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन कराया जाय जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी अच्छे होने के कारण केंद्र में चले जाते हैं वे यहीं पर स्थायी पदों पर काम कर सकें । आज फिर सरकार की यह चेष्टा है कि जो अच्छे और योग्य इंजीनियर्स अस्थायी पदों पर काम करते रहे हैं उन्हें स्थायी पदों पर रखा जाय और इस संबंध में प्रादेशिक सरकार अभी कमीशन के सभापति और अध्यक्ष महोदय से बातचीत कर रही है और इस प्रकार के कुछ निर्णय उन के द्वारा लिवाना चाहती है जिससे कि अच्छे और योग्य अस्थायी इंजीनियर्स स्थायी पदों को पा सकें और जो न पा सकें व अस्थायी रूप से उन पदों पर काम करते रहें जहां उन के कार्य करने की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह——ऐसे इंजीनियरों की कितनी संख्या है जिन के संबंध में यह प्रश्न उठा है और क्या यह सही है कि यह लोग दस-दस और आठ-आठ वर्ष से बहुत बड़ी संख्या में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——यह तो मुख्तलिफ विभागों के इंजीनियर्स की बात है, उन की संख्या तीन चार सौ के करीब हो जायगी, उन्हीं से संबंध रखने वाली यह बात है । आयोग का यह आग्रह है और सही आग्रह है कि जो केंद्र में हमारे अच्छे इंजीनियर्स चले जाते हैं उन को रोकने के लिये स्थायी जगहें उन्हें देने के लिये कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन की प्रथा को चालू किया जाय और उन्हीं के सुझाव को सामने रख कर इस सरकार ने यह मंजूर किया कि इन अस्थायी इंजीनियर्स के बीच में कोई कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन हो ।

परन्तु अस्थायी इंजीनियर्स जो ८,१० साल से काम कर रहे हैं उनका यह आग्रह था कि चूंकि ८,१० साल से काम कर रहे हैं कदाचित इम्तहान में वह नये इंजीनियर्स के साथ बैठें तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो उस परीक्षा को पास न कर सकें । उनकी इस दिक्कत को अनुभव करते हुये प्रदेशीय सरकार ने आयोग के अध्यक्ष से निवेदन किया कि जो उन्होंने एडवरटाइजमेंट निकाला था इम्तहान के सिलसिले में जिसमें उन्होंने इंजीनियर्स की संख्या दी थी कि इतने इंजीनियर्स इम्तहान से स्थायी नौकरियों में रखे जायेंगे उस पर पुनः विचार करें और यह आग्रह किया है कि अधिक से अधिक उन अस्थायी इंजीनियर्स को बिना इम्तहान लिये हुये उनके कैरेक्टर रोल का अध्ययन करके इंटरव्यू करके छांटा जाय जिससे कि वे इंजीनियर्स जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं और जो योग्य हैं तथा जिन्हें इम्तहान में अच्छी क्लास मिली हैं वे रखे जा सकें और स्थायी पदों को ग्रहण कर सकें ।

*९——**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर) **तथा श्री रामसुन्दर**——[३१ मई १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

सहकारी भण्डार, कमलसागर का गन्ना विकास परिषद्, भटनी के पास धन

*१—श्री रामसुन्दर—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ की चीनी मिल, भटनी, जिला देवरिया की विकास परिषद् के जिम्मे १० हजार रुपये से अधिक पड़ा हुआ है ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी हां। ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमल सागर, पोस्ट रामपुर, जिला आगमगढ़ के द्वारा की गई गन्ना की सप्लाई पर ३०-६-६१ तक कुल ११,५१३ रु० विकास कर के रूप में गन्ना विकास परिषद्, भटनी, जिला देवरिया के पास जमा है।

*२—श्री रामसुन्दर—क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रुपये से बनने वाले कार्यों का तखमीना बना कर उक्त भंडार द्वारा परिषद् तथा अन्य गन्ना अधिकारियों के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया किन्तु अब तक स्वीकृति नहीं मिली है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उक्त भंडार ने सन् १९६१-६२ में कोई बजट बनाकर नहीं भेजा। अतः स्वीकृति देने तथा वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर—मंत्री जी बतायेंगे कि भटनी विकास परिषद् की ओर से यह रुपया व्यय करने का कोई तरीका अपनाया गया कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस सम्बन्ध में नियम यही है कि यूनियन को चाहिये था कि अपने खर्चे का बजट बना कर भेजती और जब वह स्वीकार हो जाय उसके बाद खर्चा किया जाय।

श्री रामसुन्दर—क्या यह सही नहीं है कि उक्त भंडार ने १९६०-६१ का तखमीना बनाकर १४-८-६० को भेजा था जिसकी मंजूरी अभी तक नहीं गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—१९६०-६१ का जो बजट बनाकर भेजा था उसकी मन्जूरी हो गई थी तथा उसकी कापी उसके पास भेज दी गई थी।

श्री उग्रसेन—इसी सदन में मंत्री जी ने एक बार कहा था कि कमलसागर सोसायटी को पैसा इसलिये नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके हिसाब-किताब की जांच हो रही है। और आज मंत्री जी कह रहे हैं कि उसने बजट बना कर नहीं भेजा। तो दोनों में कौन उत्तर सही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—दोनों उत्तर सही हैं। इनके मुताल्लिक जांच भी हो रही है और बजट बना कर भी नहीं भेजा।

श्री रामसुन्दर—मंत्री जी बतायेंगे कि १९६०-६१ का जो तखमीना बनाकर भेजा गया था उसकी स्वीकृति अब तक उसके पास नहीं गई है और एक पैसा भी नहीं भेजा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैंने कहा उसकी स्वीकृति उनके पास भेज दी गई है।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, मैं उस सोसायटी का प्रेसीडेंट हूं। मैं जानकारी चाहता हूं, आज तक स्वीकृति नहीं गयी है, मेरे पास चिट्ठी है, कोई तखमीना उसके पास नहीं गया है, एक पैसा नहीं गया, कोई आर्डर नहीं गया....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न करें।

श्री रामसुन्दर—मैं जानना चाहता हूं कि उक्त भंडार के पास तखमीने की स्वीकृति अब तक नहीं गयी है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष—आप बजट कह रहे हैं, वह तखमीना कह रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर—बजट का तखमीना ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैंने अर्ज किया कि बजट १९६०–६१ का बना कर भेज दिया गया स्वीकृत करके, लेकिन उसको खर्च करने का कार्यक्रम उस सोसायटी ने कोई भेजा नहीं, इसलिये उसे रुपया नहीं मिला । वैसे बजट की स्वीकृति जा चुकी ।

[१७ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तीन साल से अधिक एक स्थान पर काम करने वाले पुलिस अधीक्षक

*१—श्री दौलतलाल (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का कार्यकाल एक स्थान पर ३ साल से अधिक हो गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में ५ पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल एक स्थान पर ३ साल से अधिक हो गया है ।

*२—श्री दौलतलाल (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का जिनका कार्यकाल एक स्थान पर ३ साल से अधिक हो गया उस स्थान से उनके स्थानान्तरण का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इनमें से ४ अधीक्षकों का स्थानान्तरण इस समय विचाराधीन है ।

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, कम्प्लेन्ट्स को हटाने का आदेश

*३—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि जो डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट (कम्पलेंट आफिसर) कुछ जिलों में हैं, उन्हें हटा दिया जावे ?

श्री नवलकिशोर—सरकार ने विचार कर के निर्णय ले लिया है ।

*४—श्री गणेशचन्द—यदि हां, तो कब तक ?

श्री नवलकिशोर—उचित आदेश ३० अप्रैल, १९६२ को शासन द्वारा जारी हो चुके हैं ।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बतलायेगी कि जो डिप्टी कम्पलेंट आफिसर ३० अप्रैल से हटा दिये गये हैं वे बिलकुल हटा दिये गये हैं या किसी अन्य सरकारी नौकरी पर रख दिये गये हैं ? यदि हां, तो कहां ?

श्री नवलकिशोर—उनकी संख्या ५० है । उनको एकमोडेट करने के लिये सरकार ने ५० अस्थायी पद डी०वाई०एस०पी० के क्रियेट कर दिये हैं ।

श्री चन्द्रजीत—डिप्टी कम्पलेंट आफिसर जिस कार्य को किया करते थे अब उस कार्य को कौन करेगा ?

श्री नवलकिशोर—इसीलिये डी० एस० पी० डिस्ट्रिक्ट में एक, एक और बढ़ा दिये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सत्य है कि कम्पलेंट आफिसर सरकार ने उस जगह से हटाये हैं जहां से उसको यह सूचना है कि अब कम्पलेंट ही नहीं हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कम्पलेंट अफसर सब हटा दिये उन सिफारिशों की बुनियाद पर जो सिफारिशें पुलिस कमीशन ने इस विषय में की थीं ।

श्री चन्द्रजीत—क्या पुलिस कमीशन ने यह भी सिफारिश की थी कि कम्पलेंट आफिसर्स को उनके पद से हटा कर उनकी नियुक्ति पुनः डी०एस०पी० के पद पर कर दी जाय और उनसे पुनः वही काम कराया जाय ?

श्री नवलकिशोर—पुलिस कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि जो सर्किल है उसकी संख्या को घटा कर चार थानों तक सीमित किया जाय । उसने यह भी सिफारिश की थी कि सर्किल इंस्पेक्टर की पोस्ट तोड़ दी जाय । लिहाजा जब सर्किल को घटा कर चार थानों तक कर दिया और सर्किल इंस्पेक्टर के पद को खत्म कर दिया तब स्वाभाविक है कि डी० एस० पी० जिलों में एक, एक और बढ़ाया जाय । ४२ जिलों में यह किया जा रहा है और ७ डी० एस० पीज० को हमने और बढ़ाया है जिन्हें रेन्ज पर डी०आई०जी० के साथ अटैच कर दिया जायगा, यूं यह डी०आई०जी०, खुफिया के नीचे काम करेंगे ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—इस पद को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री नवलकिशोर—पुलिस कमीशन का यह खयाल था कि इस तरह से अपराध अनुसंधान विभाग से अलग से कम्पलेंट स्कीम का कायम रखने का कोई बहुत औचित्य नहीं है ।

श्री गणेशचन्द—क्या कम्पलेंट आफिसर्स को हटा देने से सरकार को आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—इसका तो अभी एस्टीमेट नहीं लगाया गया ।

श्री झारखंडेराय—कम्पलेंट आफिसर्स को कायम करने के लिये जो स्कीम थी और सरकार का जो उस सम्बन्ध में विचार था वह पूरी तरह से असफल हो चुका है, तो फिर क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार है कि कम्पलेंट आफिसर का अधिकार किसी डी० एस० पी० को न देकर किसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को दिया जाय जो पुलिस डिपार्टमेंट से आजाद हो कर इस काम को करे ताकि जिस विचार से प्रेरित हो कर यह स्कीम कार्यान्वित की गयी थी उसमें सफलता प्राप्त हो सके ?

श्री नवलकिशोर—डी०एस०पी०कम्पलेंट नाम का कोई पद हमारे यहां अब नहीं है । असफलता की बात रही तो यह तो पोस्ट-मार्टम की बात है । अब तो वह पद तोड़ ही दिया गया ।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि यह जो उप पुलिस कप्तान (शिकायतों) के पद तोड़े गये उसका एक कारण यह था कि उनके प्रति स्वयं बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, पुलिस कमीशन के सामने जितने डिटेल्स थे वह तो मेरे सामने हैं नहीं और उनकी यह एक निश्चित सिफारिश थी कि इस पद को तोड़ दिया जाय ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डी०वाई०एस०पी० (कम्पलेंट्स) के पद तोड़े गये तो क्या जिलों में जो भ्रष्टाचार निरोधक समितियां थीं वह भी समाप्त कर दी गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह अभी नहीं तोड़ी गयी हैं ।

*५-६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२३ मई, १९६२ को लिये प्रश्न ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

दुवारी, घोसी, लालगंज एवं जीमनपुर को टाउन एरिया बनाने की प्रार्थना

*७—श्री रामसुन्दर—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के दुवारी, घोसी, लालगंज, एवं जीमनपुर कस्बों को टाउन एरिया के रूप में परिवर्तित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—जी नहीं। ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर—मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बनाने के लिये कौन-कौन आधार उनके नियत हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—टाउन एरिया बनाने के लिये जब बड़े भारी गांव होते हैं उसके बाद जिले के स्तर से जिला अधिकारी लिख कर भेजते हैं और फिर उसके कई नियम हैं तब सरकार द्वारा विचार होकर के टाउन एरिया बनता है।

कुंवर श्रीपाल—मंत्रीजी ने कहा कि जब बड़े भारी गांव होते हैं, तो कितने वजन के होते हैं, तब टाउन एरिया बनता है ?

(हंसी—उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी तालिका है कि इन गांवों की आबादी कितनी-कितनी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—ऐसी कोई सूचना मेरे पास, श्रीमन्, नहीं है।

श्री रामसुन्दर—क्या विकास मंत्रीजी सूचना मंगा कर देखेंगे। इन गांवों की आबादी सब की करीब-करीब ७ हजार से ऊपर है और वहां की जनता की मांग है कि इन गांवों को टाउन एरिया बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके अनुरूप करेंगे तो हो जायगा। तो क्या उन्होंने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है ?

श्री रामसुन्दर—वह तो कहते हैं कि कोई योजना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—कोई मांग की गयी है ?

श्री रामसुन्दर—यह तो मैंने कहा ही है।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, न तो वहां की जनता की ओर से और न वहां के जिलाधीश की ओर से कोई मांग आयी है सरकार के सामने कि उस पर विचार किया जाय।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्रीजी प्रश्नकर्ता के प्रश्न को सूचना मान कर अब इस बात का प्रयत्न करेंगे कि घोसी, दुबारी आदि जो बड़े-बड़े गांव हैं वह इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं उन्हें टाउन एरिया बनाया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—जब इस प्रकार की कोई मांग की जायगी तो उस पर सरकार अवश्य विचार करगी।

श्री गेंदासिंह---जिन लोगों के नाम मंत्री जी ने गिनाये हैं कि ये ये लोग कहें तो प्रक्रिया में उनका नाम जोड़ा जायगा, तो क्या वहां के विधान सभा के मेम्बर के नाम भी हैं कि जो अगर सुझाव दें तो उस पर विचार किया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय---श्रीमन्, विधान सभा के सदस्य भी अगर लिख कर मांग करें तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा ।

जे० के० तथा माहेश्वरी जूट मिल्स, कानपुर में अन्तरिम सहायता

*८---श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के जे० के० तथा माहेश्वरी जूट मिल के प्रबन्धक जूट वेतन मन्डल द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार अन्तरिम सहायता नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा जूट वेतन मन्डल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---जी नहीं । इन दोनों मिलों में वेतन मन्डल की सिफारिशों के अनुसार अन्तरिम सहायता दी जा रही है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नरेन्द्रदेव होस्टल में छुरा मारने की घटना

*९---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार को पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के नरेन्द्रदेव होस्टल में तारीख २३ मार्च, १९६२ को एक छात्र छुरे से घायल किया गया था तथा उसकी सूचना थाना हसनगंज में उसी दिन की गई थी ? यदि हां, तो वह घटना क्या थी और पुलिस ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर---जी हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट (F. I. R.) के अनुसार २३-३-६२ को बृजेशचन्द्र अवस्थी एम० ए० (द्वितीय वर्ष) जो नरेन्द्र देव होस्टल के कमरा नं० ८० में रहता है तथा उसके एक साथी ठाकुर विन्ध्या बक्श सिंह को कमरा नं० २७ का छात्र देवी प्रसाद बोरा अपने कमरे में ले गया और होली के अवसर पर निकाली गई टाइटिल के मूल लेखक को लेकर बहस करने लगा । ठाकुर बिन्ध्या बक्स सिंह ने कहा था कि टंडन ने टाइटिल निकाली है । बोरा ने कहा कि जो कोई टंडन को कुछ कहेगा उसे मैं मारूंगा । अवस्थी ने कहा कि इम्तिहान का जमाना है, बेकार की बात से क्या फायदा। इस पर बोरा ने छुरा निकाल लिया और मारने दौड़ा । अवस्थी भागा किन्तु बोरा ने छुरे से अवस्थी को घायल कर दिया और भाग निकला ।

पुलिस ने देवी प्रसाद बोरा के ऊपर धारा ३२६ में मुकदमा दायर किया और अब मामला अदालत के विचाराधीन है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एफ० आई० आर० जो लिखी गई थी उसमें कितने छात्रों के नाम थे ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जो एफ० आई० आर० लिखी गई थी उसके अन्दर हेमपालचरन खरे और वी० एन० पी० सिन्हा के भी नाम थे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह घटना दिन को हुई या रात को और रिपोर्ट उसी दिन लिखी गई या दूसरे दिन ?

श्री अध्यक्ष---जितनी बातें इस संबंध में हैं वे सब अदालत के विचाराधीन हैं ।

श्री उग्रसेन---एफ० आई० आर० में समय लिखा रहता है । इसमें विचाराधीन प्रश्न कोई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी यह बता दें कि एफ० आई० आर० का क्या समय है ।

श्री नवलकिशोर--साढ़े आठ बजे सुबह का समय था ।

जालौन जिले में पी० ए० सी० की चौकियां तथा थानेवार डकैतियां

*१०--श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में १ जनवरी, १९६२ से ३१ मार्च, १९६२ तक कितनी डकैतियां पड़ीं और उनसे कितने जान-माल की हानि हुई ? इसकी सूची थानेवार बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१० पर)

*११--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो डकैतियां १ जनवरी, १९६२ से ३१ मार्च, १९६२ तक पड़ीं उनमें क्या कोई डकैत मारा गया या पकड़ा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त डकैतियों में एक डाकू जान से मारा गया और २९ डाकू गिरफ्तार किये गये ।

*१२--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि पी० ए० सी० की कितनी चौकियां जिला जालौन में आज लगी हुई हैं और वह कहां-कहां पर लगी हैं, इसकी सूची सरकार सदन के मेज पर रखेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७११ पर)

गोंडा अन्तरिम परिषद् में सदस्य का रिक्त स्थान तथा "नवाबगंज देहाती" ग्राम सभा में सभापति के स्थान की पूर्ति

*१३--श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री काशीनाथबहादुर (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा अन्तरिम परिषद् के एक सदस्य के स्वर्गवास के कारण परिषद् में एक स्थान रिक्त है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां ।

*१४--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उनके स्थान की पूर्ति के लिये कब तक चुनाव होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--चुनाव की तिथि निश्चित करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*१५--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर (अनुपस्थित)--क्या ग्राम सभा "नवाबगंज देहाती" के सभापति के स्थान की पूर्ति के हेतु चुनाव सम्पन्न हो गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां ।

वीवर्स कालोनी, वाराणसी पर व्यय

*१६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि वीवर्स कालोनी जो वाराणसी में बनाई गई है उसकी लागत क्या है और इसे बनाने के लिये कार्य कब शुरू किया गया और इसमें अब तक कितने लोग बसाये गये हैं ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मन्त्री (श्री फूलसिंह)—वाराणसी में वीवर्स कालोनी के बनाने की लागत ४,६४,३५० रुपये है। इसका बनना दिसम्बर, १९५९ में आरम्भ हुआ था। अभी तक इसमें किसी को बसाया नहीं गया है।

श्री चमन चावला, सम्पादक, "निराली दुनिया" का पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१७—श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मंत्री को ५ अप्रैल, १९६२ का श्री चमन चावला सम्पादक, "निराली दुनियां" का कोई शिकायती-पत्र स्थानीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार को मिला है ? यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। उक्त शिकायती-पत्र में स्थानीय पुलिस के विरुद्ध परेशान करने, झूठे मामले में फांस कर चालान करने तथा मारने-पीटने के मुख्य आरोप लगाये गये हैं। पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त पत्र के बारे में जांच कराये जाने पर आरोप गलत पाये गये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सही है कि उक्त एडीटर ने मुख्य मंत्री जी के पास इस प्रकार की शिकायत जांच के बाद भेजी ? यदि हां, तो उस पर जांच कराई गई या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, एक शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी के पास आया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं मिला।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह तो उत्तर में ही दिया हुआ है कि शिकायती-पत्र पर जांच की गई। उससे पता चला कि जो आरोप लगाये गये थे वह गलत हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किसके द्वारा कराई गई और क्या सम्पादक से भी पूछताछ की गई थी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि जांच एस० पी० के द्वारा कराई गई।

इलाहाबाद में कत्ल के मुकदमे

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के नगर में कितनी हत्या-डाके की सूचना १९६१-६२ में थानों पर लिखी गई और उसमें कितने मुकदमे चलाये गये ?

श्री नवलकिशोर—इलाहाबाद नगर में थानों पर सन् १९६१ में हत्याओं के १३ व डकैती के एक मामले की रिपोर्ट हुई। इन हत्याओं के मामलों में से ११ में व डकैती के १ मामले में मुकदमा चलाया गया।

१९६२ में (४-५-६२ तक) हत्या के चार मामलों की रिपोर्ट हुई। इनमें से दो में मुकदमा चलाया गया। इस अवधि में डकैती की कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन दो में ही मुकदमे क्यों चलाये गये ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, इन चार हत्याओं में से दो में अभियुक्तों का चालान किया गया और दोनों अदालत के विचाराधीन हैं। एक में अभियुक्त लापता रहा और शेष एक मामले में अभी तक जांच हो रही है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के जिन शेष मामलों में जांच हो रही है वह कौन से मामले हैं ?

श्री नवलकिशोर---मोहम्मद आरिफ़, साकिन बमरौली का जो कत्ल हुआ है, वह मामला अभी जेरे तफतीश है।

पिंडरा बाजार में टेक्निकल स्कूल की आवश्यकता

*१९---**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि पिंडरा बाजार, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में कोई टेक्निकल स्कूल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतन तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के स्थानान्तरण की नीति

*२०---**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों का वेतन पी० एम० एस० द्वितीय के समान रखने पर विचार कर रही है ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)---जी नहीं।

श्री गयाप्रसाद---क्या कारण है कि सरकार आयुर्वेद, मेडिसिन सर्जरी के स्नातकों को एम० बी०, बी० एस० के समकक्ष नहीं मानती ?

श्री धर्मसिंह---कारण तो यही है कि बराबर नहीं हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि समान कार्य करने के लिये समान वेतन मिलेगा, तो वह जब डाक्टरों को समान कार्य करते हैं तो उन्हें समान वेतन स्तर पर लाने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय उग्रसेन, इस पर तो काफी बहस हो चुकी है और आपने प्रश्न भी किये हैं।

*२१---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस स्थान पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहले से हैं, यदि वहां पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोला जाता है तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय का वहां से स्थानान्तरण कर देने की नीति है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसे मामलों में अभी तक सरकारी नीति यह है कि किसी भी विकास खंड के हेडक्वार्टर पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालय के खुलने के फलस्वरूप, वहां के राजकीय आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सालय को अन्य स्थान पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाता जब तक कि अन्तरिम जिला परिषद्, जिला नियोजन समिति से विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह प्रस्ताव पारित न करें कि जिले के उसी खंड के अन्य स्थान पर जहां चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त न हो, औषधालय का होना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे स्थानान्तरण में शासन की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

श्री गयाप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई लिस्ट पेश करेंगे कि ऐसे कितने अस्पतालों को ट्रांसफर किया गया है?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

लखनऊ में सेंट्रला डिजाइन सेंटर का दफ्तर नानपारा हाउस में लाने के सम्बन्ध में जानकारी

*२२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या यह सही है कि सेंट्रल डिजाइन सेंटर का दफ्तर मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की इमारत में किराये पर है जब कि उसके लिये नानपारा हाउस नामक इमारत कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने खरीदी थी? इसका क्या कारण है तथा सेंटर कितना किराया ट्रस्ट को देता है व नानपारा हाउस में अब तक सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुका है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर का दफ्तर मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की इमारत में किराये पर है। सरकार ने नानपारा हाउस नामक इमारत इस सेन्टर के लिये कुछ वर्ष पूर्व खरीदी थी, परन्तु इस इमारत में पुनः निर्माण करवाना था इसलिये अभी तक सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर का आफिस उपरोक्त इमारत में नहीं जा सका। सरकार ट्रस्ट को ५०० रुपया माहवार किराया देती है। अभी तक नानपारा हाउस में सरकार का ३,३०,००० रुपया खर्च हो चुका है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पुनर्निर्माण की क्या योजना है और किन कारणों से इस समय तक ठीक नहीं किया जा सका?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—श्रीमन्, अब तो नानपारा हाउस पूरा हो चुका है, उसमें एक सेंट्रल ब्लाक बनाना था वह बन गया और अब बिल्डिंग पूरी हो चुकी है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसमें सारा काम पूरा हो चुका है, तो जब काम पूरा हो चुका है तो मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट बिल्डिंग को छोड़ कर नानपारा हाउस में कब तक यह सेंट्रल डिजाइन सेंटर का दफ्तर चला जायगा?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—इसमें जो मऊ, टांडा और गाजीपुर के प्रोडक्शन सेंटर थे उनका बहुत अधिक सामान होने से और वह काम बन्द हो जाने के कारण सब स्टाक उसमें रख दिया गया। उसके लिये इमारत लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे ही यह खाली होगा उसमें यह दफ्तर चला जायगा।

श्री शारदानन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नानपारा हाउस किस सन् में खरीदा गया था?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—यह १९५९ में खरीदा गया था।

*२३-२४—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[३१ मई, १९६२ के लिए प्रश्न ९६-९७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

केन्द्रीय योजना बोर्ड द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित धन में कटौती

*२५—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पचवर्षीय योजना के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना बोर्ड की स्वीकृति के लिये जो प्रारूप भेजा था उसमें केन्द्रीय योजना बोर्ड ने कुछ परिवर्तन कर दिया है? यदि हां, तो क्या?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---नियोजन आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६१-६२ के लिये एकमुश्त रकम (७२ करोड़ रुपये) स्वीकृत किया था, और राज्य सरकार को उसे विभिन्न विकास मदों में वितरण करने की स्वेच्छा थी। द्वितीय वर्ष के लिये राज्य सरकार ने नियोजन आयोग को ९०.६३ करोड़ रुपये का प्रारूप स्वीकृतयर्थ भेजा, परन्तु आयोग ने केवल ८५.०१ करोड़ रुपया स्वीकृत किया। आवश्यक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७१२ पर)

*२६---**श्री चन्द्रजीत**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय योजना बोर्ड ने योजना को द्रुतगति से और ठीक समय पर पूरी करने के लिये राज्य सरकार के पास कुछ सुझाव भेजे हैं ? यदि हां, तो उनके पालन हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---नियोजन आयोग से योजना को द्रुतगति से और ठीक समय पर पूरा करने के लिये कोई विशेष सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी समय-समय पर आयोग एवं केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार योजनाओं को अविलम्ब पूरा करने के लिये प्रयत्नशील रहती है।

श्री चन्द्रजीत---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नियोजन आयोग ने जो ५ करोड़ से अधिक रुपये की कटौती की तीसरी योजना में वह समाज सेवा, परिवहन, यातायात, सिंचाई और विद्युत में की जिनमें हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, तो किस आधार पर यह कटौती की गई ? इसका क्या कारण उन्होंने बतलाया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उन्होंने एक सीलिंग फिक्स कर दी थी। अब किन-किन मदों पर कितना रुपया रखा जाय यह तो इस सरकार के ऊपर निर्भर है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो सीलिंग फिक्स की गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा उस सीलिंग का आधार क्या था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---प्लानिंग कमीशन के रिसोर्सेज और यहां की सरकार के रिसोर्सेज।

श्री चन्द्रजीत---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नियोजन आयोग ने इसके लिये सीलिंग फिक्स की, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के कुछ आधार थे जिन पर उसने सिफारिश की थी कि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से राज्य सरकार को इतना रुपया दिया जाय, तो राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि नियोजन आयोग के सामने उपस्थित थे उन्होंने बतलाया था कि किन कारणों से यह ज्यादा मांग की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह जो निश्चय होता है यह वह डिस्कशन के बाद ही होता है। वहां डिस्कशन इस बात पर जरूर हुआ, लेकिन प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेन्ट के रिसोर्सेज को देखते हुये इतना ही उन्होंने फिक्स किया।

श्री गेंदासिंह---यदि मैंने सही सुना तो मंत्री जी ने बतलाया कि ६० करोड़ की मांग सरकार ने की थी और भारत सरकार ने ८५ करोड़ दिया तो यह ज्यादा जो दिया....

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह फिगर उन्होंने गलत पढ़ा है। वह ९० करोड़ है।

श्री अध्यक्ष---(नियोजन मंत्री से) आप अपना उत्तर कृपया साफ कर दें।

श्री हरगोविन्दसिंह---राज्य सरकार ने नियोजन आयोग के सामने ९०.६३ करोड़ रुपये की मांग पेश की थी।

श्री गेंदासिंह---अब यह ५ करोड़ की कमी हो गई, उस कमी के विषय में माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि राज्य सरकार के रिसोर्सेज को देखते हुये उन्होंने कमी की; तो क्या राज्य सरकार इस बात पर सन्तुष्ट हो गई कि हमारे रिसोर्सेज में इतनी कमी होगी इसलिये ५ करोड़ रुपया कम दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मैंने कहा था कि राज्य सरकार के रिसोर्सेज और प्लानिंग कमीशन के रिसोर्सेज देखते हुए उन्होंने ५ करोड़ कम दिया।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि और स्टेट्स की मांगों के अनुसार जो भारत सरकार ने दिया उसको देखते हुये इस बात को ध्यान में रखा कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह ऐनुअल प्लान जो बनता है यह फोरकास्ट होता है कि वर्ष में हम इतना खर्च करेंगे। केन्द्रीय सरकार पिछले वर्ष में कितना खर्च हुआ, इस वर्ष कितने खर्च की व्यवस्था करेंगे और आने वाले वर्ष में कितने साधन हमारे बीच में रहेंगे, इन तमाम बातों का विचार कर के निर्णय लेती है। और यह कोई निर्णय उत्तर प्रदेश के सिलसिले में ही नहीं हुआ, यह निर्णय उनका सारे प्रदेशों के सम्बन्ध में रहता है। जितना हम फोरकास्ट अगले वर्ष के खर्च के सम्बन्ध में भेजते हैं उसमें हमारे जो तमाम कार्य पहले हुए हैं तथा हमारे पास कितने साधन रहे हैं, हम कितना लैंड एक्यूजिशन कर सकेंगे, कितना कोयला आ सकेगा, और हम कितने साधन चीजों को निर्मित करने के जुटा सकेंगे, इन तमाम प्रश्नों पर विचार कर के फिर वह सारे देश के साधनों को सामने रख कर सारे प्रदेशों के सम्बन्ध में कुछ नीति बरतते हैं और उसमें जितनी उनको काट-छांट करनी पड़ती है या करना चाहते हैं वह कर देते हैं और इस तरह से वे अपने सुझाव रखते हैं कि आने वाले वर्ष में इतनी धनराशि हम व्यय कर सकेंगे और उसमें इतनी सहायता केन्द्रीय सरकार से मिलेगी और इतने साधन हमें स्वयं उपलब्ध करने पड़ेंगे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब केन्द्रीय सरकार ने ५ करोड़ की धनराशि कम करने के लिये राज्य सरकार को कहा तो सिविल प्रशासन में कमी क्यों नहीं की गयी और दूसरी अन्यान्य मदों में क्यों कमी की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सिविल प्रशासन का विषय वहां नहीं रहता। प्लान्ड आइटम्स का चर्चा यहां है।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---क्या विकास मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये जो धनराशि निर्धारित थी क्या उतने की ही स्वीकृति मांगी गई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह तो मैंने पढ़ कर सुनाया। पहले वर्ष का जहां तक सवाल था जब] थर्ड फाइव इयर प्लान डिस्कस हो रहा था उसी समय तय हो गया था। दूसरे वर्ष के लिये ६० करोड़ मांगा गया था जिसमें से हमें ८५ करोड़ मिला।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि योजना आयोग के सम्मुख जिस मजबूती के साथ दूसरे राज्यों ने अपने राज्य के पक्ष को रखा उसे देखते हुये हमारे प्रान्त के मुख्य मन्त्री जी ने अपना पक्ष नहीं रखा, और अगर रखा तो उस पक्ष में क्या-क्या बातें थीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मैनेजर---मैं विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तृतीय योजना में द्वितीय वर्ष के लिये कितनी धनराशि निर्धारित थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में अभी उत्तर दे दिया कि यह तो फोरकास्ट होता है और उसमें हम कुछ आंकड़े रखते हैं चीजों को निर्मित करने के सिलसिले में केन्द्र के समक्ष अपनी बातें रखते हैं कि यदि हम इस योजना को पूरा नहीं कर सके तो दूसरी को पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम एक फोरकास्ट फीगर भेजते हैं और उसमें पिछली हमारी मांग कितनी थी, कितने साधन थे, चीजों की कितनी उपलब्धि थी, इन तमाम बातों पर विचार करके जितना मुनासिब समझते हैं वे काट-छांट कर देते हैं।

*२७-२८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[३१ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

बुनकरों को वेज बोर्ड द्वारा स्वीकृत न्यूनतम वेतन न मिलने की शिकायत

*२९—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार कालीन उद्योग में बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी के बढ़ाने के बारे में सोच रही है और इस सम्बन्ध में कोई कमीशन नियुक्त करना चाहती है ?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं।

श्री गयाप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इनके संबंध में जो मिनिमम वेज तय हुआ है वह तीन, चार कारखानों को छोड़ कर बकिया कारखाने नहीं दे रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम वेतन कितना है और वह आज की आवश्यकताओं से क्या कम नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इसके तो अलग-अलग काम के अलग अलग रेट्स हैं और इसका एक लम्बा शेड्यूल है और जितना रेट आज की स्थिति में होना चाहिये उतना वह कमेटी की सिफारिश के मुताबिक रखा गया है।

श्री मैनेजर—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या माननीय सदन में माननीय वित्त मंत्री, माननीय जंगली मंत्री, तथा माननीय सहकारिता मंत्री आदि एक जगह बैठ कर आपस में बातचीत कर सकते हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि इन्हीं बुनकरों के वेतन को ठीक करने के लिये सरकार ने एक न्यूनतम वेतन कमेटी बिठाई थी और जिसमें इस माननीय सदन के सदस्य भी थे, तो क्यों नहीं उनके निर्णयों को लागू किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, इन लोगों के लिये जो न्यूनतम वेतन कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के अनुसार ही तो यह वेतन लागू किया गया था और यह सन् १९६० से मिल भी रहा है।

जहानाबाद के विद्युतीकरण का आयोजन

*३०—श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में कस्बा कोड़ा जहानाबाद में विद्युत् प्रकाश योजना के अन्तर्गत कई साल पूर्व विद्युत् लाने के हेतु लोहे के खम्भे लगाये गये थे, परन्तु अब तक बिजली उपलब्ध नहीं हुई, इसका क्या कारण है और वहां के निवासियों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

नोट:—तारांकित प्रश्न २९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहानाबाद में जल्द से जल्द बिजली पहुंचाने की नीयत से सरकार ने बहुत पहिले काम शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से जिसमें सामान आदि का प्रबन्ध भी सम्मिलित है यह काम अभी तक पूरा न हो सका। अब हम अक्तूबर, १९६२ तक जहानाबाद का विद्युतीकरण कर देंगे, ऐसी आशा है।

रेफ़्रेशर कोर्स पास शुदा कम्पाउन्डर्स

*३१--**श्री जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन कम्पाउन्डर्स ने रेफ़्रेशर कोर्स पास किया है, वह उनको ट्रेन्ड मानती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

*३२--**श्री जयगोपाल**--क्या रेफ़्रेशर कोर्स वाले कम्पाउन्डर्स को सरकार १९६० तक ट्रेन्ड मानती रही है ? यदि हां, तो अब क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, न ही अब मानती है।

*३३--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--[३१ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*३४--**श्री सूरजलाल** (जिला गोंडा)--[२४ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*३५-३६--**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)--[३१ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

डी० एन० कालेज, तिर्वा के विद्यार्थी की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु

*३७--**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में इस मास के प्रथम सप्ताह तिर्वा में कोई ठेला दुर्घटना हुई है और उससे डी० एन० कालेज के किसी विद्यार्थी की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, ६ अप्रैल, १९६२ को इस प्रकार की एक दुर्घटना हुई थी। जांच जारी है।

*३८--**श्री झिलमिट झिल्लू** (जिला गाजीपुर)--[३१ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

हरदोई रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में घूमने क कारण श्री कालिकाप्रसाद से पूछताछ

*३९--**श्रीमती कलारानी** (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९ मार्च, १९६२ को रात्रि के १० बजे हरदोई रलवे स्टेशन पर कालिका प्रसाद नामक व्यक्ति को R.P.F तथा G.R.P. की पुलिस ने अकारण पकड़ पर मारा और पुलिस स्टेशन (Police station) में बन्द किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दिनांक १९-३-६२ को रात के लगभग ९ बजे श्री कालिका प्रसाद को हरदोई रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखकर रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी उन्हें आवश्यक पूछताछ के लिये अपने कार्यालय में ले गये थे जहां से बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें पकड़ कर मारा या थाने में बन्द नहीं किया गया।

रुद्रमोहन भटनागर, पी० सी० एस० का रामपुर से स्थानान्तरण

*४०—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर), **श्री सुखदेव प्रसाद** (जिला गोंडा) तथा **श्री मन्नालाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर में श्री रुद्रमोहन भटनागर, पी० सी० एस०, कितने वर्षों से सिटी मजिस्ट्रेट तथा अन्य पदों पर कार्य कर रहेहैं और इस अवधि में राज्य सरकार ने कितनी बार उनके स्थानान्तरण का विचार किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री रुद्र मोहन भटनागर, रामपुर जिले में सिटी मजिस्ट्रेट का कार्य २८ जनवरी, १९६० से कर रहे हैं। वे वहां १७ मई, १९५८ को डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात किये गये थे। उनके स्थानान्तरण पर एक बार पिछले वर्ष सरकार ने विचार किया और इस वर्ष पुनः विचार करने पर उन्हें सहारनपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उन्नाव जिले में कत्ल

*४१—**श्री भोखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में गत आम चुनाव के बाद से १५ अप्रैल, सन् १९६२ ई० तक कितने कत्ल के वाकयात हुये और उनमें कितनी जानें गईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में जिला उन्नाव में कत्ल की कुल ९ घटनायें हुईं जिसमें १० व्यक्ति मारे गये।

नियोजन अधिकारी, जिला बलिया के विरुद्ध शिकायतें

*४२—**श्री काशीनाथ** (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि बलिया जिले के नियोजन अधिकारी राज्य भाषा हिन्दी के माध्यम से काम न कर विकास क्षेत्रों, नियोजन की बैठकों की कार्यवाही, निरीक्षणों का अंकन, अन्य आदेश एवं टिप्पणियां आदि अंग्रेजी भाषा में करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बलिया जिले के नियोजन अधिकारी यथासंभव हिन्दी में कार्य करने का प्रयास करते हैं। जो कार्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण हिन्दी में करना सम्भव नहीं हो पाता, वही अंग्रेजी में करना पड़ता है।

*४३—**श्री काशीनाथ**—क्या सरकार को पता है कि नियोजन अधिकारी बलिया विभागीय सरकारी जीप का इस्तेमाल अपने निजी कामों में करते हैं और विभागीय जीप के ठीक रहते हुये भी अपनी निजी गाड़ी से सरकारी दौरा करते हैं और यात्रा भत्ता लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, ऐसा नहीं होता।

*४४—**श्री काशीनाथ**—क्या सरकार को पता है कि जिला नियोजन अधिकारी, बलिया ने अपने निवास के बंगले में एक आदर्श शौचालय बनवाया है जिसका पैसा हनुमानगंज विकास खंड के मद से लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस कार्य के लिये कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हनुमानगंज विकास खण्ड के आय-व्ययक से इस संबंध में कुछ भी व्यय नहीं किया गया है।

सिधौली तहसील में उद्योगों के लिये ऋण का वितरण

*४५—**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि १९५९-६०, १९६०-६१ में सिधौली तहसील, जिला सीतापुर में उद्योग विभाग द्वारा किस-किस को लघु उद्योगों के लिये ऋण तथा अनुदान दिया गया ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७१३–७१४ पर)

नैपाल सीमावर्ती जिलों में पुलिस चौकियां बढ़ाने का सुझाव

*४६—श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री नैपाल सीमा पर वर्तमान पुलिस चौकियों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि सदन में हाल में बताया गया था, प्रदेश के नैपाल सीमावर्ती जिलों में स्थिति सामान्य है । पुलिस के इन्तजाम में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा चुकी है और जैसा सरकार जरूरी समझेगी, कार्यवाही करेगी ।

*४७—श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री जी उपरोक्त पुलिस चौकियों की स्थापना के बाद टेलीफोन द्वारा जिले के हेडक्वार्टरों से भी उनका संबंध स्थापित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मामले में भी सरकार परिस्थितियों के अनुसार यथोचित कार्यवाही करेगी ।

जुडीशल अफसर, जिला बुलन्दशहर के स्थानान्तरण पर विचार

*४८—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली), श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने जुडीशियल आफिसर हैं जिनको वहां ३ साल से अधिक रहते हो गया ? उनको तीन साल से अधिक रोकने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अधिकारी को बुलन्दशहर में तैनात हुये तीन वर्ष जनवरी, १९६२ में पूरे हुये हैं । सरकार की नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण अब गर्मियों में किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले से बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र

*४९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, सन् १९६१ से दिसम्बर, सन् १९६१ तक बिजली प्राप्त करने के हेतु जिला आजमगढ़ से सरकार के पास कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विद्युत शक्ति प्राप्त करने के हेतु मई, सन् १९६१ से दिसम्बर, सन् १९६१ तक जिला आजमगढ़ से ५६३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ।

*५०—श्री उमाशंकर—जिन व्यक्तियों या फर्मों तथा कोआपरेटिव सोसाइटियों को बिजली नहीं दी जा सकी उनके क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिकतर जितने भी प्रार्थी उपभोक्ताओं ने मई, सन् १९६१ से दिसम्बर, सन् १९६१ तक प्रार्थना-पत्र भेजे उनको कनेक्शन दिये गये । फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनमें कि विद्युत् शक्ति निम्नलिखित कारणों से नहीं दी जा सकी:

(क) उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिक कार्यों की पूर्ति न करना, सर्विस कनेक्शन पर होने वाले व्ययों का भुगतान न करना और सिक्योरिटी की धनराशि जमा न करना ।

(ख) उपभोक्ताओं का अपने सामान तथा विद्युत अधिष्ठापन (Electric Installations) से तैयार न होना ।

(ग) पर्याप्त क्षमता (Capacity) के ट्रांसफार्मर्स की कमी ।

भीरा थाने में श्री चेतराम की बेजा हिरासत सम्बन्धी इस्तगासे की जांच

*५१—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल (मार्च, अप्रैल) में ग्राम जिगनहां, थाना गोला, जिला खीरी के छोटे लाल, चरन्जूलाल, मेवालाल, छेदा, जसौदा, विधवा, अयोद्धी तथा बाबूराम आदि असहाय किसानों की गहूं, जौ, चना, आदि की फसलों को स्थानीय कुछ लोग जबरदस्ती काट कर उठा ले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। ये आरोप पुलिस की जांच में प्रमाणित नहीं हुये।

*५२—श्री छेदालाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना भीरा (खीरी) की पुलिस ने कल्लू नाम के व्यक्ति को सही माने में खरीदा हुआ गाय-बछड़े को थाने पर रख लिया है और स्वयं दूध खा रहे हैं तथा उसकी रसीद छीन कर मारपीट कर भगा दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह आरोप भी सत्य नहीं है।

*५३—श्री छेदालाल चौधरी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि थाना भीरा, जिला खीरी की पुलिस ने चेतराम नामक व्यक्ति, निवासी ग्राम बीबीपुर को थाने में चार दिन तक अवैधानिक तरीके से बेजा हिरासत में रखा और तंग किया ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में चेतराम की पत्नी ने एक इस्तगासा ए० डी० एम० (जे०) खीरी की अदालत में दायर किया है और मामला अदालत के विचाराधीन है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

स्योहारा चीनी मिल द्वारा गन्ने के मूल्य में कटौती

*५४—श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपर गैंजेज शुगर मिल, स्योहारा, जिला बिजनौर ने नजीबाबाद और स्नेह रोड गन्ना सप्लाई रेलवे सेन्टरों पर कुम्भ मेले के अवसर पर गन्ने का मूल्य डेढ़ रुपया प्रति मन के बजाय १ रुपया २८ न० पै० प्रति मन अदा किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में इस मिल ने कुम्भ मेले के अवसर पर रेलवे द्वारा वैगनों की व्यवस्था न हो सकन से अपनी ट्रकों में निर्दिष्ट सेंटरों से गन्ना ले जाने के कारण गन्ने के मूल्य अर्थात् १.६२ न० पै० में यातायात की कटौती करने के बाद जो गन्ने का मूल्य किसानों को अदा किया था वह इस प्रकार है :—

सेन्टर का नाम	गन्ने का मूल्य रु०
(१) नजीबाबाद	१.३४ प्रति मन
(२) स्नेह रोड	१.२८ प्रति मन

*५५—श्री सत्यवीर कुंवर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त रेलवे सेन्टरों से मिलों तक गन्ना पहुंचाने का ठेका फैक्टरी तथा रेलवे के मध्य होता है और इस ठेके के किसी भी समय भंग होने का दन्ड किसानों को क्यों दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रेलवे तथा मिलों के बीच ऐसा कोई ठेका तो नहीं होता, वरन् रेलवे यथासंभव गन्ना ढोने के लिय वगन उपलब्ध करती है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*५६—**श्री सत्यवीर कुंवर**—क्या सरकार मिल मालिकों द्वारा उपरोक्त २२ न० पै० प्रति मन की कटौती को उपरोक्त दोनों सेन्टरों के किसानों को वापस दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मिल द्वारा निर्दिष्ट सेंटरों (नजीबाबाद व स्नेह रोड) से गन्ना ढोने की क्रमशः २८ व ३४ न० पै० प्रति मन की दर से जो कटौती की गई वह किसानों के हित में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा रोड सेंटर्स से गन्ना लाने के लिये निर्धारित दर से भी कम की गई। अतः इसे वापस दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभासचिवों को आवास के लिए किराया

*५७—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, सन् १९६१ से ३१ मार्च, सन् १९६२ तक जो मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर सरकारी इमारतों में न रह कर अपने निजी या किराये के मकानों में रहते थे उनको प्रति मास सरकार से कितना रुपया दिया जाता था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ की अवधि में मंत्रियों इत्यादि के आवास की स्थिति इस प्रकार थी :

(१) मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री अपने निजी मकानों में रहे तथा उन्होंने सरकार से कोई किराया नहीं लिया।

(२) न्याय मंत्री अपने निजी मकान में रहे तथा उसी मकान को उनके लिये किराये पर लिये जाने का मामला विचाराधीन है।

(३) पांच मंत्रियों के लिये मकान सरकार ने निम्नलिखित किराये पर लिये—

(क) २६७.५० प्रतिमास
(ख) १००.०० प्रतिमास
(ग) ८०.०० प्रतिमास
(घ) ९०.०० प्रतिमास
(ङ) १८३.०० प्रतिमास

(४) उप-मंत्रियों एवं सभा सचिवों को जो निजी अथवा किराये के मकानों में रहते रहे सरकारी आवास के एवज में १०० रुपये प्रतिमास प्रतिकर भत्ता, जैसा कि नियमों में प्राविधान है, दिया गया।

*५८—**श्री सोहनलाल धुसिया**—क्या वही तरीका अभी भी चल रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान मंत्री, उप-मंत्री तथा पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज को जो सरकारी इमारतों में नहीं रहते प्रतिमास कितना रुपया देने का निश्चय किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों को सरकारी आवासों के एवज में नियमानुसार १०० रुपये प्रतिमास प्रतिकर भत्ता दिया जाता है। जहां तक मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों का संबंध है उनके अपने निजी मकान में आवास के सिलसिले में सरकारी किराया ३०० रुपये तक देने का नियम है।

*५९—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—[१८ मई, १९६२ में प्रश्न ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

लखनी मुबारकपुर के किसानों को लोहे का हल न मिलने की शिकायत

*६०—**श्री रामसुन्दर**—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के ग्राम लखनी मुबारकपुर में लगभग ५ वर्ष पहले ९ व्यक्तियों को विकास खंड, घोसी की ओर से बड़ा लोहे का हल देने के लिये बान्ड भरवाया गया, किन्तु हल नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९५७-५८ में लखनी मुबारकपुर के १० व्यक्तियों ने लोहे के हल के लिये बान्ड भरा था जो उन्हें फरवरी, १९६१ में मिल चुके हैं ।

*६१—**श्री रामसुन्दर**—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम के निवासियों ने जिलाधीश, आजमगढ़ को २० दिसम्बर, १९६१ को प्रार्थना-पत्र नाजायज वसूली को रोकने के लिये दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

कम्युनिस्टों को सर्विस में न लेने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का कथित आदेश

*६२—**श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को कोई ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि कम्युनिस्ट अथवा कम्युनिस्ट संबंधित लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनी जाने वाली सर्विसेज में नहीं लिया जाना चाहिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*६३—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रति सदन-पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

*६४—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस आदेश के प्रभाव अनुसार अब तक कितने लोगों को सर्विस से अलग किया गया (वेरीफिकेशन के बाद) और कितनों को सर्विस नहीं दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

पदाधिकारी और पदों को कम करने की सिफारिश पर विचार

*६५—**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६१-६२) के बीसवें प्रतिवेदन के अध्याय १४ अनावश्यक पदाधिकारी और पदों की वृद्धि के १८२ नम्बर के सुझाव पर सरकार ने अमल करने का कष्ट किया है ? यदि हां, तो इस प्रकार कौन-कौन से पद समाप्त हुये और सरकार को प्रतिवर्ष कितनी बचत की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मामला विचाराधीन है ।

*६६—**श्री रघुवीर**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समिति ने अपने अध्याय १२ सचिव शाखा के १२४ नम्बर के सुझाव के जरिये (१) उप-सचिव, तथा (२) अनुसचिवों के कमी करने की बात कही है, उस पर अमल हुआ ? यदि हां, तो वह कमी किन विभागों से की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मामला विचाराधीन है ।

कांधला में औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की प्रार्थना

*६७--**श्री विजयपालसिंह**---क्या सरकार जिला मुजफ्फरनगर के कांधला कस्बे में औद्योगिक आस्थान कायम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने पर ?

श्री फूलसिंह---जी नहीं ।

उप-सचिव तथा अनु-सचिव के विशेष वेतन तथा पद समाप्ति की सिफारिश पर विचार

*६८--**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६१-६२) के बीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ९ के ७२ नम्बर के प्वाइन्ट पर उप-सचिव तथा अनुसचिव के विशेष वेतन तथा पद समाप्ति के बारे में दी गयी राय पर क्या सरकार अमल कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मामला विचाराधीन है ।

*६९--**श्री रामसुन्दर शास्त्री**---यदि हां, तो इससे उपरोक्त प्रकार के कितने अधिकारी प्रभावित हुये और सरकार को कितनी वार्षिक बचत हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न नहीं उठता ।

*७०--**श्री रामसुन्दर शास्त्री**---क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्राक्कलन समिति ने सहायक सचिवों के वेतन-क्रम के बारे में अपन अध्याय ५ के ४१ नं० के प्वाइंट के रूप में जो सुझाव दिया है उस पर भी सरकार ने अमल किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मामला विचाराधीन है ।

असिस्टेंट इम्प्लायमेंट आफिसर्स को नौकरी से हटाना

*७१--**श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)---क्या सरकार को ज्ञात है कि ३१ मार्च, १९६२ को १२ असिस्टेन्ट इम्प्लायमेंट आफीसर नौकरी से अलग किये गये हैं ? यदि हां, तो उनको अलग करने के क्या कारण थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां । सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के समय तक १२ सहायक सेवायोजन अधिकारियों को अस्थायी और स्थानापन्न रूप से काम करने के लिये नियुक्त किया गया था । सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर, इन १२ अस्थायी अधिकारियों को अलग किया गया ।

*७२--**श्री हरीशकुमार गंगवार**---क्या यह सही है कि उपरोक्त आफीसर्स को उन्हीं के विभागों में संक्षिप्त लिपिक बनाने के विषय की उनसे स्वीकृति लिये जाने पर भी उन्हें यह निम्न स्थान भी प्रदान नहीं किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं । सांख्यिक सहायकों के केवल ५ पद थे और अलग किये गये १२ सेवा योजन अधिकारियों में से केवल ५ अपेक्षित अर्हता सम्पन्न थे और इन पांचों को सांख्यिक सहायकों के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया गया है ।

बस्ती जिले में डकैतियां तथा कोतवाल का घायल होना

*७३—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के अन्तर्गत कोतवाली बस्ती, कप्तानगंज, पैकोलिया और सोनहा थानों के अन्तर्गत जनवरी, १९६२ स १५ अप्रल, १९६२ तक कितने कत्ल व डकैतियां हुईं और उनमें कितने में मुलजिमों को चालान किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में कथित थानों के अन्तर्गत कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई।

थाना कोतवाली, कप्तानगंज और सोनहा में इस अवधि में एक-एक डकैती की घटना घटी। थाना पैकोलिया में कोई डकैती नहीं हुई। दो व्यक्तियों का चालान किया गया तथा अन्य १४ व्यक्तियों पर कार्यवाही शिनाख्त होनी शेष है।

*७४—**श्री रणबहादुरसिंह**—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अंतर्गत थाना छावनी में बाघानारा चौकी क दीवान के विरुद्ध जनता न गंभीर आरोप लगाये हैं तथा इसकी जांच डी० एस० पी० (कम्पलेन्ट) ने की है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक व्यक्ति ने उक्त दीवान पर कुछ आरोप लगाये थे जिनकी डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट) ने जांच की। जांच के परिणामस्वरूप ये आरोप गलत पाये गये।

*७५—**श्री रणबहादुरसिंह**—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में हाल ही में बस्ती कोतवाली के कोतवाल को रात में बदमाशों ने कोतवाली के अन्दर घुस कर बुरी तरह से मारा है ? यदि हां, तो सरकार बस्ती जिले में इस अराजकता को रोकने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सच है कि बस्ती कोतवाली के कोतवाल के क्वार्टर में तारीख १०/११-४-६२ की रात को कुछ बदमाश चोरी करन क लिय घुस। कोतवाल जाग गये और उन्होंन बदमाशों को पकड़न के लिए उनका पीछा किया। चोरों ने लाठी से उन्हें घायल किया और बच कर बिना कुछ चोरी किये ही भाग निकले। बस्ती जिले में कोई अराजकता नहीं है।

*७६-७८—**श्री मन्नालाल**—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बीड़ी उद्योग

*७९—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की कुल संख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बीड़ी बनाने का कार्य होता है तथा उन शहरों के क्या नाम हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की संख्या लगभग ३७,००० ह। इस प्रदश क निम्नजिलों में आमतौर स बीड़ी बनान का कार्य होता है :—

(१) जौनपुर, (२) बाराबंकी, (३) देवरिया, (४) सुल्तानपुर, (५) प्रतापगढ़, (६) गोंडा, (७) फर्रुखाबाद, (८) सीतापुर, (९) फैजाबाद, (१०) बहराइच, (११) बांदा, (१२) इलाहाबाद, (१३) आजमगढ़, (१४) झांसी, (१५) मुरादाबाद, (१६) मिर्जापुर, (१७) रायबरेली, (१८) जालौन, (१९) लखनऊ, (२०) कानपुर, (२१) हमीरपुर, (२२) गोरखपुर, (२३) रामपुर, (२४) गाजीपुर, (२५) वाराणसी, और (२६) बलिया।

*८०--श्री शराफत हुसैन रिजवी--क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों की निम्नतम मजदूरी निश्चित करने के लिये वेतन बोर्ड बैठाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं ।

*८१-८२--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--[३१ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर टाउन एरिया के विद्युतीकरण पर विचार

*८३--श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार जिला बाराबंकी के अन्तर्गत टाउन एरिया फतेहपुर में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच हो रही है, अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि वहां कब तक बिजली लगा दी जायेगी ।

छातानगर के विद्युतीकरण पर विचार

*८४--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में छाता कोसीकलां नगरपालिका में तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर कब से अमल किया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--छाता नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच हो रही है। अभी कहना सम्भव नहीं कि वहां कब तक बिजली लगा दी जायेगी। कोसीकलां का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है ।

*८५--श्री झिलमिट झिल्लू--[२५ मई, १९६२ में प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जहांगीरगंज-राजेसुल्तानपुर सड़क बनाने के लिये प्रस्ताव

*८६--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि जिला अन्तरिम परिषद्, फैजाबाद द्वारा १४ अक्तूबर, १९५९ को सड़क बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*८७--श्री सुखरामदास--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि जिला अन्तरिम परिषद् ने उक्त प्रस्ताव में किस सड़क को प्रथम प्राथमिकता दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्राप्त सूचना के अनुसार अंतरिम जिला परिषद्, फैजाबाद ने उक्त प्रस्ताव में जहांगीरगंज-राजे सुल्तानपुर सड़क को प्रथम प्राथमिकता दी थी ।

*८८-९०--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--[२४ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १८०-१८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[हटा दिया गया ।]

*९२-९३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९४--श्री हरीशकुमार गंगवार---[३१ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

राइफिल क्लब, हरदोई

*९५--श्री मोहनलाल (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में Arms licence से, जब उन्होंने अपने licence १९६२ के लिये renew कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, उन लोगों को compulsory rifle club का मेम्बर बना कर १० रुपये प्रति व्यक्ति वसूल किया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्तियों से कुल कितना धन वसूल हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह कहना ठीक नहीं है कि Licensees पर किसी प्रकार का जोर दबाव डाला गया। उन लोगों को राइफिल क्लब के ध्येय तथा अभिप्राय से अवगत कराकर उनकी इच्छानुसार उन्हें क्लब का सदस्य बनाया गया। कुल १,१८२ सदस्य बनाये गये और उनसे १० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल ११,८२० रुपये वसूल किये गये। संडीला के एक लाइसेन्सी ने २० रुपये जमा किए।

*९६---श्री मोहनलाल---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि rifle club कब से कायम हुआ और १९६०-६१ में कितने सदस्य बने तथा कितना रुपया वसूल हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो ठीक नहीं ज्ञात हो सका कि हरदोई राइफिल क्लब कब कायम हुआ था। परन्तु यह क्लब सक्रिय रूप में कार्य नहीं कर रहा था, इसलिये १९५९ में यह निश्चय किया गया कि पुराने क्लब को समाप्त कर पुनः नया विधान बनाकर नए सिरे से क्लब को चालू किया जाय। विधान बनाने के लिये नियुक्त समिति द्वारा नया विधान २९-११-६१ को स्वीकृत हुआ और दिनांक ५-१-१९६२ को नये क्लब की पहली आम बैठक द्वारा इसकी पुष्टि की गयी। इसके बाद क्लब के सदस्य बनाये गये जिनकी संख्या १,१८२ है। इससे पूर्व क्लब सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा था, अतः १९६०-६१ में सदस्य बनाकर रुपया वसूल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बदनपुर ग्राम का कथित कत्ल

*९७---श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली मैनपुरी के अन्तर्गत बदनपुर ग्राम में ३ दिसम्बर, १९६१ को कोई कत्ल हुआ ? यदि हां, तो पुलिस ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

औद्योगिक न्यायालय, इलाहाबाद से मुकदमों को वापस लेना

*९८---श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आदेश श्रम (क) विभाग नं० १३३५ (एस-टी/३६-ए---७०८ (एफ-टी)-१९६१, तारीख ३१ मार्च, १९६२ द्वारा तीन मुकदमे, जो औद्योगिक न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष थे, वापस ले लिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, क्योंकि पक्षों के बीच समझौता हो गया था, और उन्होंने सरकार से मुकदमे वापस लेने की प्रार्थना की थी।

*९९—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार को मालूम है कि आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित यूनियन से इम्पिरियल टुबैको कम्पनी, सहारनपुर का कोई समझौता हो गया है ? यदि हां, तो क्या दूसरी यूनियन से कोई राय ली गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी यूनियन से राय लेने का कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है।

*१००—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मजदूरों के व टुबैको फ्रेन्ड्स यूनियन के इस समझौते के पहले अपने एतराज सरकारी अधिकारियों को दिये थे? यदि हां, तो क्या उन एतराजों की सुनवाई किसी अधिकारी द्वारा हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, टुबैको फ्रेन्ड्स यूनियन ने समझौते को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत लागू करने पर आपत्ति प्रकट की थी। चूंकि सरकार ने स्वयं समझौते को लागू न करने का निश्चय किया, अतएव इस यूनियन के एतराजों की सुनवाई का प्रश्न नहीं उठता।

*१०१—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री जगदीशप्रसाद—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०२–१०४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा नगरपालिका के अध्यक्ष, डाक्टर श्यामलाल शर्मा की हत्या की जांच

*१०५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि बांदा शहर में दिनाँक १६ सितम्बर, १९६१ की रात को लगभग १० बजे बांदा नगरपालिका के अध्यक्ष डा० श्यामलाल शर्मा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसी सूचना मिली है।

*१०६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में खुफिया पुलिस द्वारा जांच जारी है।

किशुनपुर टाउन एरिया में अस्पताल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१०७—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री जगदीशप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में टाउन एरिया, किशुनपुर में सार्वजनिक अस्पताल खोलने के बाबत कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१०८—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री जगदीशप्रसाद—क्या उपरोक्त अस्पताल के सम्बन्ध में खंड विकास समिति, बिजईपुर ने व टाउन एरिया, किसुनपुर ने भी अपनी स्वीकृति व मांग रखी ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अस्पताल के खोलने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। चूंकि किशुनपुर से ५ मील की दूरी पर ही विजयपुर ब्लाक हेड क्वार्टर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत एक एलोपैथिक चिकित्सालय खुल चुका है, इसलिये इस योजना की वर्तमान नीति के अनुसार किशुनपुर में एक दूसरा चिकित्सालय नहीं खोला गया।

धोलाना के विद्युतीकरण के लिये जांच

*१०९—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा धोलाना, परगना डासना, जिला मेरठ को बिजली कब दी जायगी तथा कहां से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच हो रही है। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि वहां कब तक बिजली लगा दी जायेगी।

*११०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—[हटा दिया गया।]

*१११—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस बिभाग के रिक्त स्थानों की पूर्ति में हरिजनों का रिजर्वेशन

*११२—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी-अभी जो ३,००० कर्मचारी पुलिस विभाग में से retire हुए हैं उनमें से कितने स्थानों की पूर्ति हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस विभाग में से हाल ही में जो कर्मचारी रिटायर हुये हैं उनकी संख्या ३,००० नहीं है, केवल ४४४ है। इन सभी स्थानों की पूर्ति हो चुकी है।

*११३—श्री छत्रपति अम्बेश—क्या पूर्ति करते समय तथा कथित हरिजनों के लिये reservation का नियम ध्यान में रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*११४–११५—श्री भीखालाल—[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

ठाकुरद्वारा के विद्युतीकरण का आयोजन

*११६—श्री रामपालसिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद को एलेक्ट्रीफाई करने का निश्चय हो चुका है और खर्च का तखमीना भी बन चुका है ? यदि हां, तो कब तक वहां बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर का विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्वीकार किया जा चुका है और इस कार्य का तखमीना बनाया जा रहा है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस नगर का विद्युतीकरण हो जायगा।

शाहजहांपुर में बिजली की दर कम करने की प्रार्थना

*११७—श्री रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर में बिजली की फी यूनिट क्या दर है और उसको कम करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शाहजहांपुर शहर में बिजली की फी यूनिट दरें संलग्न सूची में दी हुई हैं। शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, शाहजहांपुर ने पहली अप्रैल, १९६१ से इनडस्ट्रीयल रेट्स में एक न० पै० प्रति यूनिट की कमी कर दी है। पिछले वर्षों में उक्त कम्पनी का खालिस लाभ (Clear Profit) उचित आय की रकम (Reasonable return) से अधिक नहीं रहा। अतः वर्तमान दरों को इस समय कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७१५–७१६ पर)

*११८-११९--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की बर्खास्तगी

*१२०--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में आई० जी० व डी० आई० जी० पुलिस ने जनवरी, १९५७ से आज तक कितने सब-इंस्पेक्टरों को बरखास्त किया तथा उनको किस आधार पर निकाला गया ?

*१२१---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने डिस्चार्ज शुदा सब-इंस्पेक्टरों को हाई कोर्ट में रिट के बाद पुनः रखा गया, उनकी संख्या क्या है और उनमें से कितने पुनः निकाले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना एकत्र करने में जितना समय, श्रम तथा धन व्यय होगा, वह प्रश्नों में मांगी गई सूचना की उपयोगिता को देखते हुये उचित न होगा।

भीमापार, यूनानी अस्पताल के भवन निर्माण में विलम्ब

*१२२---**श्री राजनाथ** (जिला गाजीपुर)---क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि गाजीपुर जिला के भीमापार कस्बे में जो यूनानी अस्पताल कई वर्षों से चल रहा है उसके भवन निर्माण में क्यों देरी हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---भवन के निर्माण में ईंटें न मिलने के कारण देरी हुई है। अब ईंटें मिल रही हैं और निर्माण कार्य चालू है। अब तक १५ प्रतिशत बन चुका है और शेष के शीघ्र ही समाप्त होने की आशा है।

*१२३-१२४---**श्री शीतलप्रसाद** (जिला गोंडा)---[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

मुरादनगर ब्लाक में कथित चोरी

*१२५---**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ के मुरादनगर ब्लाक में १४-१५ अप्रैल, १९६२ की रात्रि को जो चोरी हुई है उसमें कितने धन का नुकसान हुआ है? चोरी करने वाले का कुछ पता चला या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला मेरठ के मुरादनगर ब्लाक में १४-१५ अप्रैल की रात्रि में कोई चोरी नहीं हुई।

शम्साबाद में ताजिया निकालने के लिये तारों का ऊंचा किया जाना

*१२६---**श्री सियाराम** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ समय पूर्व शम्साबाद जिला फर्रुखाबाद के टाउन एरिया के अन्तर्गत एक विशेष सम्प्रदाय ने अपने ताजियों को निकालने हेतु विद्युत् विभाग से तारों को जमीन के नीचे करने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, सन् १९५८ में शम्साबाद जिला फर्रुखाबाद की टाउन एरिया कमेटी ने ताजियों को सुविधापूर्वक निकालने के लिये तारों को जमीन के अन्दर करने की प्रार्थना की थी। ताजियों को निकालने के लिये तार काफी ऊंचे कर दिये गये हैं।

*१२७--श्री सियाराम--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसी प्रकार की प्रार्थना पर फर्रुखाबाद जिले के ही अन्तर्गत कन्नौज नगरपालिका की स्वीकृति हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसी कोई प्रार्थना कन्नौज नगरपालिका से प्राप्त नहीं हुई ।

पूराबाजार ब्लाक बिल्डिंग का निर्माण

*१२८--श्री सुखरामदास--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला फैजाबाद पूरा बाजार ब्लाक बिल्डिंग निर्माण के लिये लगभग एक वर्ष से भूमि अक्वायर कर ली गई है ? यदि हां, तो ब्लाक बिल्डिंग का निर्माण-कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जिला फैजाबाद में पूरा बाजार ब्लाक बिल्डिंग हेतु मई, १९६१ में भूमि अक्वायर की गई थी । निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

*१२९-१३०--श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)--[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

रुदौली जनाना अस्पताल के लिये भवन की व्यवस्था तथा नरौली अस्पताल में डाक्टर न होना

*१३१--श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुदौली, जिला बाराबंकी के जनाना अस्पताल में कितने पलंगों की व्यवस्था है और जच्चा-बच्चा की कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--४ पलंग की ।

जच्चा-बच्चा की सभी व्यवस्था अस्पताल में उपलब्ध है ।

*१३२--श्री मुकुटबिहारीलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनाना अस्पताल, रुदौली के निजी भवन निर्माण का विचार सरकार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--भवन निर्माण का कोई विचार नहीं है, क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद्, बाराबंकी के एक भवन को खरीदने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*१३३--श्री मुकुटबिहारीलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नरौली बाराबंकी अस्पताल में कितने वर्षों से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नरौली अस्पताल, जिला बाराबंकी में डाक्टर २-७-५९ से नहीं है ।

*१३४-१३५--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--[१८ मई, १९६२ के लिये प्रश्न ११२-११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला परिषद् कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*१३६--श्री माताप्रसाद--क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १ जनवरी, सन् १९६१ ई० से ५ रुपये मासिक वेतन जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को बढ़ाया गया है उससे जिला अन्तरिम परिषद् के कर्मचारियों को वंचित रखा गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी——सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ५ रुपये मासिक वृद्धि १ जनवरी, १९६१ से तो नहीं, बल्कि १ जनवरी, १९६२ से हुई है। ये आदेश अन्तरिम जिला परिषदों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं।

*१३७——**श्री सुखदेवप्रसाद** तथा **श्री बाबूलाल** (जिला प्रतापगढ़)——[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३८——**श्री झिलमिट झिल्लू**——[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३९——**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)——[३१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

दहगवां अस्पताल में डाक्टर न होना

*१४०——**श्री उल्फतसिंह**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में दहगवां सरकारी अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो कब से और सरकार डाक्टर कब तक भेजने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——दहगवां डिस्पेंसरी में २ अप्रैल, १९५९ से डाक्टर नहीं है। जैसे ही और डाक्टर उपलब्ध होंगे, उक्त डिस्पेंसरी में डाक्टर भेजा जायगा।

*१४१——**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**——[हटा दिया गया।]

अमरोहा गन्ना विकास कौन्सिल द्वारा निर्माण-कार्यों पर व्यय

*१४२——**श्री शराफत हुसैन रिजवी**——क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ के सीजन में अमरोहा केन सोसाइटी ने कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा को कुल कितना गन्ना सप्लाई किया और इस सप्लाई पर सोसाइटी को कितना कमीशन मिला?

श्री दाऊदयाल खन्ना——(क) १९६०-६१ के केन सीजन में अमरोहा केन सोसाइटी में कुंदन शुगर मिल को ५९,८३,९८७ मन गन्ना सप्लाई किया।

(ख) इस सप्लाई पर सोसाइटी को १,४०,२३३ रुपया कमीशन मिला।

*१४३——**श्री शराफत हुसैन रिजवी**——क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा की गन्ना विकास कौंसिल ने गत वर्ष ऐसी कितनी नई सड़कें बनवाईं और किन-किन सड़कों की मरम्मत करवाई, जिसके द्वारा गन्ना मिल तक लाया जाता है? इन सड़कों पर कुल कितना व्यय हुआ है?

श्री दाऊदयाल खन्ना——(क) गन्ना विकास परिषद्, अमरोहा ने गत वर्ष कोई नई सड़क नहीं बनवाई।

(ख) मुरादाबाद से जोया जाने वाली सड़क पर नीली खेरी ग्राम तक मिट्टी का कार्य किया गया तथा धनौरा-कमेलपुर सड़क पर कंकड़ का कार्य हुआ।

(ग) ४,९५२ रुपया कुल सड़कों तथा पुलियों की मरम्मत पर व्यय हुआ।

*१४४——**श्री शराफत हुसैन रिजवी**——क्या गन्ना विकास मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि अमरोहा का गन्ना विकास कौंसिल १९६०-६१ में सड़कें बनवाने का उतना रुपया खर्च नहीं कर सकी जितना रुपया उसे विकास के लिये दिया गया था? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--जी हां ।

(१) सड़क निर्माण कार्यक्रम की स्वीकृति परिषद् सदस्यों के विचार वैषम्य के कारण बारबार स्थगित होती रही।

(२) समय पर निर्माण सामग्री प्राप्त न हो सकी ।

(३) परिषद् को ओवरसियर की सेवायें उपलब्ध न हो सकीं ।

बाबागंज-नवाबगंज सड़क की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*१४५--श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में बाबागंज से नवाबगंज को जो सड़क गई है उस पर जाबजा कटाव है उसे दुरुस्त कराने पर सरकार विचार कर रही है और कब तक काम शुरू किया जायगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सड़क अन्तरिम जिला परिषद् बहराइच के अधिकार में है और उसके रखरखाव का दायित्व उसी पर है ।

टनकपुर-पिठौरागढ़ मार्ग चौड़ा किया जाना

*१४६--श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर मार्ग पर मोटर गाड़ियां बराबर चल रही हैं । इसे चौड़ा और पक्का करने का कार्य जारी है । आशा है सितम्बर, १९६३ तक काफी कार्य हो जायेगा ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई कूपों के लिये तकावी

*१४७--श्री रघुवीर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९५४, १९५५, १९५६, १९५७ ई० में तकावी द्वारा सिंचाई के कितने कूपों का निर्माण हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी तक जो सूचना एकत्र हुई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ में क्रमशः १९४,३३९,१९० व ५२ कूपों का निर्माण तकावी द्वारा हुआ है ।

*१४८--श्री रघुवीर--क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में उपरोक्त सालों में जो कूपों का निर्माण हुआ है उन कूपों पर कितनी तकावी दी गई है और क्या किसानों के लिये उसमें छूट की कोई योजना भी थी ? यदि हां, तो किसानों को छूट की रकम दी गई या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उक्त कूपों को २,८८,९४९ रुपये की तकावी दी गई ।

'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत उक्त सब सालों में छूट की व्यवस्था थी और सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत सितम्बर, १९५५ से छूट की व्यवस्था की गई थी। किसानों को ५८१ कुओं पर छूट दी जा चुकी है ।

*१४९--श्री रघुवीर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सनों में जो कूपों का निर्माण हुआ है १९६२ ई० में ५ १/२ रुपया सैकड़ा सूद के हिसाब से वसूली हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उपरोक्त वर्षों में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत दी गई तकावी पर ५ १/२ प्रतिशत सालाना ब्याज लिये जाने का नियम था, अतः उस तकावी पर ही उक्त दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है।

वाराणसी उद्योग समिति की धन वितरण सम्बन्धी सिफारिशें

*१५०—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि २६ सितम्बर, सन् १९६१ में जो वाराणसी उद्योग समिति की बैठक हुई थी उसने किन-किन लोगों को कितना-कितना रुपया किन-किन उद्योगों को देने की सिफारिश की थी? क्या लोगों को पूरा रुपया दे दिया गया?

श्री फूलसिंह—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों का हटाया जाना

*१५१—**श्री चिरंजीलाल** (जिला एटा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनवरी, १९६० से मार्च, १९६२ तक कितने सब-इन्सपेक्टर पुलिस टरमिनेट किये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—३२ सब-इन्सपेक्टर।

*१५२—**श्री चिरंजीलाल**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सब-इन्सपेक्टरों की कितने-कितने वर्षों की सेवायें थीं और इनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने अन्य जातियों के?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हटाये गये सब-इंसपेक्टरों में १० परिगणित जाति के तथा २२ अन्य जातियों के हैं। इनका सेवा काल १ वर्ष २४ दिन से लेकर ७ वर्ष ११ माह तक है।

*१५३—**श्री चिरंजीलाल**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों-वश उपर्युक्त सब-इन्सपेक्टरों की सेवायें टरमिनेट की गई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इनकी सेवाएं समाप्त करने के कई कारण थे जैसे अयोग्यता, संदिग्ध आचरण, रिश्वत लेना, आदि, आदि।

फतेहपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*१५४—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में १९६०-६१ में कितनी डकैती और कत्ल हुये और कितनों में सजा हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला फतेहपुर में सन् १९६० में १५ डकैतियां पड़ीं और ३८ कत्ल हुए। ६ डकैतियों में व ७ कत्ल के मुकदमों में सजा हुई और इसी प्रकार सन् १९६१ में ३० डकैतियां पड़ीं व ५४ कत्ल हुए और ३ डकैतियों में व २ कत्ल के मुकदमों में सजा हुई।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उसमें एक काल्पनिक भय तथा आशंका का उल्लेख है। इसको मैंने अस्वीकार इस बुनियाद पर किया है कि वह किसी हाल में घटित घटना के संबंध में नहीं है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह काल्पनिक तो नहीं है, बराबर लगातार लोग.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये। आप कल दे दीजियेगा, मैं आपको सुन लूंगा और फिर इसको देख लूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास ३, ४ प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं। एक इसमें से माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी का है। यह जिस संबंध में है उससे संबंधित अनुदान पर कल यहां बहस होगी। तो उसमें यह विषय भी रखा जा सकता है। इस कारण मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

एक सूचना माननीय रक्षपाल जी की है। उसमें उन्होंने कुछ कानूनी प्रश्न उठाये हैं। उनका कहना है कि यहां पर अंतरिम जिला परिषदों में कोआपशन की कार्यवाही हो रही है वह कानून की धाराओं के विरुद्ध है। किसी अवैधानिकता के बारे में अदालत में प्रश्न उठाया जा सकता है, अदालत उसको तय करेगी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह तो राजाज्ञा है, उस पर तो हम यहां कह सकते हैं, अदालत में कहां जायेंगे....

श्री अध्यक्ष---राजाज्ञा अगर अवैधानिक है तो उस राजाज्ञा का कुछ मूल्य नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, राजाज्ञा वगैरह के सम्बन्ध में हम कोर्ट में जायं, मगर जो इलैक्शन आदि के संबंध में पिटीशन कमेटी होती है उसका इलैक्शन अभी नहीं हुआ है....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये। जो प्रश्न अल्पसूचित प्रश्नों द्वारा हल हो सकता है उसके लिये आपको वह प्रश्न करना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अगर आप यह कह दें कि हम अल्पसूचित प्रश्न कर दें, तो हम अल्पसूचित प्रश्न दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं। यह नियम ५२ का सवाल है। अल्पसूचित प्रश्नों में सब बातें साफ हो सकती हैं। अवैधानिकता की बात नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं कही जा सकती।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, एक कानून बना हुआ है कि इतने प्रतिशत स्त्रियों को, इतने फलां शख्स को और इतने किसानों आदि को लिया जायगा मगर वैसा नहीं हो रहा है। अब आप कानून का अगर हनन होता है तो यहां ही आ सकते हैं और आप उसके लिये यदि नियम ५२ को ठीक नहीं समझते तो आध घंटे के विवाद के लिये समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---अच्छा हम आपसे बात कर लेंगे और अगर इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस पर विवाद से लाभ होगा तो मैं आज्ञा दे दूंगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, अल्पसूचित प्रश्न अगर देंगे तो उसका जवाब तब तक कैसे मिलेगा? २१ तारीख को तो चुनाव हो जायेगा और आज १७ तारीख हो गयी....

श्री अध्यक्ष---आज हम आप बैठ कर तय कर लेंगे। कल तो सदन बैठेगा।

अब एक प्रस्ताव माननीय नाथूराम जी शिक्षक का आया है। इसको मैंने अस्वीकार किया है। इसमें उन्होंने सरकार के संबंध में कोई बात नहीं लिखी है।

एक और आया है। इसको मैं अवश्य महत्वपूर्ण समझता हूं। यद्यपि मैं नियम ५२ में उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि अल्पसूचित प्रश्न के रूप में मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं और वे कृपा करके इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके सदन को देंगे। यह १४ वर्ष वाली जो बात है उसके सम्बन्ध में है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जिन दफा ५२ के प्रश्नों को आप अस्वीकार कर देते हैं तो क्या उनको सदन के सामने पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—पहले से यही परम्परा चली आयी है कि उनको सुनाने की आवश्यकता नहीं है।

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमनोत्री के तीर्थ मार्गों पर चलने वाली बसों तथा ट्रकों के चालकों की हड़ताल के नोटिस के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब आइटम नं० ६ यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री के तीर्थ मार्गों पर चलने वाली बसों तथा ट्रकों के चालकों की हड़ताल के नोटिस के सम्बन्ध में सर्वश्री झारखंडे राय, विजयपालसिंह तथा नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा दिनांक १० मई, १९६२ को नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माननीय मंत्री का वक्तव्य होगा।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, दफा ५२ के मातहत ध्यान आकर्षित करने का जो प्रस्ताव आया है उसमें यह कहा गया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि यात्रा मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने हड़ताल की धमकी दी है जिसके कारण भयंकर हालत पैदा हो गयी है।

असलियत यह है कि इन यात्रा मार्गों पर चलने वाले ड्राइवरों की तरफ से हड़ताल का कोई नोटिस अभी तक न तो आर० टी० ओ०, न ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और न गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल के मोटर ओनर्स यूनियनों को मिला है। इन मार्गों पर गढ़वाल व टेहरी-गढ़वाल मोटर आपरेटर्स यूनियन्स की गाड़ियां चलती हैं। ऐसी हालत में प्रस्ताव में जिन दिक्कतों का जिक्र किया गया है उनके पैदा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

इन मार्गों पर चलने वाले ड्राइवरों के काम के घंटे मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४५ के मुताबिक निर्धारित हैं। इसके अनुसार एक ड्राइवर के लिये रोजाना ९ घंटे या हफ्ते में ५४ घंटे स्टीयरिंग ड्यूटी मुकर्रर है। आर० टी० ओ०, देहरादून बराबर इस बात को देखते रहते हैं कि ड्राइवरों से मुकर्ररा घंटों से ज्यादा ड्यूटी न ली जाय।

जहां तक ओवर टाइम देने का सवाल है मौजूदा कानून में वहां के ड्राइवरों के लिये इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी जो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट, १९६१ पास हुआ है वह इन यात्रा मार्गों के ड्राइवरों पर लागू नहीं होता। क्योंकि यह ड्राइवर निजी मालिकों के मातहत हैं और ऐक्ट केवल उन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स पर लागू होता है जिनके मातहत ५ या उससे अधिक कर्मचारी हों। यात्रा मार्गों पर चलने वाली गाड़ियां प्राइवेट लोगों की हैं और मोटर यूनियनें केवल यात्रियों की बुकिंग की व्यवस्था करती हैं।

तारीख १०-५-१९६२ को गाड़ियों के इंतिजार में करीब ३ हजार यात्रियों का जमाव ऋषिकेश में था। आर० टी० ओ० द्वारा जांच से यह मालूम हुआ कि इस साल यह कोई असाधारण बात नहीं, क्योंकि इन मार्गों पर चलने वाली बसों की तादाद सीमित है और इस सीजन में यात्रियों का काफी रश होता है। आर० टी० ओ० द्वारा सीजन के लिये टेम्पोरेरी परमिट देने के लिये भी तमाम कोशिशें की गयीं, लेकिन बदकिस्मती से इन मार्गों पर गाड़ियां चलाने के लिये ज्यादा तादाद में लोग तैयार नहीं हुए। दिक्कत यह होती है कि जिस तरह की

[श्री मुजफ्फर हसन]

गाड़ियां मैदानी इलाके में चल सकती हैं वैसी इन मार्गों पर नहीं चल सकतीं और ऐसी गाड़ियों की तादाद जो इन जगहों पर चलायी जा सकें, सीमित हैं। इसलिये वहां चलनेवाली गाड़ियों में ज्यादा इजाफा भी नहीं किया जा सकता।

आर० टी० ओ०, देहरादून मुख्तलिफ मुहकमों से बराबर सम्पर्क करते रहते हैं ताकि हर जगह गल्ले वगैरह की सप्लाई होती रहे। समय-समय पर हालात की जांच-पड़ताल भी होती रहती है। इस समय की हालत यह है कि सरकारी गल्ला गोदामों से यात्रा सीजन भर के लिये गल्ले का स्टाक मौजूद है। फिर भी स्टाक को बढ़ाने की बराबर कोशिश की जाती है ताकि किसी वक्त कोई कमी न पड़ जाये। प्राइवेट एजेंसियों और मुकामी व्यापरियों को भी उन जगहों पर जरूरी सामान पहुंचाने में सरकार द्वारा मदद की जाती है। इन सब बातों को देखते हुए किसी प्रकार भी असाधारण स्थिति की कोई आशंका नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या परिवहन मंत्री जी बतायेंगे कि ड्राइवरों के ९ घंटे काम करने की चर्चा उन्होंने वक्तव्य में की है, तो इस समय ही सीजन होता है बद्रीनाथ जाने का, जबकि वह अधिक काम करते हैं, तो अधिक काम करने का उनको ओवर टाइम मिलता है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह जो गेट सिस्टम इस दफा से एनफोर्स किया गया है उसमें गुंजायश ही नहीं है ९ घंटे से ज्यादा काम करने की।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी को सूचना है कि उस रोड पर जितनी मोटर वेहिकिल्स काम करती हैं सामान का, सवारियों का, आमतौर पर साल भर जो काम करती हैं उसके लिए जितने स्टाफ की जरूरत होती है उतना ही स्टाफ और मोटरें इस वक्त भी काम करती हैं जबकि विशेष समय होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---नहीं उससे तो कुछ ज्यादा है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---जैसा कि स्वयं जांच से पता चला है, ३,००० व्यक्ति ऋषिकेश में बहुत देर तक इकट्ठे रहे तो इस बात को देखते हुए कि देश से हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे होते हैं, सरकार ने कोई अपनी व्यवस्था की, अगर प्राइवेट लोग तैयार नहीं होते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसका प्रबन्ध इतनी जल्दी नहीं हो सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय परिवहन मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि पिछले वर्ष इस यात्रा पर कुछ ऐक्सीडेंट्स हुए थे और सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, तो क्या उस रिपोर्ट पर गाड़ियों के संबंध में विचार किया गया या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने कहा कि वहां खास किस्म की गाड़ियां हैं और कोशिश की गयी कि उस किस्म की गाड़ियां उस रूट पर आयें, लेकिन वैसी मौजूद नहीं हैं और जो मुहइया हो सकीं वही काम करती हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि इस यात्रा पर किस किस्म की गाड़ियों की जरूरत है और वह टेम्पोरेरी परमिट पर उस रास्ते पर लगायी जा सकती हैं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उस टेम्पोरेरी परमिट का जो बन्दोबस्त किया गया था उसी वजह से यह कमी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि इन रास्तों पर खास किस्म की गाड़ियां चलती हैं और उसी वजह से ज्यादा लोग वहां गाड़ियां नहीं लाते।

श्री अध्यक्ष---उनका सवाल यह है कि चूंकि आप टेम्पोरेरी परमिट दे रहे थे इस वजह से ये गाड़ियां नहीं मिलीं या परमानेंट देने के लिये तैयार थे, तब भी नहीं मिलीं।

श्री मुजफ्फर हसन---सवाल तो यह है कि इस वक्त ज्यादा गाड़ियों की जरूरत है सीजन की वजह से, तो टेम्पोरेरी गाड़ियों का सवाल था।

श्री गेंदासिंह---मेरा कहना है कि जिस बात की तरफ सरकार का ध्यान कमेटी ने दिलाया था कि टेम्पोरेरी परमिट की वजह से गाड़ियां नहीं जा सकतीं तो उस पर क्या फैसला किया ? क्या यही कि टेम्पोरेरी परमिट दी जायगी जिसकी वजह से यह कमी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---परमानेंट गाड़ियां जब साल भर चल नहीं सकतीं तो उनको बढ़ाने का यकायक क्या सवाल हो सकता है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी इस बात पर ध्यान रखेंगे कि पिछली बार जब ऐक्सीडेंट्स हुए थे तो यह कहा गया कि ड्राइवरों को बहुत ज्यादा गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, ८ घंटे का नियम है जो कि प्राइवेट ओनर्स पर लागू नहीं हो सकता, तो पिछले अनुभव को देखते हुए और कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए ९ घंटे का नियम प्राइवेट ओनर्स पर भी लागू करने की व्यवस्था करेंगे या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने अपने बयान में अर्ज किया कि वहां आर० टी०ओ० बराबर इसकी निगरानी करते हैं कि ज्यादा ड्यूटी न ली जाय। साथ ही वहां जो नया गेट सिस्टम रायज हुआ है। उसमें इस बात की गुंजायश भी नहीं कि ९ घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जा सके।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी पुनः हमारी पुरानी मांग पर ध्यान देंगे कि उस रास्ते का, जहां पर तीर्थ यात्रा की जाती है, राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय ? राष्ट्रीयकरण करने में कठिनाई क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---बहुत-सी कठिनाइयां हैं, वह तो अलग सवाल है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---यात्रियों की सुविधा को देखते हुये और इस प्रश्न को देखते हुये भी कि सीजन में टेम्पोरेरी परमिट्स पर प्राइवेट लारियां नहीं मिलती हैं, क्या मंत्री जी भविष्य में रोडवेज की कुछ गाड़ियों को वहां चलाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर एक कमेटी बैठी थी जिसकी रिपोर्ट पेश है, वह जेरेगौर है, जब तक उसपर फैसला न हो जाय तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---मंत्री जी ने बताया कि वहां पर कुछ खास किस्म की गाड़ियों की जरूरत होती है, तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जो खास किस्म की गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर्स उनकी तनख्वाह और एलाउन्स में और जो और गाड़ियां चलाते हैं उनकी तनख्वाह और एलाउन्स में कुछ फर्क है ? यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुये उस फर्क को दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वहां तो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, उनकी तनख्वाहों पर सरकार कैसे कन्ट्रोल कर सकती है ?

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन---उसके ऊपर गौर हो रहा है, मुख्तलिफ मुहकमों से उसका ताल्लुक है। जब वह हो जायगा तब शाया होगी।

श्री रामायण (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी उस कमेटी की मुख्य सिफारिशों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---अभी तो वह पब्लिश ही नहीं हो रही है ।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी ने कहा कि ९ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जायगी, लेकिन वहां ९ घंटे की स्टियरिंग ड्यूटी है और १७-१७ घंटे स्प्रेड आवर ड्यूटी करते हैं तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करा देंगे कि १२ घंटे से ज्यादा स्प्रेड आवर ड्यूटी न करें ?

श्री मुजफ्फर हसन---१६ घंटे की ड्यूटी उस तरह की नहीं है । स्टियरिंग ड्यूटी ९ घंटे की है और दो-एक घंटे का और फर्क होता है ।

कुंवर श्रीपाल---अध्यक्ष महोदय, जब तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी तबतक आम राय कैसे मिल सकती है ? मंत्री जी कहते हैं कि राय ली जा रही है तो किसकी राय ली जा रही है ? आप उस कमेटी के सभापति रह चुके हैं, आप कहिये कि पब्लिश करायें ।

श्री अध्यक्ष---(हंसते हुये) अच्छा कह दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत---मंत्री जी ने कहा कि अभी रिपोर्ट जेरेगौर है, इसलिये कोई आश्वासन नहीं दे सकते, तो जो एक और रिपोर्ट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की आई है जिसमें स्पष्ट कहा है कि केवल इस साल ही नहीं बल्कि पहले भी इस तरह से लोग इकट्ठे होते रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ताकि यात्रियों की कठिनाइयां दूर हो सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन---मेलों में इस तरह का रश हमेशा होता है ।

श्री झारखंडेराय---कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन के मातहत, जितनी मोटरें सीमांत प्रदेश के स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट्स और उधर के दूसरे क्षेत्रों में जाती हैं, क्या सरकार उस स्थान के महत्व को देखते हुये कम से कम उन रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं तो इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---जहां तक मुझे ध्यान है, पिछली बार जब इस सदन में बद्रीनाथ के ऐक्सीडेन्ट्स पर विवाद चल रहा था तो यह प्रश्न उठा था कि सरकार इस रूट को ले ले, तो सम्भवतः माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि उसको लेने के लिये सरकार विचार कर रही है । ऐसा एक आश्वासन सरकार ने दिया था कि उस पर सरकार विचार कर रही है और उसमें देर न की जायगी । यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । इतना जरूर बतलाया गया था कि इस बारे में एक कमेटी बैठी हुई है, यह प्रश्न कमेटी के सामने है, उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---अब मुझे एक सूचना देनी है कि रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये विधान सभा द्वारा चार सदस्यों का निर्वाचन होना है, उस निर्वाचन के निमित्त मैंने जो कार्यक्रम निश्चित किया है वह इस प्रकार है---

१---नाम निर्देशन-पत्रों की अन्तिम तिथि तथा समय---२६ मई, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक ।

२—नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२८ मई, १९६२ को २ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में होगी।)

३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—३१ मई, १९६२, सायंकाल ५ बजे तक।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो ६ जून, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा किया जायगा।

मुख्य मन्त्री द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज श्री ए० एन० मुल्ला के एक निर्णय में पुलिस विभाग के विरुद्ध की गयी आलोचनाओं से असहमति प्रकट करने पर सर्वश्री चन्द्रजीत तथा नरसिंहनारायण द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाओंपर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब मैं आदरणीय सदन के समक्ष अपना निर्णय उन दो सूचनाओं के संबंध में दे रहा हूं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने ११ मई, १९६२ को आपको एक दरख्वास्त दी थी कि इसके पहले कि आप अपनी कोई व्यवस्था दें हमारे मूल विशेषाधिकार के प्रश्न पर, कृपा करके एडवोकेट जनरल की राय, इस बारे में हासिल कर लें। नहीं तो माननीय एडवोकेट जनरल को इस बात के संबंध में अपने विचार रखने का मौका दें, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है और इस एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के प्रश्न पर आपकी जो व्यवस्था होगी वह एक इतिहास की चीज होगी तो उसके देने से पूर्व एडवोकेट जनरल की राय भी सदन को जानने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने एक पत्र मुझे अवश्य दिया था जिसके अध्ययन के पश्चात् मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस सदन में इस संबंध में माननीय एडवोकेट जनरल को बुला कर उनके मत को प्राप्त करना मैं आवश्यक नहीं समझता। ऐसी दशा में माननीय नरसिंहनारायण द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने में मैं असमर्थ रहा हूं और जो कुछ साधारण योग्यता मुझ में है उसके अनुसार मैंने जो निर्णय विचार करके लिया, उसको पढ़ देना चाहता हूं।

दो सूचनायें, एक श्री नरसिंहनारायण पांडेय जी की और दूसरी माननीय श्री चन्द्रजीत यादव जी की, दिनांक ७ मई, १९६२ की हैं। इन दोनों में सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस आधार पर उठाया गया है कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त ने नियम २८९(२)(ख) जो कि अंग हमारी नियमावली का है, भंग किया है और उस नियम का अतिक्रमण हुआ है। उनका तर्क यह है कि पुलिस अनुदान पर विवाद होते समय ४ मई, १९६२ को इस माननीय सदन के समक्ष मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में श्री ए० एन० मुल्ला के उस निर्णय के उन वास्तविक तथ्यों के संबंध में चर्चा व आलोचना की, जो कि उच्चतम न्यायालय में अपील द्वारा विचाराधीन हैं।

श्री यादव जी की सूचना में विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में एक अतिरिक्त आधार यह भी लिया गया है कि मुख्य मंत्री जी श्री चन्द्रभानु गुप्त ने संविधान के अनुच्छेद २११ का भी उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय

[श्री अध्यक्ष]
के न्यायाधीश अर्थात् श्री ए०एन० मुल्ला के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में चर्चा की है। हमारी नियमावली के नियम २८९(२)(च) इस अनुच्छेद के समान प्रतीत होता ही है कदाचित् हमारा नियम २८९ व्यापकता की दृष्टि से उक्त अनुच्छेद से अधिक विस्तृत है। नियम २८९ द्वारा उस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जो बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय सदस्यों द्वारा पालनीय है।

पहला प्रश्न निर्णयार्थ इस प्रकार है—

क्या नियम २८९ के खंड २ के अंश (ख) के भंग करने से इस सदन के विशेषाधिकार की अवज्ञा होती है या केवल औचित्य प्रश्न अर्थात् उससे केवल व्यवस्था के प्रश्न का प्रादुर्भाव होता है ?

नियम २८९(२) (ख) हमारी नियमावली के अध्याय २० के अन्तर्गत विद्यमान है और उसका शीर्षक है "बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम" जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं। हमारी नियमावली का नियम ३०० भी इसी नियमावली के अध्याय २० में दिया हुआ है। नियम ३०० में औचित्य प्रश्न (point of order) की व्याख्या दी गयी है, तथा उस प्रक्रिया का भी समावेश किया गया है जिसके अनुसार औचित्य प्रश्न का निर्णय किया जाता है। खंड १ में कहा गया है कि औचित्य प्रश्न वह होगा जो नियमावली के नियमों के निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में हो या संविधान के अनुच्छेदों के निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में हो जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो और जिसमें ऐसे प्रश्न उठाये जायें, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हों। खंड ३ में अध्यक्ष को ऐसे प्रश्नों के विनिश्चय करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। खंड ५ में स्पष्टतः उपबन्धित है कि औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

दुर्भाग्यवश, ४ मई, १९६२ को जबकि पुलिस अनुदान पर इस सदन में विवाद हो रहा था और इसी प्रकरण में जब श्री चन्द्रभानु गुप्त बोल रहे थे, किसी माननीय सदस्य ने मुझे यह सूचना देने की कृपा नहीं की कि माननीय जज श्री मुल्ला के निर्णयान्तर्गत वास्तविक तथ्य उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण विवाद का क्षेत्र वर्जनीय है मुझे भी उस समय इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं था अन्यथा इस विषय पर संतुष्ट होकर कि नियम २८९(२)(ख) के प्रतिबन्धों का उल्लंघन हो रहा है मैं स्वयं उस समय आक्षेपार्ह चर्चा को रोक देता।

सदन में इन सूचनाओं पर चर्चा के समय भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण आदेशों की एक संकलन पुस्तिका के पृष्ठ १७१ पर अंकित उद्धरण के प्रति मेरा ध्यान इस सदन के माननीय सदस्यों ने आकृष्ट किया। इस आदेश के आधार पर बहस यह हुई कि नियमावली के किसी भी नियम के उल्लंघन करने से विशेषाधिकार की अवज्ञा का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। किन्तु उस व्यवस्था को पूरा पढ़ने के पश्चात मेरा यह मत स्थिर हुआ है कि अध्यक्ष महोदय ने कुछ विशेष संदर्भ में एक बात कही थी जिससे उपर्युक्त बहस का समर्थन नहीं होता अपितु सूक्ष्म अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल नियम के भंग होने से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि माननीय सदस्य विवाद के आवेश में अथवा अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष बलपूर्वक रखने के उत्साह में चर्चाधीन विषय से हटकर असंगत चर्चा कर दें, या बिना अध्यक्ष के पुकारे हुये बोलने लगें, अथवा जब अध्यक्ष सदन को संबोधित कर रहे हों, तब बोल उठें अथवा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई बात कर बैठें, इन सब अवसरों पर अध्यक्ष ऐसे सदस्यों को नियंत्रित कर सकते हैं और वहीं पर त्रुटि स्वतः समाप्त हो जाती है और कोई विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती। इस बात की पुष्टि उपर्युक्त संकलन से भी होती है।

यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न असतर्कता से अथवा अज्ञानता के कारण तत्काल नहीं उठाया जाता और इस प्रकार भूल हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उस भूल को विशेषाधिकार के रूप में नहीं उठाया जा सकता। इस बात की पुष्टि उपर्युक्त संकलन पुस्तिका के पृष्ठ ३७ पर अंकित

व्यवस्था से भी होती है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम २८९(२)(ख) के भंग होने पर व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके संबंध में तत्काल आपत्ति उठानी चाहिये अन्यथा उस आधार पर न व्यवस्था का और न विशेषाधिकार का प्रश्न बाद में उठाया जा सकता है।

सम्प्रति माननीय जज, श्री ए० एन० मुल्ला का निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय में प्रविष्ट अपील के तथ्यों के पढ़ने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो वास्तविक तथ्य व प्रश्न श्री ए० एन० मुल्ला के समक्ष विचाराधीन समुपस्थित थे, वही उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। अतः मैं समझता हूं कि इस सदन में जो कुछ उल्लेख श्री ए० एन० मुल्ला के निर्णय के संबंध में हुये हैं, वे नियम विरुद्ध हैं। अतः मैं आदेश देता हूं कि श्री ए० एन० मुल्ला के निर्णय से संबंधित समस्त चर्चा, जो ३ व ४ मई, १९६२ को पुलिस अनुदान के संबंध में हुई हैं, कार्यवाही से निकाल दी जायं। फलस्वरूप जो मेरा निर्णय माननीय बीपनारायणसिंह की आपत्ति पर दिया गया था, वह भी निकाल दिया जायगा।

उपर्युक्त आदेश के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद २११ के उल्लंघन के बारे में कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुच्छेद २११ हमारी नियमावली के नियम २८९(२)(च) के अन्तर्गत कवर्ड है। हमारी नियमावली के नियम ३०० में संविधान के अनुच्छेदों का भी उल्लेख है कि जिनसे सदन का कार्य विनियोजित होता है। अनुच्छेद २११ संविधान के उस प्रकरण में आता है कि जिसका शीर्षक है "साधारणतया प्रक्रिया" (देखिये अनुच्छेद २०८ का शीर्षक) अतः अनुच्छेद २११ भी हमारी नियमावली के नियम ३०० के अन्तर्गत आ जाता है और उसका अतिक्रमण भी व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है न कि विशेषाधिकार की अवज्ञा के रूप में।

यदि हम अपने नियमों से असम्बद्ध करके संविधान के अनुच्छद २११ को देखे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुच्छेद का मंशा यह नहीं है कि हमारी न्यायपालिका समस्त आलोचनाओं से विमुक्त कर दी गयी है। तथ्य तो यह है कि केवल आलोचनाओं का गला घोंटने से न्यायालयों में जनता का सहज विश्वास उत्पन्न नहीं होता किन्तु यह भी सत्य है कि आलोचना का संयमित होना आवश्यक है। यदि ऐसी आलोचनायें युक्तिसंगत प्रतर्क के रूप में प्रस्तुत की जावें, सद्विवेक (good faith) से प्रेरित हों और न्यायालय की नियत पर आरोप न लगाती हों अर्थात् कन्डक्ट को स्कैंडलाइज न करती हों, तो ऐसी आलोचनायें संयत समझी जावेंगी।

इस संबंध में अध्ययन करते हुये कुछ इंगलिश केसेज, प्रिवी काउन्सिल के केसेज और सुप्रीम कोर्ट के केसेज को भी देखने का अवसर मिला। तो मैं आपके समने अंग्रेजी में वे उद्धरण पढ़ देता हूं, बाद में हिन्दी में उनका अनुवाद कर दूंगा। मैंने अंग्रेजी में लिखा था--

"Independent of our rules, I feel that Article 211 of our Constitution does not purport to provide that the Judiciary is above criticism. Indeed it is not by stifling criticism that confidence in Courts can be created. The limitations imposed on such criticism are that it must take the form of reasonable argument, it must be made in good faith and it must be free from the imputation of improper motives, i.e. it must not scandalize the conduct of a judge."

इसका अनुवाद मैंने सुना ही दिया है।

"In an English case Reg., *Vs.* Gray (1900) 2 Queen's Bench 36 it was observed Judges and Courts are alike open to criticism and if reasonable argument or expostulation is offered against anv iudicial act as Contrary to

[श्री अध्यक्ष]

law or the public good no court would or could treat that as contempt of Court."

इसका अर्थ यह है न्यायाधीश और न्यायालय दोनों ही की आलोचना की जा सकती है यदि उनके न्यायिक कृत्यों की समालोचना युक्तियुक्त प्रतर्कों सहित प्रस्तुत की जाय, इस आधार पर की जाय कि वह विधि के विरुद्ध है, यानी कानून के विरुद्ध है या जनहित के प्रतिकूल है, तो कोई अदालत ऐसी आलोचना को कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं समझेगी ।

फिर इसके पश्चात् १९३६ में विलायत की प्रीवी काउन्सिल के सामने यह प्रश्न आया और उन्होंने अमवर्ड्स केस में कहा—

"But whether the authority and position of an Individual Judge or the due administration of justice is concerned, no wrong is committed by any member of the public who exercises the ordinary right of criticising, in good faith, in private or public, the public act done in the seat of justice. The path of criticism is a public way. The wrong headed are permitted to err therein; provided that members of the public abstain from pimputing motives to those taking part in the administration of justice, and are genuinely exercising a right ot criticism and not acting in malice or attempting to inipair the administration of justice, they are immune, Justice is not a cloistered virtue. She must be allowed to suffer the scrutiny and respectful, even though out spoken, comments of ordinary men."

इसका अर्थ यह है कि यद्यपि किसी विशेष न्यायाधीश अथवा न्याय व्यवस्था अधिकार व मर्यादा से संबंधित हो कोई प्रश्न तो भी साधारण जनता, कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यदि वह निजी रूप में अथवा सार्वजनिक रूप में न्यायपीठ के सार्वजनिक कार्यों की नेकनीयत से आलोचना करता है (The path of criticism is a public way) आलोचना का पथ ही तो सार्वजनिक मार्ग है । शर्त यह है कि साधारण जन न्याय व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों पर बदनियती का आरोप न लगायें और नेकनियती से आलोचना करने के अधिकार को प्रयोग में लायें, द्वेष की भावनाओं से प्रेरित न हो और न न्याय व्यवस्था को शिथिल करने की भावना से यह आलोचना ही करें तो वह निर्दोष है । न्याय मठ संरक्षित पवित्रता नहीं है । उस पवित्रता को बाहर निकाल कर जनता के निरीक्षण और परीक्षण का सामना करना पड़ेगा । यद्यपि यह सही है कि इस निरीक्षण और परीक्षण को नम्रतापूर्वक होना चाहिये ।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी यह प्रश्न आया था और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कहा वह यह है—

"The reflection on the conduct or character of a Judge in reference to the discharge of his judicial duties would not be contempt if such reflection is made in the exercise of the right of fair and reasonable criticism which every citizen possess in respect of public acts done in the seat of justice. It is not by stifling criticism that confidence in court can be created."

यह वही शब्द हैं जो प्रीवी कौंसिल में और क्वींस बेंच में प्रयोग में लाये गये हैं उनका अर्थ भी वही है ।

एक सदस्य—उन्होंने good faith में कहा था ।

श्री अध्यक्ष—इस सिलसिले में एक बात ध्यान रखने की है । वह यह है कि ए० एन० मुल्ला, जज के निर्णय के उपरान्त जस्टिस धवन ने इस विषय के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं । उस निर्णय को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जज एक ही विचार के नहीं थे जहां तक कि उन शब्दों का प्रश्न है जिनको कि इस सदन ने इस पुलिस की बहस के संबंध में उल्लिखित किया है ।

अब मेरा निवेदन यह था कि यदि अनुच्छेद २११ का इन्टरप्रिटेशन यह किया जाय कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की विधान सभाओं को न्यायाधीश के न्याय कृत्यों की आलोचना करने का उतना भी अधिकार नहीं है जो कि किसी भी एक साधारण नागरिक को प्राप्त है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा इन्टरप्रिटेशन अत्यन्त असंगत होगा । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद २११ केवल न्याय, कदाचार और घोर असमर्थता तक ही सीमित है । अर्थात् २११ की मंशा यह है कि न्याय कदाचार, जुडिशियल, मिसबिहेवियर इन दि कांडक्ट आफ दि जज, तथा ऐबसोल्यूट इनकेपिसिटी टु डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज के आरोप लगाये जांय तो कदाचित अनुच्छेद २११ ऐसी बात को वर्जित करेगा, वरना जो साधारण अधिकार जनता के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं वह इस सदन को होने चाहिये ऐसा मेरा मत है । जो भी हो, इस विषय में अधिक विवेचना करने की आवश्यकता इस कारण से नहीं है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि इस संबंध में हमारे नियमों द्वारा आरोपित पालनीय प्रतिबन्धों के हम पाबन्द हैं । विवाद के समय भूल के कारण उन नियमों का अतिक्रमण हो गया । आक्षेपार्ह अंश को कार्यवाही से निकाल दिये जाने के आदेश के पश्चात मैं समझता हूं कि और कोई इस संबंध में कार्यवाही करनी शेष रह नहीं जाती । सदन में वाक स्वतंत्र होते हुये भी अनियन्त्रित नहीं होना चाहिये, किन्तु ऐसे वाक् स्वतन्त्र के अति प्रयोग से विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती । अतः मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो विशेषाधिकार की सूचनायें हैं वे स्वीकार करने योग्य नहीं हैं और मैं उन्हें अस्वीकृत करता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । पांच मिनट हमारा निवेदन सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने आपसे निवेदन किया । एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है । यही प्रश्न है कि क्या नियमों के विरुद्ध बोलना ही विशेषाधिकार की अवहेलना है ? एक निर्णय दे देने के बाद, अगर उसी संबंध में आप कुछ कहना चाहें तो क्या आप स्वयं विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में बोलकर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा नहीं करते हैं ?

श्री उग्रसेन—आपको सजेस्ट नहीं करना चाहिये था । कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी कि माननीय अध्यक्ष विशेषाधिकार के प्रश्न की राय देते हों । (व्यवधान) में तो बिल्कुल २११ में निवेदन करना चाहता हूं । जो आपने कहा है उसी के तहत में कहना चाहता हूं । जरा मुख्य मंत्री का भाषण आप देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—मैंने निवेदन किया कि जहां तक अवहेलना के प्रश्न का संबंध है वह तो समाप्त हो गया ।

श्री उग्रसेन—वह तो समाप्त हो गया मगर हमारी दो, तीन बातें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—वह कैसे सुन लें ? वह तो फिर से विषय को खोलना होगा ।

श्री उग्रसेन—२११ में कांडक्ट आफ जज के बारे में है ।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ३१८ की ओर आकर्षित करता हूं । (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—दूसरी बात यह है कि मैं 'मे' से पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं 'मे' पढ़ चुका हूं, आप बैठिये ।

श्री उग्रसेन--मैं यह बता दूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अनुच्छेद २११ के अन्तर्गत था। मुख्य मंत्री जी का भाषण एक जज के कांडक्ट के ऊपर आक्षेप था। और चौथी बात यह है कि हमारी प्रार्थना यह थी कि आप ऐडवोकेट जनरल की राय दिलायें, लेकिन यह व्यवस्था आपने नहीं की। और जो सब से बड़ी बात आपने नहीं की वह यह कि आपने मुख्य मंत्रीजी से जवाब नहीं तलब किया। श्रीमन्, औचित्य का प्रश्न होता तो माननीय अध्यक्ष उसी समय टोक देते। मगर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य बता सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष ने टोका नहीं था।

श्री अध्यक्ष--अब आप बठिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--श्रीमन्, जो आपने व्यवस्था दी उस संबंध में मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक तरफ तो आपने यह कहा कि जब जनता के व्यक्ति को अधिकार है तो सदन को भी होना चाहिये और दूसरी तरफ आप सदन की प्रोसीडिंग्स को एक्सपंज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा अधिकार भी मानते हैं, तो कौन सी बात सही है, इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, अभी आपने व्यवस्था देते हुये कहा कि इसमें मेरी व्यवस्था भी निकाल दी जायगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपकी दी हुई व्यवस्था कैसे निकाल दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जाइये। आपकी आपत्ति मैंने सुन ली।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग की हम बहुत इज्जत करते हैं, यह जाहिर है और जो कुछ आपने कहा उसको हमने बहुत गौर से सुना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक असली सवाल का आपने जिक्र तक नहीं किया यानी यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि आपने जनरल तरीके से इस केस को लिया है। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उस समय ऐसी राय दी जा सकती है या नहीं ? मैं उम्मीद करता था कि आपकी स्पष्ट रूलिंग होगी।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है जैसा कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने सवाल उठाया है कि जब आप अपनी रूलिंग एक्सपंज करा रहे हैं तो स्पष्ट है कि कोई गलती हुई है और गंभीर गलती हुई है जिसकी वजह से यह चीज की जा रही है और उसके बाद यह कह देना कि आपका अधिकार है जुडीशियरी को एक सीमित तरीके से क्रिटिसाइज करने का और जो कुछ हुआ उसके कोई माने नहीं हैं. मैं इस कंट्राडिक्शन को समझ नहीं सका। हम आपकी इज्जत करते हुए और फैसले की महत्ता को देखते हुये और इसको देखते हुये कि इसका असर जुडीशियरी पर पड़ेगा, आपको मान्यता देते हुये, हम आपकी व्यवस्था से सहमत नहीं हैं। हमारी मांग यह थी कि प्रिविलेज कमेटी को यह चीज निर्दिष्ट की जाय। लेकिन आपने रूलिंग दे दी है। इसलिये हम गुजारिश करेंगे कि आध घंटे के लिये हाउस का हम त्याग करना चाहते हैं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के समस्त सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री उग्रसेन--माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से माफी मंगवा दें।

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, उग्रसेन जी, ब्रीच आफ प्रिविलेज स्वयं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अब यह खत्म हो गया।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, हम सोशलिस्ट पार्टी की ओर से घोषणा करते हैं कि हम एक घंटे के लिये सदन छोड़ते हैं। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—जो सदन छोड़ना चाहें जा सकते हैं।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुत गौर से जो कुछ आप ने व्यवस्था दी उसको सुनता रहा। मैं चाहता था कि जिस समय नरसिंह नारायण जी ने कहा था कि एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाय उस समय आप का ध्यान दिलाऊं। यह बहुत ही पेचीदा मामला है और ऐसा पेचीदा मामला इधर दस साल के अन्दर हमारे सामने कभी नहीं आया। श्रीमन्, मैं आप से कुछ अपनी मजबूरी बता दूं कि कानून वाले मामले में उतना ज्ञान मेरा नहीं है जितना ज्ञान माननीय कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल या आप का हो सकता है। जुडिशियरी को कुछ कहते हुये हम लोगों को दस मर्तबा संकोच करना पड़ता था कि हम लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। यह एक डिपार्चर है हमारी सारी मान्यताओं से, पिछले दस, पन्द्रह या पच्चीस वर्षों से जो चली आ रही थी। इसलिए ऐसे मामलों में अगर हमारी यह इच्छा थी या माननीय नरसिंह नारायण जी की इच्छा थी कि ऐडवोकेट जनरल को सुन लिया जाय तो आप को, श्रीमन्, उस इच्छा को पूरा करना चाहिए था। सम्भव है कि माननीय एडवोकट जनरल आपकी रूलिंग का समर्थन करते और इससे मैं यह समझता हूं कि आप बहुत मजबूत होते, और मजबूती के साथ अपनी रूलिंग को देते और हमारी कोई शिकायत आप से नहीं रह जाती। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में जब कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न सामने हो, उस वक्त जरूर हमारी इस बात को ध्यान में रखना चाहिये था। चाहे हम अल्पमत में हों, लेकिन यह मामला मुख्य मंत्री जी से सम्बन्ध रखता था, एक इस सदन के बड़े आदमी से सम्बन्ध रखता था, इस सदन के नेता से सम्बन्ध रखता था। इसलिये उसमें जितनी भी ताकत माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ आ सकती थी उसको आने का मौका श्रीमन्, आपको देना चाहिए था।

मैं फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं हो सकता है कि परम्परा न हो, लेकिन परम्परा तो आप ही बनायेंगे, आज एक तरफ से सारे विरोधी दल की यह इच्छा है कि आप एडवोकेट जनरल को मौका दें, उनसे इस सम्बन्ध में सलाह लें। आप रूलिंग दे चुके हैं। लेकिन किसी भी रूलिंग को पेंडिंग रखने का श्रीमन् को अधिकार है। आप उस रूलिंग को पेंडिंग रख सकते हैं, वापस ले सकते हैं, कुछ दिन के लिये फिर अपने अख्तियार में रख सकते हैं। तो मेरी आप से यह दरख्वास्त है कि आप उस को इस वक्त वापस ले लें। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और एडवोकेट जनरल को सुनने का मौका दें। उनकी राय सुनने के बाद जो कुछ भी आप वाजिब समझें वह करें।

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता था कि वह सदन त्याग करने के लिए यह कह रहे हैं। लेकिन अब जो आपने कहा है कि एक व्यवस्था देने के पश्चात् कोई प्रश्न नहीं उठता कि मैं किसी और की राय लूं या कोई और बात करूं, वह ठीक है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आप की रूलिंग हुई। वह हम सब को शिरोधार्य है। परन्तु कुछ इसके अन्दर ऐसी दो बातें हैं कि जो मैं नहीं समझ

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

पाया। एक तो जो आपने सुप्रीम कोर्ट के और प्रिवी कौंसिल के केसेज कोट किये उसमें बड़ा क्लिअरली है कि जुडिशियल कान्डक्ट का क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मन्त्री जी का एक वाक्य है उनके भाषण में कि उनमें सन्तुलन नहीं है। वह बड़ा क्लिअरली जुडिशियल कान्डक्ट को ही इम्पिंज करता है और उसके बाद फिर श्रीमन्, यह जो होल्ड किया---मैं चैलेन्ज नहीं करता, मैं अपने समझने के लिए और अपने सन्तोष के लिये स्पष्टीकरण चाहता हूं--कि कोई जुडिशियल कान्डक्ट का इम्पिंजिंग नहीं हुआ, वह मैं समझ नहीं पाया क्योंकि सन्तुलनविहीन होने का अर्थ है अनबैलेंस्ड माइंड का होना।

श्री अध्यक्ष---आप उसे पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आप को संतोष हो जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी पूरी बात भी कह दूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा, यह एक ऐसा मामला है कि जिसका सब तरफ असर पड़ेगा, चाहे जिस तरफ आप इसको होल्ड करें और माननीय मुख्य मंत्री जी जैसे व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात आये तो उसका असर सब तरफ होगा। इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप अपनी रूलिंग पर फिर से विचार करें क्योंकि आप स्वयं समझते हैं कि इस केस के ऊपर किस प्रकार की भावनायें और किस प्रकार के विचार लोगों के अन्दर खड़े हो गये हैं और उस पर आप इतनी जल्दी रूलिंग दे दें उससे अच्छा यह होगा कि आप उस पर पुनर्विचार करें और कम से कम जो ला की हायेस्ट एथारिटी है--ऐडवोकेट जनरल--इस सूबे के अन्दर, उसको अपना मत, लीगल दृष्टि से ही क्यों न हो, सदन में देने का अवसर अवश्य दें। उसके लिए कोई जल्दी नहीं है, दो दिन, चार दिन, छः दिन बाद उसके सारे इम्प्लीकेशंस पर विचार करते हुए और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपना निर्णय दे सकते हैं। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप इस रूलिंग पर फिर से विचार करें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, आप की इस व्यवस्था के बाद ३, ४ प्रश्न लगातार सम्बन्धित रूप से उठ रहे हैं जो वैधानिक और लीगल इन्टरप्रिटेशन के होने से आपसे मैं पूछना चाहता हूं। पहला यह है कि एक विषय पर व्यवस्था देने के बाद विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित हो जाने पर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को अभियुक्त बन जाने के समय तथा आरोप-पत्र उपस्थित हो जाने के समय क्या आप को अपनी पुरानी व्यवस्था के एक्सपंज करने का अधिकार है या नहीं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन फैसले के बारे में जज महोदय के फैसले के विषय में, यह कहना कि वह 'वास्तविकता से परे है और संतुलन से परे है' यह शब्द विशेषाधिकार अवहेलना के अन्तर्गत आते हैं या नहीं ?

तीसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यहां पर किसी अभियुक्त को मुक्त करने के लिये पूरी कार्यवाही से इन तमाम शब्दों को एक्सपंज कर देना क्या माननीय सदस्यों की भाषण स्वतंत्रता के अधिकार पर आक्षेप करना है या नहीं, क्योंकि इस सदन में सभी सदस्यों को उचित आलोचना करने का अधिकार है ?

चौथी बात यह है कि आपको अथारिटी हमारी तरफ से मिली हुई है और यह सदन सुप्रीम निर्णय की पावर रखता है। आप की इस व्यवस्था की अपील को सुनने का और उस पर निर्णय देने का अन्तिम अधिकार इस सदन को है। आपकी व्यवस्था भी यदि अपीलेबिल है तो इस सदन में है क्योंकि आप को यही सदन निर्वाचित करता है। हम अकेले अलग-अलग नहीं करते हैं। अगर आप की व्यवस्था पर अन्तिम फैसला देना होगा, जिसकी कहीं अन्य जगह अपील नहीं है, तो यह सिर्फ इस हाउस के सदस्यों को ही अधिकार है। किसी लेजिसलेशन को पास करने की पावर इस हाउस को है, तो उसी प्रकार से विशेषाधिकार अवहेलना का अन्तिम

फैसला भी यही हाउस कर सकता है या नहीं ? अन्यथा आप अकेले ? इन प्रश्नों पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब मैं किसी और को सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आप के फैसले की आलोचना नहीं करना चाहता किन्तु उसके ऊपर आप से दो बातें व्यवस्था के रूप में पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा---मैं कुछ कानून की बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको बता जाऊं। आप सुनिये। जितनी भी यहां पर बातें हुई हैं उस सम्बन्ध में मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे निर्णय को जब पढ़ेंगे तो इन सभी बातों का उल्लेख उसमें है। यह बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई है कि २८९ (२) के (ख) का उल्लंघन हुआ है। माननीय सदस्यों को और न मुझे इस बात का पता था कि विषय विचाराधीन था और इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की गई। अब आप कार्यवाही को देख लीजिये। उसमें आप को मालूम हो जायगा कि जो आपत्ति की गई दीपनारायण सिंह जी द्वारा वह २११ में थी न कि विचाराधीन बात के बारे में। उनके शब्द यह हैं कि जो फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है क्या उसके ऊपर आलोचना हो सकती है ? उस समय यह आपत्ति की थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो चुकी है। तो अब वह प्रश्न समाप्त हो गया। मेरा आप से निवेदन यही है कि जैसा जेड० ए० अहमद साहब ने कहा और माननीय दीपनारायण सिंह जी ने कहा उन सब बातों के विषय में जब आप मेरे निर्णय को पढ़ लीजियेगा तो इस परिणाम पर पहुंचियेगा कि इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर इन दोनों बातों के सम्बन्ध में निर्णय में स्पष्ट कर दिया गया है। उस निर्णय को पढ़ लेने के बाद मेरा विश्वास है कि जो आपके प्रश्न हैं उनका समाधान स्वयं हो जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा---मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा---मेरा भी एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष---अब इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री नेकराम शर्मा---यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष---अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा---यदि आप आज्ञा दें तो मैं सदन के समक्ष एक बात कह दूं कि सारे सदन का कोर्ट बने और उसमें आप के निर्णय की मुझे अपील करने की इजाजत दी जाय। आप ने कहा था कि यह मामला पेंडिंग है और इसके साथ ही श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी ने मिसकोट किया है.....

श्री अध्यक्ष---पहले आप निर्णय पढ़ लीजियेगा और अगर उसमें कोई खामी होगी तो उसकी अपील कर लीजियेगा।

अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक पर विवाद होगा।

(व्यवधान)

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, हमें भी अब विवश हो कर आपका आदर करते हुए सदन का त्याग करना पड़ रहा है।

(प्रजा समाजवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, यह तो बतला दीजिये कि जो बयान एक्सपंज किया जा रहा है उसके बारे में क्या किया जायगा?

श्री अध्यक्ष---आप उसे देख लीजियेगा। वह आप को मिल जायगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १९---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---जन-स्वास्थ्य

***समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)**---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९---चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४,५१,२३,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०---जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४,३६,०८,६०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जो दो अनुदान मैंने पेश किये हैं उनमें एक चिकित्सा का है और दूसरा जन-स्वास्थ्य का है। जो कार्यवाही दोनों विभागों द्वारा की गई है उसका विवरण एक पुस्तिका के रूप में माननीय सदस्यों के सामने रख दिया गया है। उसमें यह बतलाया गया है कि पिछले साल क्या क्या कार्यवाही की गयी। उसकी आलोचना माननीय सदस्यगण करेंगे और उसका फायदा हम आगे आने वाले वर्ष में उठायेंगे और इसमें जो कार्यवाही की जायगी उसमें उनके सुझावों का ध्यान रखा जायगा। जो आइन्दा साल की हमारी स्कीम्स हैं और जो कार्यवाही होने वाली है उस को बजट के रूप में पेश किया गया है। बजट के अंक ३ में दो भाग हैं, एक प्लान्ड आइटम्स का और दूसरा नान-प्लान्ड आइटम्स का। प्लान वाले भाग में यह बतलाया गया है कि हमारी नयी स्कीम्स क्या हैं। जिन नयी स्कीमों को सरकार की तरफ से पेश किया गया है और जिन पर कार्यवाही करने की जरूरत है उनको हम मुफस्सिल में दोहराना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि बजट पर जो वादविवाद होता है उसका खास मकसद यह है कि सारे सदन के सदस्य बिला लिहाज पार्टी के अपने-अपने सुझाव दे सकें और उन पर गौर किया जाय और मैं यह समझता हूं कि आज के ही दिन नहीं, बल्कि किसी दिन भी यह सुझाव आ सकते हैं। यह दोनों विभाग ऐसे हैं कि जिनको जनता के सहयोग की आवश्यकता है और सारे सदन के सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है तभी इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो सुझाव इन के लिये किसी भी वक्त दिये जा सकते हैं और अगर वे कांक्रीट सुझाव होंगे तो उनको पूरा करने की कोशिश हमेशा सरकार की तरफ से की जाती है और की जायगी। स्वास्थ्य की समस्या बहुत कठिन समस्या है क्योंकि पहले तो यह खयाल था कि जो अस्पताल हैं उनका यही काम है कि जो बीमारी हो उसको दूर किया जाय, लेकिन जैसे ही हमने अपने प्लान को बनाया, और समझा गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद यह सोचा गया कि इसके दो भाग हैं, एक तो यह कि जो बीमारी हो उसको दूर किया जाय तथा दूसरे यह कि हम जन-स्वास्थ्य की रक्षा करें और ऐसा काम करें जिससे स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो अब जो अस्पताल हैं उनके दो काम हैं—बीमारी को दूर करना और जन-स्वास्थ्य की रक्षा करना।

अब खास तौर से काम तो हमें देहातों में करना है और उसी खयाल से यह स्कीम बनाई गई है कि हर ६६ हजार की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कायम किया जाय और ऐसे करीब ८३९ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हम कायम करेंगे और हर सेन्टर में हमारी एक डिस्पेन्सरी होगी जिसमें यह दोनों काम किये जायेंगे, उस डाक्टर के द्वारा, जो वहां होगा। वह बीमारी और जन-स्वास्थ्य दोनों की ओर ध्यान देगा। सन् १९६१-६२ तक ऐसे ५६० सेन्टर कायम हो चुके हैं और वे अभी जारी हैं।

अब एक प्रश्न इन हेल्थ सेन्टरों पर डाक्टरों की कमी का है। जो हमारी रिपोर्ट पेश की गयी है उसमें तथा बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे यहां बहुत से अस्पताल डाक्टरलेस हैं और उस प्रश्न पर हमें विशेषतौर से विचार करना है। कम से कम ३०० ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कि डाक्टर नहीं हैं। देहातों में डाक्टरों की कमी को देखते हुये सरकार ने यह किया है कि जो पी० एम० एस० (ट) के डाक्टर देहातों में जाते हैं उन्हें उनके वेतन के अलावा ७० पये और पब्लिक हेल्थ के देते हैं। हमने उनका ग्रेड भी बढ़ा दिया है। उसको २००-४०० रु० के स्थान पर २३५-६०० रु० तक कर दिया है। फिर हमने, जो हमारे ३ मेडिकल कालेज हैं आगरा, कानपुर और लखनऊ, उनमें हमने दो, दो स्कालरशिप की भी व्यवस्था की है। यह उन लड़कों को दी जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र से या देहाती क्षेत्र से आते हैं। उनको ६० रुपया मासिक दिया जाता है और यह शर्त लगा दी जाती है कि वे एम० बी०, बी० एस० करने के बाद ५ साल तक किसी पहाड़ी इलाके में या देहातों की डिसपेन्सरी में कार्य करेंगे। इसके अलावा हमने पी० एम० एस० (टू) में भर्ती करने की अपर एज लिमिट को भी रिलैक्स कर दिया है और जब पी० एम० एस० (टू) में भर्ती के लिये डाक्टर आते हैं तो हम किसी भी आयु का हो, उसको भर्ती कर लेते हैं। हमने इन मेडिकल कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या भी काफी बढ़ा दी है। कानपुर में वह संख्या १०० से १५० कर दी गई है और आगरे में ७५ से १०० कर दी गयी है। इस तरह से हमने उनकी तादाद बढ़ा दी है और अब यह भी कर दिया है कि जो बी० एम० बी० एस० के लड़के पास हों उन्हें भी भर्ती कर लिया जाया करे। हमने फिर एक नया यू० पी० मेडिकल सर्विस ग्रेड (टू), एक्स-कैडर सर्विस, कायम कर दिया है जिसमें यह है कि कोई एम० बी०, बी० एस० डाक्टर जहां चाहे, अपनी पसन्द की देहाती डिस्पेन्सरी में काम करना शुरू कर सकता है और उसके लिये हम तैनाती के समय ५ इन्क्रीमेन्ट्स भी दे सकते हैं। इस तरह से वह ३ वर्ष तक काम करेगा और ३ वर्ष के बाद उसको और एक्सटेन्शन दिया जायेगा। इसके बाद इस दरम्यान में अगर वह चाहें तो परमानेन्ट हो सकते हैं। इतना काम तो पहिले किया जा चुका है और अब मौजूदा हालत में यह सोचा गया कि नान-प्रैक्टिसिंग एलाउंस दिया जाय। चूंकि देहातों में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होती और डाक्टर्स शायद इसी वजह से वहां जाना पसन्द नहीं करते, तो इस साल से उसको देने का इरादा है। ७ साल की प्रैक्टिस वाले डाक्टरों को हम ५० रुपये एलाउन्स देंगे बजाय २० रुपये के, ७ वर्ष से १५ वर्ष तक की प्रैक्टिस वालों को ७५ रुपये दिये जायंगे और १५ वर्ष से ऊपर वाले को १०० पये दिये जायंगे।

इसके अलावा जितनी देहात की डिस्पेंसरीज हैं उनको २ क्लासेज में डिवाइड किया जायगा 'सी' और 'डी' और उनको एलाउंस दिया जायगा २० पये ५० रुपये। तो इस से स्टार्टिंग पे ४२५ या ४४५ रुपये हर पी० एम० एस० (ट) डाक्टर, जो देहात की डिस्पेन्सरी में जायगा, उसको मिलेगा।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

उसके बाद भी यह सोचा गया कि इससे समस्या हल नहीं होती क्योंकि ऐडवर्टाइज किया १ सौ डाक्टरों के लिये मगर दरख्वास्तें बहुत कम आयीं इसलिए यह सोचा जा रहा है कि आखिर इस समस्या का हल कैसे हो ? तो सरकार यह सोच रही है कि एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर कर दी जाय जो इन प्रश्नों पर विचार कर के अपनी रिपोर्ट पेश करे और मैं सदन के हर सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने जो भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव हों इस बारे में वह इस कमेटी या मुझको भेजें ताकि उन पर विचार किया जाय और इस प्राब्लम को हल करने की कोशिश की जाय। इसी प्रकार आपको मालूम है कि मलेरिया को इरैडिकेट करना नेशनल प्राब्लम बन गया है और वह चालू है। खयाल यह किया जाता है कि थर्ड प्लान में हम मलेरिया को खत्म कर सकेंगे। अब १७ जिलों में इरादा सरकार का यह है कि स्मालपाक्स इरैडिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाय और उस को इरैडिकेट करने की कोशिश की जायगी।

लखनऊ मेडिकल कालेज में कुछ ऐसे इलाजों का प्रबन्ध किया जा रहा है इस साल, जैसे न्यूरो सर्जरी है जिसका इलाज अभी बेलोर के अलावा और कहीं नहीं होता और इस प्रदेश के लोगों को वहां जाना पड़ता है। आर्टिफिशियल लिम्ब्स का इलाज सिर्फ पूना में होता है। लखनऊ मेडिकल कालेज में अब उसके लिये इंतिजाम हो चुका है और यहां होगा, यह सरकार का विचार है।

सरकार का यह भी विचार कि इस साल २९० बेड्स बढ़ायें और थर्ड प्लान के होते होते ४,११० बेड्स बढ़ा दिये जायं। इसी तरह से यह भी कोशिश की जा रही है कि आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज बढ़ा दी जायं और उनको जो जरूरत हो सहायता दी जाय। कानपुर में जे० के० इंस्टीट्यूट आफ कैंसर कायम किया गया है जिसमें कैनेडा से मशीनें आयी हैं, वहां से भेज दी गयी हैं और कैंसर का इलाज उनके द्वारा किया जायगा।

इस प्रकार चारों तरफ प्रगति की जा रही है और मर्ज जो हैं उनका ठीक से इलाज हो सके, जन-स्वास्थ्य भी ठीक रह सके उसके लिये जितनी कोशिश हो सकती है वह की जा रही है और वह बजट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दी गयी है। अब पिछली कार्यवाही और आइंदा कार्यवाही जो हम करने वाले हैं उस पर आप लोग विचार कर लें और जो हमारे माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव देंगे उनपर काम करने की कोशिश की जायगी। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इन मांगों को आपके सामने पेश करता हूं।

*श्री टम्मेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९ तथा २० की मांग की राशि घटा कर एक, एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी व्योरा प्रस्तुत करते हुये माननीय मंत्री महोदय ने यहां बातें रखीं उनसे अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही कि आजतक जो कुछ भी मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया है वह कितना कम है और किस तरह लापरवाही के साथ उसको किया गया है ३०० डिस्पेंसरीज में सिर्फ डाक्टर नहीं हैं। इसके माने यह हैं कि जब वह बनायी गयीं, उनकी सज्जा की गयी और हर साल जो खर्च होता है उस के बाद जब जनता के हित का प्रश्न उपस्थित हुआ तो डाक्टर न होने से वह बेकार हो गयीं। इस प्रदेश में कई मेडिकल कालिजों का जिक्र करते हुये मंत्री जी ने कहा कि तादाद बढ़ा दी, लेकिन तादाद बढ़ाने का प्रश्न उतना अधिक नहीं है जितना कि यह है कि हमारी ग्रामीण जनता को किस प्रकार मेडिकल सुविधायें प्राप्त हों।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि अगर हमने निश्चय किया है कि हम एक ही चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देंगे, हम एलोपैथी को ही प्रोत्साहन देंगे, चाहे एलोपैथिक डाक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलें या न मिलें, चाहे रोगियों का इलाज अच्छी तरह से हो या न हो, तो दूसरी बात है । मंत्री जी को केवल डाक्टरों की कमी की असुविधा नहीं है बल्कि जो एफिशियेंट डाक्टर नहीं हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में भी असुविधा है और अगर कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत हो जिससे रोगियों का इलाज अच्छी तरह हो सके तो उसमें भी सख्त असुविधा उनको होगी ।

जैसी आज मेडिकल कालेजों में शिक्षा की व्यवस्था है उसके संबंध में मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं और लखनऊ के मेडिकल कालेज की पार्टीबन्दी से तो वे स्वयं वाकिफ हैं । यह शिक्षा क्रम और यह पद्धति । जब मंत्री जी वैकल्पिक पद्धति पर विचार करते हैं तो उसको आगे प्रस्तुत करने का क्यों नहीं प्रयत्न करते हैं । जब हम यह देखते हैं कि हम एलोपैथिक पद्धति को पूरे प्रदेश में लागू नहीं कर सकते तो जब आयुर्वेद पद्धति की ओर जाते हैं जिसका उतना ही कोर्स पढ़ कर विद्यार्थी निकले हैं तो उन दोनों में इतना अन्तर क्यों कर देते हैं, यह देखने की बात है । जब मंत्री जी से प्रश्न के जरिये मांग की गयी कि जब दूसरे कोर्स के लोग चिकित्सा कर सकते हैं तो उन के वेतन-क्रम पर एक ही प्रकार से विचार किया जाय तो उन्होंने कहा कि वह पहले कोर्स वालों के बराबर नहीं है, यह समझ में नहीं आया । आज बड़े-बड़े डाक्टर उन्हीं आयुर्वेद चिकित्सकों के पास अपनी चिकित्सा कराने जाते हैं और लाभ उठाते हैं, लेकिन यह मंत्री जी या किसी और की बुद्धि का परिचायक है जो ऐसी नीति है कि केवल उन्हीं को प्रोत्साहन दिया जाय जिनके नाम के साथ एक विशेष चिकित्सा पद्धति जुड़ी हो ।

जो एलोपैथिक चिकित्सा करने वाले डाक्टर हैं उनके लिये भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह नहीं मिलते । सरकार ने वेतन-क्रम कुछ बढ़ाये हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या स्थानीय निकायों की डिस्पेंसरीज में जो डाक्टर काम करते हैं उनके लिये कुछ नहीं किया गया । जो गांवों में काम करते हैं वह जब दवाओं की मांग करते हैं तो दवायें नहीं मिलतीं । इसलिये प्रदेश के कोने-कोने से यह मांग आती है कि किसी प्रकार से हमारी डिस्पेंसरी प्रोविन्शलाइज हो जाय । जो डिस्पेंसरीज चल रही हैं उनमें औषधियों का सर्वथा अभाव है । वहां के डाक्टर जब उन औषधियों को प्रेस्क्राइब करते हैं तो एक तो आम तौर से वह बाजार में मिलती भी नहीं और यदि मिलती भी हैं तो उनकी इतनी ऊंची कीमत होती है कि सामान्य जनता उनको खरीद नहीं सकती । जब आपके अस्पताल बिना औषधियों के और बिना डाक्टर के हैं तो समझ में नहीं आता कि मंत्री जी कौन सी प्रोग्रेस का जिक्र कर रहे थे । जब यह दो चीजें ही नहीं तो कैसे मरीज अच्छे होते चले जा रहे हैं ?

स्मृति-पत्र में लिखा हुआ है कि बहुत-सी योजनायें हैं, दूसरी ओर स्वास्थ्य निरीक्षक, डाक्टर, नर्स, दाइयों इत्यादि के लिये बहुत संख्या में उम्मेदवार आते हैं । जब इतनी बेकारी बढ़ रही है तो मैं नहीं समझता कि उम्मेदवारों की किसी रूप में कमी होगी । आज यदि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की मांग निकलती है तो एक जिले में ही पांच छः हजार दरख्वास्तें आ जाती हैं । इसमें लिखा हुआ है कि अपेक्षित प्राविधिक कर्मचारियों के न मिलने और कतिपय योजनागत आयोजनाओं के देर से प्रारम्भ होने के कारण आपको अपने बजट में बहुत लम्बी कमी करनी पड़ी । ३८८ की कमी लिखी हुई है । इन अभावों की जिम्मेदारी किस पर है ? सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि जनता को इलाज की सुविधा प्राप्त हो । लेकिन उस इलाज की सुविधा यदि इस सरकार में किसी को थोड़ी बहुत प्राप्त है तो वह सरकारी कर्मचारियों को फ्री ट्रीटमेंट के रूप में प्राप्त है । सरकारी कर्मचारियों की इस सुविधा में भी क्लासेज बन गये हैं । छोटे कर्मचारियों से जब आप बात करें तो वह यही शिकायत करेंगे कि मामूली गोलियों के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता । उनको भी प्राइवेट डाक्टरों के पास जाना पड़ता है ।

मेरे पास एक छात्र का पत्र है जिसको मैं सदन में सुनाना चाहता हूं । उसने लिखा है कि एक डाक्टर के पास वह इलाज कराने गये तो उसने लाइनवार इलाज इस प्रकार से बताया

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

पहले इलाज की फीस ५०० रुपया । इस इलाज में रोगी को मेरे नर्सिंग होम में १५ दिन तक रखा जायगा उसकी हड्डी टूट गयी थी और उसकी हड्डी जैसी टूटने से पहले थी वैसी हो जायगी । दूसरे इलाज की फीस १५० रुपये । इसमें रोगी को नर्सिंग होम में नहीं रखा जायगा, उसे अपने घर में रहना पड़ेगा । इससे भी चोट से पहले की सी हड्डी हो जायगी । तीसरे इलाज की फीस कोई नहीं है, इसमें रोगी को प्रति दिन आउट-डोर में आना पड़ेगा और केवल पट्टी बंधती रहेगी । हड्डी जैसे अभी एक-दूसरे पर चढ़ी हुई है वैसी ही रहेगी परन्तु हड्डी के इस प्रकार रहने से भी कोई हानि नहीं होगी और आपने उसको देखा भी हो, इस प्रकार की चिकित्सा की पद्धति और सुविधाओं को । पता नहीं आपको दोनों का अनुभव है अथवा एक का ।

जब हम इस प्रकार के रोगी को देखते हैं जो मरणासन्न है और जब हम माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यह रोगी टी० बी० से मरने वाला है, तो मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास ५० रुपये का अनुदान है । आप इसको ले जाइये और लेजाकर ५० रुपया दे दीजिये । बेड का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता है । फिर यह भी सिक्योरिटी नहीं है कि जब वह मरने को आयेगा तो उसको दूसरा अनुदान भी मिल जायगा । टी० बी० ऐसा रोग है जिसमें बहुत दिन लगते हैं और परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि अगर उसको अलग रखा जाय तो अच्छा हो । ऐसे कुछ लोग जो किसी प्रकार से लड़ भिड़ कर माननीय मंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं, प्रार्थना-पत्र देते हैं कि हमको टी० बी० हो गयी है एक्स-रे की प्लेट उसके साथ लगाते हैं, जिसमें उनका काफी रुपया तो पहले ही खर्च हो चुकता है, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार का उत्तर मिलता है । जब हम अपने प्रदेश में इस प्रकार की बातों को देखते हैं तो हमें अचंभा तो नहीं होता, लेकिन चिन्ता अवश्य होती है कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का क्या होने वाला है, किसी प्रकार की चिकित्सा किसी को किसी भी समय मिल पायेगी या नहीं ।

हमारे इस विभाग के वेतन-क्रमों में भी बहुत अन्तर है । जो इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति वाले करते हैं वही इलाज एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति वाले करते हैं । अभी अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने १३ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वाले लोगों को अपग्रेड किया है । वस्तुस्थिति यह है कि दोनों पद्धतियों के जानने वाले एक ही अस्पताल में एक समान ही काम करते हैं, लेकिन उनके वेतन और सुविधाओं में जमीन आसमान का अन्तर है । एक का ग्रेड २३५ से ६०० रुपया और दूसरे का ग्रेड १२० से २०० रुपया तक है । कम्पाउन्डरों का ग्रेड भी अलग-अलग है । एक का ग्रेड ७५ से १२० रुपया तो दूसरे का ४५ से १०० रुपया तक है ।

जब कभी मंत्री जी पर किसी से अधिक दबाव पड़ा था उन्होंने कहा कि एलोपैथिक तो खोल नहीं सकते चलो आयुर्वेदिक खोले देते हैं । कच्चा मकान, कोई शैय्या नहीं, औषधियों का कोई प्रबन्ध नहीं । ऐसी हालत होती है वहां पर और इसी हालत में वे काम करने के लिये जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका वेतनक्रम तो और अच्छा होना चाहिये, लेकिन यहां तो उनका वेतनक्रम अच्छा है जो वहां जाना नहीं चाहते । उन लोगों को आपको और भी अधिक सुविधायें देना चाहिये जो ऐसी परिस्थितियों में गांवों में जाकर रहते हैं और ग्रामीण जनता को सुविधा पहुंचाते हैं ।

गांवों की तो हालत यह है कि एक हाईस्कूल पास कंपाउन्डर है वह ५-५, १०-१० इंजेक्शन लगाकर लोगों को मरने के लिये मजबूर करता है, एक जगह नहीं, अनेकों जगह ऐसी हालत है । मंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस की उनको गुंजाइश नहीं है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि एक-एक हाईस्कूल पास जो सामान्य स्थिति का है वह एक महीने में ३-३, ४-४ हजार रुपया पैदा करता है । लेकिन मालूम यह पड़ता है कि डिस्पेंसरी ऐसे

स्थानों पर खोल दी गयी हैं जहां पर प्राईवेट प्रैक्टिस का अभाव है और वहां डाक्टर नहीं मिलते हैं। जिन स्थानों पर डिस्पेंसरीज खोली जायं, उन स्थानों को अगर पहले से देख लिया जाय और उन पर विचार कर लिया जाय तो वहां के लिये डाक्टर न मिलने का कोई कारण नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण जनता को चिकित्सा की सुविधा मिले। लेकिन अगर आप इस समय एलोपैथिक चिकित्सा को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहन दीजिये। आयुर्वेदिक चिकित्सा सस्ती भी है और ऐसा भी है कि अगर कोई पेटेंट औषधि बाजार में नहीं मिलती तो वैद्यों द्वारा यह बतला देने पर कि बाजार से फलां-फलां औषधि लेकर दवा तैयार कर लीजिये तो इस तरह से उनका काम अच्छी तरह से चलाया जा सकता है।

कई वर्षों से सरकार इस बात को कहा करती है कि हायर सेकेंड्री स्कूलों के अध्यापकों का सरकार की तरफ से फ्री चिकित्सा का प्रबन्ध होगा। कई बार सौ-सौ रुपये के टोकेन ग्रांट भी बजट में दिखलाये गये कि इस वर्ष से सरकार उनको मुफ्त चिकित्सा की सुविधा देगी, लेकिन आज तक उस सुविधा को सरकार ने लागू नहीं किया। पता नहीं उसका कारण क्या है। कई बार यहां प्रश्नों के उत्तर में बतलाया गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ दिक्कतें पैदा कर दीं जिससे उनको फ्री चिकित्सा नहीं दी जा सकी। इस संबंध में हमारी सरकार को जो अपने को समाजवादी लक्ष्य की ओर बढ़ने का दावा करती है, इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि वे गरीब लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है या वे हरिजन जो अपने पास से चिकित्सा नहीं करा सकते, उनके लिये मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करें।

सरकार के यह कहने से कि धनाभाव की वजह से इतनी ज्यादा चिकित्सा सुविधा हम सब को नहीं दे सकते, काम नहीं चलने का है क्योंकि सिवाय सरकार के और कोई इतनी बड़ी एजेंसी नहीं है जो प्रदेश के बहुत से लोगों को चिकित्सा की सुविधायें दे सके।

जहां तक स्कीम्स का सवाल है, इस बजट अनुदान में छोटी-छोटी कई स्कीमों का जिक्र है। इसमें लिखा है कि मेडिकल कालेज में कुछ बेड्स बढ़ाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। श्रीमन्, आप देखें कि हमारे यहां क्षय रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और आबादी के अनुपात से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक काफी बढ़ जायगी। लेकिन यहां पर केवल १० रोगियों के बेड्स की व्यवस्था दो योजनाओं में हो सकी और लिखा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७० क्षय रोगियों की शैय्या का प्रबन्ध किया जायगा। आज नगरों की आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, उसी अनुपात से इन रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिये क्षय रोगियों के लिये अधिक संख्या में बेड्स बढ़ाने चाहिये।

अब जन-स्वास्थ्य का जिक्र आता है तो माननीय मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिये दो प्रकार के काम किये हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बजट अनुदान के संबंध में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। केवल मात्र कहने के लिये उन्होंने ऐसा कह दिया लेकिन ऐसी कोई सब्स्टेंटिव योजना उनकी नहीं मालूम होती है जिससे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कहीं भी किसी प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन मालूम हो। कोई ऐसे ही नगण्य सी बात किसी कोने में उन्होंने कह दी होगी, तो वह दूसरी बात है। आज जब इस प्रदेश में और यहां पर इन रोगियों के बढ़ते हुये चरण चारों तरफ मनुष्य के जीवन को घेरे हुये हैं उस समय इस विभाग द्वारा इतनी लापरवाही और इतनी अव्यवस्था है कि जो जनता को खटकती है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह जनता के और रोगियों के साथ सहानुभूति रखते हुये बेकार और गलत योजना को परिवर्तित कर के एक ऐसी योजना बनायें जिससे वह उपयोगी सिद्ध हो और उससे जनता का अधिक लाभ हो सके।

(प्रस्तुत किये गये माने गये कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१७–७१८पर)

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य विभाग की जो यह २ पुस्तकें हमें हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में, वितरित की गई हैं उनमें कुछ अन्तर है। आप देखें कि अंग्रेजी की इस पुस्तक के अन्त में एक स्टेटमेंट अंग्रेजी में दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट प्लान पीरियड से अब तक का हेल्थ बजट हर वर्ष का दिखाया गया है लेकिन हिन्दी की इस पुस्तक में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। हिन्दी में तो वह अवश्य ही होना चाहिये था और अंग्रेजी में चाहे वह न भी होता क्योंकि हिन्दी ही यहां की भाषा है।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न व्यवस्था का तो नहीं है लेकिन हिन्दी में ही सदन का सब कार्य होता है, हिन्दी में ही वह होना चाहिये।

*श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुदान का समर्थन करते हुये माननीय सदन में विरोधी पक्ष की ओर से जो नकारात्मक आलोचनायें प्रस्तुत की गई हैं उन की तरफ आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि उन के सामने डाक्टर न मिलने की कठिनाइयां हैं। उन की तरफ से प्राविधान है कि कोई माननीय सदस्य यदि विरोधी पक्ष से ही इन डाक्टरों की व्यवस्था करने में सरकार को सहयोग प्रदान करें तो सरकार उसका स्वागत करेगी। नकारात्मक आलोचना करते हुये माननीय सदस्यों ने यह कहा और सुझाव दिया कि एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की जगह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोल दी जायं या डाक्टरों की जगह आयुर्वेदिक चिकित्सक रखे जायं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की अपनी एक मान्यता है और उनकी एक अपनी आवश्यकता और स्थान है, लेकिन आज के बढ़ते हुये विज्ञान के चरणों को देखते हुये हम यदि आयुर्वेदिक चिकित्सा को एलोपैथिक चिकित्सा का स्थान दे भी दें तो मेरा ख्याल है कि अभी इस आशा की पूर्ति न हो सकेगी, क्योंकि यह बात तो अभी स्वतः सिद्ध है कि अभी उसमें आधुनिक विज्ञान और सर्जरी आदि को वह स्थान नहीं मिल सकता है जो कि एलोपैथिक सिस्टम में है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और एलोपैथिक चिकित्सालयों के रोगियों की संख्या का अन्तर है उससे मालूम होता है कि आज जनता भी आधुनिक विज्ञान का लाभ उठाना चाहती है और इसी कारण से वह आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर इतना आकृष्ट नहीं होती जितना कि वह एलोपैथिक चिकित्सा की ओर होती है। यद्यपि यह भी सत्य है कि जिस दिन आयुर्वेदिक सिस्टम में हमारे आधुनिक विज्ञान और सर्जरी आदि की सुविधाओं का समावेश हो जायगा तो अवश्य ही उसका एक दिन अपना एक स्थान होगा।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कानपुर में कई चिकित्सालय हैं लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिस को हम कह सकें कि वह सम्पूर्ण रूप से जनता की सेवा कर रहा है। उर्सला और लाजपतराय हास्पिटल अब मेडिकल कालेज के अन्तर्गत चले गये हैं। सिविल सर्जन के पास डिस्पेंसरी में न बेड्स हैं और न कोई प्रबन्ध है और उर्सला में भी जो कुछ स्थान है वह केवल गवर्नमेंट एम्पलाईज के लिये रिजर्व रहता है, जनसाधारण के लिये मेडिकल कालेज से स्वतंत्र जो शैयायें हैं वे सिविल सर्जन के मातहत नहीं हैं। इसलिये कानपुर की जनता तथा उसके आसपास की जनता की यह मांग है कि उर्सला अस्पताल को सिविल अस्पताल घोषित कर दिया जाय उसी तरह जिस तरह लखनऊ में मेडिकल कालेज के अलावा बलरामपुर अस्पताल है। इससे जनता को अधिक लाभ होगा।

एक बात मैं अपने गांव, जिला उन्नाव के अन्तर्गत जो सुमेरपुर में स्टेट डिस्पेंसरी है उसके मुताल्लिक कहना चाहता हूं। पड़रीकलां में एक नई स्टेट डिस्पेंसरी बनने जा रही है। उसको इक्विप करने के लिये सुमेरपुर की डिस्पेंसरी को उजाड़ा जा रहा है और यह कहा जाता है कि यह जो डिस्पेंसरी है सुमेरपुर की वह ब्लाक के अन्तर्गत प्लानिंग के अन्तर्गत चली आवेगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह स्थिति फर्स्ट स्टेज में हुआ करती है। जब ब्लाक फर्स्ट स्टेज में हुआ करते हैं तब कोई डिस्पेंसरी प्लानिंग के मातहत ट्रांसफर कर दी जाती है। किन्तु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी स्टेज में वह डिस्पेंसरी स्टेट को चली आती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अधिकारियों ने इस बात का खयाल नहीं किया कि सुमेरपुर ब्लाक सेकेन्ड स्टेज में है और सेकेन्ड स्टेज में वह डिस्पेंसरी पड़रीकलां को चली जाय, तो वह स्वतः समाप्त हो जायगी क्योंकि प्लानिंग के बजट में उसके लिये कोई प्रावीजन नहीं है। हमारे उन्नाव के सिविल सर्जन ने किस प्रकार यह आदेश जारी किया समझ में नहीं आता। डायरेक्टर का आदेश मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं—

"Subject : Shifting of rural allopathic dispensary from Sumerpur to Padri Kalan, Distt. Unnao.

With ref. to your letter no. O-2/61 dated Dec. 5, 1961 on the above noted subject, I have the honour to request that immediate action may please be taken for the shifting of State Allopathic Dispensary from Sumerpur to Padri Kalan, distt. Unnao. As already ordered in G. O. No. 8749 B/V-684/1960 dated Nov. 21, 1961, only the staff of the dispensary should be shifted with the dispensary and the equipment, furniture, building etc. of the same will be utilized for the allopathic dispensary which has been opened by Planning deptt. as part of Primary Health Centre in its place. . . . . ."

इस आर्डर के मातहत यह स्पष्ट है कि सुमेरपुर डिस्पेंसरी से एक्विपमेंट, फर्नीचर आदि कोई चीज पड़रोकलां नहीं जानी चाहिये। बावजूद इसके सिविल सर्जन, उन्नाव का जो आर्डर होता है एम० ओ० सुमेरपुर डिस्पेंसरी के लिये वह यह है :—

"Please shift at once the dispensary to Padri Kalan. The medicines, and equipments for the dispensary and Maternity Centre purchased out of Block Budget should not be shifted."

स्टेट डिस्पेंसरीज के रूप में जितनी चीजें हैं वे शिफ्ट की जानी चाहिये, लेकिन मेडिसिन्स और इक्विपमेंट सुमेरपुर अस्पताल को शिफ्ट नहीं की जानी चाहिये।

"A list of the articles shifted may be sent to District Planning Officer, Unnao for information."

ऐसी अवस्था में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि अगर यह पड़री कलां चला जायगा तो सुमेरपुर में सैकिंड स्टेज हो जाने की वजह से उस अस्पताल को प्लानिंग से कोई चीज मिलने वाली नहीं है और जितनी चीजें पहले से मिली हुई हैं प्लानिंग से वे सब खर्च हो चुकी हैं। तब सुमेरपुर अस्पताल का अपने आप बन्द हो जाना स्वाभाविक है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही के लिये सिविल सर्जन को आर्डर करें कि वे ऐसी स्थिति न आने दें कि सुमेरपुर का अस्पताल बन्द हो जाय। सैकिंड स्टेज में उसे आना ही था और ब्लाक में फर्स्ट स्टेज में ट्रान्सफर हुआ नहीं, तो अपनी इस गलती का खमियाजा सुमेरपुर अस्पातल को न उठाना पड़े। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा निवेदन है कि सुमेरपुर अस्पताल शिफ्ट न किया जाय क्योंकि प्लान का सैकिंड स्टेज शुरू हो गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इसके पूर्व कि मैं अपने विचार प्रकट करूं कई बार आग्रह किया जा चुका है कि यह जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिला करती हैं, जब हम लोगों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है उसी वक्त ये उपलब्ध होती हैं या कभी-कभी ऐसा होता है कि माननीय सदस्यों को किसी विषय पर बहस होने के बाद भी वे रिपोर्ट्स नहीं मिल सकी हैं। इस वजह से उन रिपोर्ट्स पर हम न कोई विवेचना कर पाते हैं और न अपने विचार रख पाते हैं।

देश के उत्थान के लिये स्वास्थ्य बहुत ही उपयोगी हुआ करता है और जो देश व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करता वह देश कभी उत्थान नहीं कर सकता इस देश में भी बहुत गरीबी है और स्वास्थ्य के लिये कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और न हमारे माननीय मित्रों, मंत्रियों ने ही कोई ऐसे विचार रखे कि किस तरह से लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। बहुत ऐसे लोग से हैं कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रोगग्रस्त हो जाते हैं।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

अच्छा तो यही है कि रोग नजदीक न आये और यही एक कारण था कि स्वास्थ्य की रक्षा होने के कारण लोग यहां रोगमुक्त रहते थे। लेकिन इस हजार वर्ष की दासता में लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया और वही दशा आज स्वतंत्रता के १६ वर्ष पश्चात् भी दुर्भाग्य हो रही है।

माननीय मंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि डाक्टर नहीं मिलते। इसके लिये भारतीय दृष्टिकोण रहा है। हजार वर्ष पहले यहां पर विलायती डाक्टर नहीं थे, लेकिन गुलामी की स्थिति में अंग्रेजों ने जो स्थिति कायम की थी वह आज भी कायम है। पहले हर गांव में एक वैद्य हुआ करता था जो उस ग्राम के रोगियों की मुफ्त चिकित्सा किया करता था। परन्तु आज अगर तुलना की जाय तो एलोपैथी द्वारा चिकित्सा करने में कितना खर्च बैठता है यह मंत्री महोदय जानते हैं। छोटे-छोटे मर्ज जो दो पैसे में पंसारी के यहां की दवाओं से ठीक हो सकते हैं उनमें सुइयों में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। इसलिये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हमें अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर ज्यादा बल देना होगा और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इसी तरह से हमारे यहां डाक्टरों की कमी रहेगी और अगर अस्पतालों में डाक्टर होंगे तो दवाओं की कमी रहेगी। हमारे यहां ओरिजिनल जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। जो मेटल्स के एलीमेंट्स होते हैं वे सब इन्हीं पत्तियों में निहित होते हैं, लेकिन करते क्या हैं हमारे भारतवर्ष के लोग कि उनको योरोप भेजते हैं जहां उनसे सत्त बनाया जाता है। और फिर किन परिस्थितियों में वह बनता है यह भी सोचने की बात है। वह ठंडे मुल्कों में बनता है और उसका प्रयोग होता है इस गरम मुल्क में। इसका भी असर पड़ता है। इसलिये हमारा सुझाव यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले जायं। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि कोई आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है भी। यों तो अपने शास्त्र ऐसे भरे पड़े हैं कि अगर उन्हीं का अध्ययन किया जाय तो काफी लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आजकल को जो पद्धति है उसी के अनुसार चलना है तो भी आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने चाहिये और दवाओं का भी दाम कम करना चाहिये ताकि हमारे देश की गरीब जनता उनका इस्तेमाल कर सके।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह ४० मील लम्बा और १० मील चौड़ा क्षेत्र है। वहां सन् १८९६ में एक अस्पताल खुला था, लेकिन आजतक वहां एक कुंआ भी नहीं बना है जिससे कि जो मरीज वहां आते हैं वे पानी पी सकें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वह कौन सा क्षेत्र है?

श्री हरिनाथ तिवारी—अस्पताल का नाम है शाहगंज। उसमें बेड्स के लिये कोई जगह नहीं है। सिर्फ चार कमरे हैं।

मेरा यही एक विशेष सुझाव है कि जबतक आप अंग्रेजी ढंग पर चलने की कोशिश करेंगे तब तक आप डाक्टरों और दवाओं का अभाव पायेंगे। लेकिन यदि आप आयुर्वेदिक की ओर झुकेंगे तो उन क्षेत्रों में जहां डाक्टर नहीं मिलते हैं वहां वैद्यों के द्वारा उस क्षेत्र की जनता को लाभ हो सकता है।

***श्री बैजनाथसिंह वैद्य** (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १९ और २०, जिनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह विषय जो आज सदन के सामने विचाराधीन है, यह मनुष्य समाज के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है और बिना स्वस्थ रहे मनुष्य किसी भी कार्यक्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे वह किसी भी तरीके के समाज के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर काम करने वाला हो, अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं है तो कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के द्वारा शुद्ध बात का विचार किया जा सकता है। इसलिये समाज के अन्दर यह जो स्वास्थ्य की पद्धति है और सरकार में जो स्वास्थ्य संबंधी एक विभाग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्रीमन्, इधर और उधर दोनों तरफ से यह मांग है कि जितनी आवश्यकता हमारे देहातों में गरीब जनता के स्वास्थ्य संबंधी सहायता की है वह उपलब्ध नहीं हो पाती है। अनेक प्रकार की बीमारी किसानों में फैलती है, किसानों के बच्चे परेशान होते हैं, किसानों के परिवार वाले परेशान होते हैं दवा तथा चिकित्सकों के अभाव में। वे मर जाते हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं हो पाती है। इसलिये यह विषय सोचने के लायक है। मेरी समझ में जो तरीका अभी तक रहा है और अंग्रेजों ने जो पद्धति हमारे बीच में कायम की थी और एलोपेथी पर जोर दिया गया है उस लाइन पर देश और प्रदेश के विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वह इतनी मेहनत और समय लेने वाली है कि जिसमें हमारे विद्यार्थी आसानी से उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं।

मेडिकल कालेजों में जब हमारे विद्यार्थी एडमीशन के लिये जाते हैं तो उनके सामने इतने बड़े-बड़े और कठिन सवाल रखे जाते हैं कि किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और नतीजा यह होता है कि बहुत थोड़ी तादाद में लड़के उसमें जा पाते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि इसमें थोड़ी सहूलियत पैदा की जाय और पांच साल के कोर्स को घटाकर तीन साल का कर दिया जाय। इससे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा तादाद में और जल्दी ही चिकित्सक बन सकेंगे और जनसेवा के मैदान में आ सकेंगे।

दूसरी चीज यह है कि आयुर्वेद पद्धति को बहुत धक्का लगाया गया है, इसका अपमान किया गया है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। यह सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कठिनाइयां हैं, उनको शुद्ध औषधियां नहीं मिलती हैं जिसके कारण वह पुरानी औषधियों का प्रयोग करते हैं और रोगों पर उनका प्रभाव ठीक तरह से नहीं हो पाता। कास्टली औषधियों की जिन्दगी वैसे ६ महीने की मानी जाती है। लेकिन हमारे यहां जो इसके व्यवसायी हैं, वह अपने यहां इन सड़ी-गली दवाओं को तब तक रखे रहते हैं जब तक कि वह बिक नहीं जातीं। इसलिये कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कास्टली औषधियों के लिये खास तौर से कि छः महीने के बाद उनकी तलाशी ली जाय और उनके पास जो ऐसी दवा निकले वह नष्ट कर दी जाय क्योंकि वह औषधियां निर्जीव हो जाती हैं और उनमें कोई शक्ति नहीं रहती।

आयुर्वेदिक की यह जो हमारी पुरानी पद्धति है इसका कोई मुकाबिला दुनियां में हो नहीं सकता। जितने भी दुनिया के बड़े-बड़े डाक्टर हैं, बड़े-बड़े रिसर्च करने वाले हैं, वह इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। हमारे यहां बड़ी बड़ी औषधियां हैं। सर्पगन्धा का नाम आम तौर से मशहूर है जो कि हृदय रोग पर रामबाण की तरह काम करता है और जिसके मुकाबिले में बड़ी-बड़ी दवाइयां एलोपैथिक की फेल हो सकती हैं।

मैं खास तौर से आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उन कठिनाइयों की तरफ आकर्षित करूंगा जो कि आज उनके सामने उपस्थित हैं कि उनके ३०० अस्पताल ऐसे पड़े हुये हैं जिनमें चिकित्सक नहीं हैं और आज वह परेशानी में पड़े हैं। तो मेरी यह प्रार्थना है कि यह जो बी० एम० एम० एस० या लखनऊ के आयुर्वेदिक कालेज से या बनारस के कालेज से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं उनको भी थोड़ा-सा इन्करेज किया जाय, उनकी हिम्मत बढ़ायी जाय, तो यह कठिनाई बड़ी आसानी से दूर हो सकती है।

एक दूसरा सुझाव यह है कि गांवों में बड़े अच्छे-अच्छे चिकित्सक पड़े हुए हैं जो आज पस्त हिम्मत हो गए हैं। किसी तरह से वह आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मेरा निवेदन है कि उनमें जिनका दस साल का तजुर्बा हो गांव में चिकित्सा करने का उनके लिये तीन महीने का एक ट्रेनिंग

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

कैम्प खोल दिया जाय और उनको मामूली-सी ट्रेनिंग देकर उनके पुराने अनुभवों का फायदा उठाया जा सके तो वह गांवों के लिये बड़े उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाय, आयुर्वेदिक औषधियों पर खास तौर से निगाह रखी जाय, उनको बेचने वाले कामदारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय, औषधियों के बारे में जगह-जगह प्रत्येक जिले में औषधि केन्द्र खोला जाय और सरकार अच्छी तरह से कोशिश करके औषधियों को संग्रह करने की प्रणाली चलावे, एक अलग से विभाग इसके लिये कायम करे, तो थोड़े दिनों में हमारी यह कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। यह माना कि एलोपैथी आज दुनियां में बहुत ऊंचे उठ चुकी है और उनकी सर्जरी ने काफी तरक्की की है। लेकिन फिर भी भारतवर्ष के लिये आयुर्वेदिक पद्धति ही यहां के वातावरण और यहां की आबोहवा को देखते हुये ज्यादा अनुकूल साबित हो सकती है, बशर्ते कि सरकार उसकी तरफ ध्यान दे।

कुछ दिनों से रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया है। यह बात सही है कि कुछ लोग ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अन्दर जो कि बिना कुछ सीखे हुए अपने को रजिस्टर्ड करा लिये हैं। उसमें कुछ गलती जरूर हुई है। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि इसके साथ एक छः महीने की ट्रेनिंग लगा दी जाय। छः महीने के ट्रेनिंग कैम्प हर जिले में खोल दिये जांय और इस तरह से ऐसे लोगों को छः महीने की ट्रेनिंग देकर उसमें शामिल कर लिया जाय तो आपकी कठिनाई दूर हो सकती है। इन शब्दों के साथ में अनुदान संख्या १९ और २० का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो कुछ मेरे सुझाव हैं सरकार उन पर ध्यान देगी।

*श्री रामायण (जिला देवरिया)—माननीय, स्वास्थ्य मंत्री जी जिस समय सदन के समक्ष अपना अनुदान प्रस्तुत कर रहे थे उन्होंने स्वयं दो अभावों का अनुभव किया और उनका ऐसा विचार है कि उन अभावों की पूर्ति के लिये वह निकट भविष्य में शायद कोई हाई पावर कमेटी बैठाने या गठित करने जा रहे हैं। उनके सामने आज यह प्रश्न है कि इस समूचे राज्य में ३०० औषधालय डाक्टरों के बिना चलाये जा रहे हैं। उनके सामने यह भी सवाल है कि देहाती क्षेत्रों में कौन-सा ऐसा यत्न किया जाय जिससे हमारी यह कठिनाई सरलतापूर्वक दूर हो सके।

माननीय, जहां तक डाक्टरों के अभाव की बात है और उस अभाव को दूर करने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों की बात है, उस दिशा में मुझे आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक विशेष आग्रह करना है। डाक्टरों के अभाव के पीछे उनकी चिकित्सा नीति भी बहुत हद तक उत्तरदायी है और इसके साथ-साथ जिस व्यक्ति के कन्धों पर चिकित्सा का उत्तरदायित्व मंत्री जी डाल रहे हैं, चिकित्सा के उत्तरदायित्व के साथ और कौन-कौन उत्तरदायित्व उसके ऊपर होने चाहिये, उसके प्रति शासन का क्या दृष्टिकोण होना चाहिये, इस प्रश्न की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ ही में उनसे अपने पुराने आग्रह को दोहराना चाहता हूं, जो मैंने पिछले वर्ष १९६१ में नहीं, बल्कि १९६० में, इसी सदन में इस अनुदान पर बोलते हुये उनसे किया था कि पी० एम० एस० (२) और पी० एम० एस० (१) की जो आपने यह दीवार खड़ी कर रखी है इस दीवार को समाप्त किया जाय। आपने यह फरमाया कि मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्रों में २ विद्यार्थियों को राज्य सरकार स्कालरशिप देती है और उनसे यह एग्रीमेंट करती है कि गांव में रह कर ५ वर्ष तक सेवा करेंगे। मैं समझता हूं कि अब उस स्कालरशिप की संख्या को उनको बढ़ाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि डाक्टरों के अभाव को दूर करने के लिये सरकार मेडिकल कालेज खोल रही है। तो उन्हें केवल यही नहीं सोचना चाहिये कि दारुल सल्तनत के आस-पास कुछ कालेज खोल दिये जायं, बल्कि उनको यह भी सोचना चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि आखिर प्रदेश का वह कौन-सा भू-भाग है जहां पर सब से अधिक डाक्टरों का अभाव है। डाक्टरों का अभाव ही नहीं, बल्कि प्रदेश का वह कौन-सा भू-भाग है जहां के लोग नाना प्रकार के रोगों से आक्रान्त हैं जिनको आपकी सेवा की अपेक्षा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे भू-भाग में उनको मेडिकल कालेज खोलना चाहिये। मैं किसी रोजनल प्रेम के वशीभूत होकर यह बात नहीं कह रहा हूं। गोरखपुर का इलाका करीब १।। करोड़ की जनसंख्या का इलाका है जहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग स्वयं जानता है कि चाहे मलेरिया को ले लीजिये, चाहे फाइलेरिया को ले लीजिये, चाहे हड्डी तोड़ बुखार को ले लीजिये और चाहे कोढ़ की बात को ले लीजिये और चाहे टी० बी० की बात को ले लीजिये—अभी हाल में ही टी० बी० रोग की चिकित्सा के संबंध में हम लोगों ने बात की थी—हर आदमी इन सब रोगों से परेशान है। क्या वजह है कि अभी तक उस भू-भाग में आपने मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा नहीं की? हम आशा करते थे कि आज जब इस सदन में मंत्री जी इस अनुदान को पेश करेंगे तो उस अभाव की पूर्ति की घोषणा करेंगे। हम मानते हैं कि बहुत से सराहनीय कार्य किये गये हैं और हम उनकी मुक्तकंठ से इधर बैठने के बावजूद भी प्रशंसा करते हैं, किन्तु मैं आशा करता था कि आप हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों के आग्रह को स्मरण रखेंगे।

पिछले वर्ष इस सदन में इधर और उधर बैठने वाले और १।। करोड़ जनता के उस भू-भाग के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित रूप से मांग की थी कि यदि आप चाहते हैं कि तराई के इलाके में जाने से आपके डाक्टर न डरें, लखनऊ के आदमी डरेंगे, मैं मानता हूं, आगरा के आदमी डरेंगे, लेकिन जो लोग उस वातावरण में पैदा हुए हैं, यदि उस वातावरण में पैदा हुए लोगों को यह अवसर दिया जाय तो शायद उस दिशा में एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो सकती है। मान्यवर, गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने से काफी लाभ इस दिशा में होगा।

इसके बाद में चिकित्सा की नीति के संबंध में थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। आये दिन इस सदन में जब कभी बहस होती है तो देखता हूं कि कुछ लोग आयुर्वेदिक पद्धति की प्रशंसा करते नहीं अघाते, कुछ लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा नहीं करना भूलते, श्रीमन्, जहां तक मेरा मत है मैं बहुत स्पष्ट विचार का हूं कि इस दिशा में सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिये। चाहे कोई आयुर्वेद का स्नातक होना चाहता हो या होमियोपैथिक चिकित्सा की प्रेक्टिस करना चाहता हो, किसी भी पद्धति में प्रवेश करने के लिये आवश्यक होना चाहिये, प्रत्येक विद्यार्थी के लिये, कि उसे प्रथम अनोटमी का, फिजियोलाजी का, मार्डन मेडिसिन और सर्जरी का कुछ ज्ञान रहे। योरोपीय देशों में भी इसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति चलती है और उसी के आधार पर उनका पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो मंत्री जी इस कंफ्यूजन को दूर करने की कृपा करें। एक वक्ता महोदय उधर से कह रहे थे कि प्रिमेडिकल-टेस्ट में ऐसे सवाल पूछ दिये जाते हैं कि जिसमें विद्यार्थी पास नहीं होते। आखिर वे चाहते क्या हैं? जिनको ह्यूमन लाइफ से डील करने की शिक्षा देनी है उन से आप चाहते हैं कि कोई सवाल न किया जाय और ऐसे ही सिफारिश के आधार पर उनकी भरती कर ली जाय? मैं समझता हूं कि इस दिशा में उनको और सख्ती करनी चाहिये।

अंत में मैं यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि वह पता लगायें कि आखिर क्या कारण है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व—जहां तक मेरी जानकारी है—लगभग ९० औषधियों के कारखाने, औषधि बनाने के कारखाने, कंपनियां, क्रमशः बंबई की ओर शिफ्ट होती गयीं। हमारे राज्य में अनेक प्रकार की जलवायु है। यदि ठंडी जलवायु की आवश्यकता है तो पर्वतीय इलाका है, यदि नम जलवायु की आवश्यकता है तो तराई के इलाके हैं, और अन्य प्रकार की जलवायु भी यहां पायी जाती है, तो फिर वे कंपनिया यहां से क्यों शिफ्ट होती गयीं? क्या वहां कुछ उनको अधिक सुविधा प्राप्त है?

इसके साथ ही, जब मैं फेक मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ३५ मुकदमे चलाये गये और उनमें से आप कुल १३ को ही सजा दिला पाये। हममें से प्रत्येक जानता है कि कितने ही ग्रामीणों को इन झूठी दवाइयों के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

[श्री रामायण]

इस दिशा में अजीब-अजीब ब्लैक मार्केट होते हैं। सिरिंज द्वारा सारी दवाई निकाल ली जाती है और पानी भर दिया जाता है।

मिलावट की क्या चर्चा करूं ? राजधानी में एक भी दुकान ऐसे माननीय सदस्य नहीं पा सकेंगे कि जहां विशुद्ध आटा मिल सके, जहां विशुद्ध मसाला या कड़वा तेल मिल सके। व्यवसायियों ने जहां अन्य क्षेत्रों में मिलावट और घपलेबाजी की है वहां वे हमारे समाज के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किये हैं इसलिए इस दिशा में आपको कड़ाई के साथ कदम उठाना चाहिये। मैंने जो रिपोर्ट देखी है आपको उससे मुझे बड़ा असंतोष है।

अंत में मान्यवर, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वे डाक्टरों के या औषधियों के अभाव को दूर करना चाहते हैं, तो इस दिशा में मेरा एक सुझाव उनको मानना चाहिये। मैंने बार-बार उनसे कहा कि अगर सरकार स्टेट ट्रेडिंग को समाज के लिये उपयोगी समझती है तो मेडिसिन के फील्ड में भी मेरी राय में वह उपयोगी हो सकती है।

आखिर में श्रीमन्, अस्पतालों में जो राजनीति है उस विषय पर भी आपकी आज्ञा से दो, एक शब्द कहना चाहता हूं—

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया है, आप कृपया एक ही मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री रामायण—श्रीमन्, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट अप्वाइन्ट होते हैं, लेकिन स्थिति क्या है ? जाड़े का मौसम आया कि हर डाक्टर आपरेशन के लिये छुरी उठा लेता है। अस्पताल में उसके झगड़े होते हैं।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, आज ट्रान्सफर नीति में भी आमूल परिवर्तन होना आवश्यक है। योरप में फैमिली डाक्टर की जो प्रथा चालू की गयी है वह बहुत लाभप्रद साबित हुई है। अपने यहां भी उसको अपनाया जाय। जब तक कोई शिकायत किसी डाक्टर के खिलाफ न हो, उसका ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये और ३ वर्ष वाला नियम डाक्टरों के संबंध में लागू नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, एलोपैथी के संबंध में जो हमारे यहां प्रयोगशालायें हैं उनमें आपने कितने लैबोरेटरी असिस्टेंट नियुक्त कर रखे हैं, कितने विशेषज्ञ नियुक्त कर रखे हैं, कितने इस समय औषधालय हैं, यह सब भी जानने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री जे० पी० मिश्र** (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस मद पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले इस मद पर अधिक धन मांगने से कब्ल अपने माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री महोदय को तथा चिकित्सा अधिकारियों को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। हरिद्वार के कुम्भ मेले में इस विभाग द्वारा प्रशंसनीय कार्य हुआ है। इस कुम्भ मेले में, जहां कि लाखों इन्सानों के स्वास्थ्य से संबंध है, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिस परिश्रम, मेहनत और उत्साह से काम किया है उसके लिये मैं सरकार को और उनको हार्दिक बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने लाखों इन्सानों के स्वास्थ्य पर निगरानी की वह प्रशंसनीय है।

आलोचनाओं के संबंध में इस सम्मानित सदन के सदस्यों से मुझे एक बात निवेदन करना है कि आप आलोचनायें करते हैं, सही है, लेकिन १५ अगस्त, १९४७ के बाद से हमारे प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में जो चौमुखी उन्नति हुई है और आपने देखी है उसकी बात भी आपको सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज आप देखते हैं कि इस ओर कितनी प्रगति हमारे राज्य में हुई है। पहले एक साधारण व्यक्ति जब मेडिकल कालिज में तथा बलरामपुर अस्पताल में पहुंचता था तो उसको कितनी परेशानी होती थी, और आज वह किस तरह से पहुंचता है तथा जो सुविधायें उसको मिलती हैं उसको सम्मानित सदस्य जानते हैं। आज उनके लिये कोई रोक नहीं है। अब दरवाजा एक गरीब से गरीब इन्सान के लिये भी उसका खुला हुआ है। यही एक बहुत बड़ा कदम जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा की प्रगति का है।

मैं चाहता हूं कि सरकार कृपया आयुर्वेद और एलोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों में फर्क न पैदा करे। आयुर्वेद को भी उन्नति करने दीजिये और एलोपैथी को भी उन्नति करने दीजिये। जहां ही आप फर्क पैदा करते हैं वहीं वैद्यों और डाक्टरों के दिलों में भी भेद पैदा होता है। आयुर्वेद ने जिस तरह से उन्नति की है इस प्रदेश और देश में वह किसी से छिपी नहीं है। एलोपैथी की उन्नति भी आपके सामने मौजूद है। आप समझ लें कि आयुर्वेद की पेटेंट मेडिसिन्स भी आप आज कस्बों के दवाखानों में पायेंगे और ऐलोपैथी की पेटेंट मेडिसिन्स भी गांव-गांव में बिकती हैं। आज के १५ वर्ष पहले गांवों में और कस्बों में पेटेन्ट मेडिसिन्स के लाइसेंस आपको नहीं मिलते थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से प्रगति की है एलोपैथी और आयुर्वेद की पेटेंट मेडिसिन्स ने। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस तरह का भेद न पैदा करें। एलोपैथी को भी आप पनपावें और आयुर्वेद को भी आप पनपावें और दोनों की उन्नति में जितना अधिक से अधिक सहयोग दे सकें उतना देने की कृपा करें। जिस तरह से आपने मेडिकल कालेजेज की स्थापना की है उसी तरह से आयुर्वेद की तरफ भी आप देखें। झांसी में जो आपका आयुर्वेद विश्वविद्यालय चल रहा है उस पर काफी निगाह होनी चाहिये। श्री धुलेकर जी के शहर में यह विश्वविद्यालय बहुत सुन्दर चल रहा है, उस तरफ आप अवश्य तवज्जह दें। आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें और उसको मदद दें।

दूसरी बात जो आपके सामने मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में ८० फीसदी आदमी गांवों में बसते हैं, लेकिन उलटा है श्रीमन्, गांव वाले जब बीमार पड़ते हैं तो कानपुर या लखनऊ मेडिकल कालेज की तरफ भागते हैं यह नहीं है कि शहर में कोई बीमार पड़े तो गांव को आते हैं उसके स्थान पर यदि शहर के आदमी बीमार पड़ें वह गांव की तरफ भागें। तब आपकी जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के सिलसिले में जो तरक्की करना चाहते हैं वह तरक्की आंकी जायगी।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, जल्दी लाइट न दिखलाइये।

श्री उपाध्यक्ष—आपके ८ मिनट खत्म हो गये हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—मैं जल्दी ही खत्म करता हूं, पौने बड़ी मुश्किल से आज आपने टाइम दिया है। मैं यह चाहता हूं कि यह दोनों ग्रान्ट्स का पौने ९ करोड़ का बजट हमारे सामने हैं, इसको ज्यादा होना चाहिये। अगर जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों पर आप २ रुपये फी इन्सान के हिसाब से कम से कम लें तो भी यह ज्यादा नहीं है। साढ़े सात करोड़ की आबादी पर १५ करोड़ का बजट, मैं चाहता हूं कि इस मद का होना चाहिये। अब नहीं हो सकता तो कम से कम जब आप ६३-६४ के बजट पर विचार करें तब चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के मद पर इस बात का विचार अवश्य रखें।

अब मैं अपने जिले की कुछ बातें कहना चाहता हूं। हरदोई जिला १३ लाख की आबादी का जिला है। उस जिले में मुश्किल से हरदोई, संडीला, शाहाबाद, बिलग्राम यही चार डिस्पेंसरियां काम कर रही है। मल्लावां जो मेरा क्षेत्र है वह हरदोई शहर से ३२ मील दूर है। वहां १० एम० एस० (२) की डिस्पेंसरी है। वहां ब्लड टेस्ट का ऐपेरेटस रखा है, लेकिन उसके लिए डाक्टर नहीं मिल सका। इसलिए निवेदन है कि उसे पी० एम० एस० (१) की डिस्पेंसरी

[श्री बे० पी० मिश्र]

डिक्लेयर करने की कृपा करें, क्योंकि शहर से बहुत दूर जगह है। गौसगंज में जो १० मील दूर है वहां छोटी डिस्पेंसरी खोलने की कृपा करें। उधर जो सैलाबी क्षेत्र है वहां की बचा नहीं हो पाती और ४–५ महीने वह क्षेत्र कट-आफ रहता है। राघवपुर भी कट-आफ हो जाता है। इसलिये वहां भी डिस्पेंसरी की आवश्यकता है। साथ ही एक वीमेंस हास्पिटल, मत्लावां के लिए मंजूर रखा है, उसको भी खोलने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री को बधाई देता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस करता हूं।

श्री किसुना (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सदन का ध्यान पूर्वी जिलों के स्वास्थ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ आदि जिलों में कोई मेडिकल कालेज नहीं है, इसलिए गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने की जो सरकार की पहली नीति रही, उस ओर में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां मेडिकल कालेज खोलना चाहिए और वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मातहत रहे। अगर वहां से विद्यार्थी पास करेंगे तो देहात में जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्वी जिलों में तराई के इलाके में तरह-तरह की बीमारी है, जैसे टी० बी० इत्यादि। देवरिया में अस्पताल खुला हुआ है, लेकिन उसमें दवाई की मात्रा नहीं के बराबर है। ८–१० महीने हो गये वहां दो डाक्टरों की जगह एक डाक्टर काम कर रहा है। टी० बी०, जेल और पुलिस का डाक्टर वहां पर नहीं है। लोगों को दवाई समय से नहीं मिल पाती है। डाक्टर लोग अस्पताल में मरीजों को न देख कर अपने क्वार्टर पर देखते हैं और फीस के रूप में घूस लेते हैं, घूस के नाम से नहीं लेते, पर घर बुला कर फीस के नाम से लेते हैं। देवरिया जिले को देखते हुए वहां दवाई की मात्रा बढ़ानी चाहिए और तत्काल डाक्टर वहां भेजना चाहिए। वहां कोई डाक्टर नहीं है, न जेल का, न पुलिस का और न टी० बी० का। १५ वर्ष पहले आदमी काफी स्वस्थ होते थे क्योंकि दो सेर का घी मिलता था, लेकिन आज कल पांच रुपये सेर भी घी नहीं मिलता। गोरखपुर, देवरिया, बलिया ये जो जिले हैं वहां टी० बी०, कोढ़ वगैरह की बीमारियां बहुत होती हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर खास करके टी० बी० का अस्पताल खुलना चाहिये। देवरिया के अस्पताल में वहां के कर्मचारियों से इतवार को भी काम लिया जाता है इसलिये उनको कुछ अधिक पैसा सरकार की तरफ से मिलना चाहिये। वहां पर जो ज्यादा काम करते हैं, इतवार को भी काम करते हैं, उनको कम पैसा मिलता है, लेकिन जिनको ज्यादा पैसा मिलता है वह कम काम करते हैं। देवरिया अस्पताल की दशा यह है कि वहां की दवाई बाजार की दूकानों पर चली जाती है और रोगियों के पर्चे पर लिख दिया जाता है कि यह दवाई तुम फलां दूकान पर जाकर खरीदो। वहां के सिविल सर्जन का बंगला अस्पताल से मिला हुआ है। वह मरीजों को आम तौर से बंगले पर ही देखते हैं क्योंकि बंगले पर देखने से फीस मिलती है और अस्पताल में देखने से फीस नहीं मिलती। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज अवश्य खुलवाये।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री मैनेजर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तीन मिनट और बोलने दिया जाय। मन्त्री जी उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं माननीय सदस्य की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—आपको सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री किसुना—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देवरिया एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उसका आधा हिस्सा तराई का इलाका है। वहां लोगों को खाने पीने को भी अच्छा नहीं मिलता है इसलिये वहां तरह तरह की बहुत बीमारियां होती हैं जैसे पील पांव व टी० बी० वगैरह। वहां पर दवाइयों का अधिक प्रबन्ध किया जाय और वहां के लोगों के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखा जाय।

*श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज आपने मुझे सदन में बोलने की आज्ञा प्रदान की। श्रीमन्, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आज स्वास्थ्य की मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे बहुत से मित्रों ने अपने क्षेत्रों और चिकित्सा पद्धति के बारे में अपने विचार प्रकट किये। जहां तक बीमारियों की रोकथाम का प्रश्न और उनकी चिकित्सा का प्रश्न है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि उसमें अधिकारियों के प्रयत्न से क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। हम अखबार और पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि इतने हजार आदमी बंगाल या उत्तर प्रदेश में फलां बीमारी से मर गये, कहीं कोई महामारी उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में फैल गयी, लेकिन कुछ ही वर्षों के अन्दर ये बीमारियां पलायन कर रही हैं।

आजकल हमारे देश और प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रमुखता दी जा रही है। बहुत से एलोपैथिक अस्पताल खुले भी हैं, लेकिन बहुत से अस्पतालों में डाक्टर नहीं। गरोठा में अस्पताल की इमारत बनी है, लेकिन कोई डाक्टर नहीं है। मऊ रानीपुर के महिला अस्पताल में कोई लेडी डाक्टर नहीं है। सारे प्रान्त में ही ऐसी हालत है। मेरी राय है कि जहां आप एलोपैथिक को प्रोत्साहन दे रहे हैं वहां आप आयुर्वेदिक को भी प्रोत्साहन दें। झांसी में बुन्देलखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है जो श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी ने स्थापित की हैं। उसकी ३० लाख की इमारत खड़ी है। वह सुचारुरूप से चल रही है। वहां के विद्यार्थी दूसरे स्थानों में प्रोफेसर बनकर पढ़ाते हैं, उसको जो सरकार ने सहायता दे रखी है वह नगण्य है। मैं इस बात को भी स्मरण करा देना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी पक्ष के नेतागण हैं, उन सभी का समर्थन उस संस्था के लिये प्राप्त हो चुका है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी जब झांसी पधारे थे तो उन्होंने उस संस्था को देखा और उसे आश्वासन दिया। उनकी यह महान कृपा रही है कि समय समय पर उसे पूरी प्रकार से सहायता मिलती रही है। लेकिन सरकार से मेरी प्रार्थना यह है कि ऐसी महान संस्था केवल चन्दे के बल पर कहां तक चलायी जा सकती है? इसलिये मेरी यह मांग है कि उस संस्था को पूरी-पूरी सहायता दी जाय जिससे वह सुचारू रूप से चल सके।

मेरे ही जिले में बरुआसागर एक स्थान है जहां की आबोहवा बड़ी सुन्दर है। वहां केवल १०-१५ दिन रहने से ही कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर सकता है और करता है। ऐसे क्षेत्र के लिये मेरी मांग है कि वहां एक सेनिटोरियम बनाने का प्रबन्ध किया जाय तो इससे एक बड़ी भारी कमी पूरी की जा सकती है।

जहां तक आयुर्वेदिक चिकित्सा का संबंध है मेरा विचार है कि जितना प्रोत्साहन एलोपैथिक चिकित्सा को आज दिया जारहा है उतना ही प्रोत्साहन आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी मिलना च हिये। यहां पर कई वक्ताओं ने इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। यदि इस ओर सरकार का प्रोत्साहन रहेगा तो सभी इस ओर आकर्षित होंगे। जहां तक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटियों का संबंध है, आज वहां से निकले हुये स्नातक किसी भी डाक्टर से कम नहीं हैं, जैसे झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में ही हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो एलोपैथिक कालेजों में दी जाती है। वहां भी सर्जरी की शिक्षा दी जाती है, इंजेक्शन बनाने की शिक्षा दी जाती है तथा अच्छे-अच्छी आयुर्वेदिक दवायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीप्रसाद द्विवेदी]

तैयार करने की शिक्षा दी जाती है । आयुर्वेदिक दवाइयों के महत्व को संसार के बड़े-बड़े विद्वानों, पंडितों और डाक्टरों ने स्वीकार किया है । आयुर्वेद के अन्दर ऐसी भी दवायें हैं जिनमें मनुष्य की जीवन शक्ति को बढ़ाने की ताकत है । होम्योपैथिक, एलोपैथिक या और अन्य पद्धतियों में बड़ी अच्छी-अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन ऐसी दवा केवल आयुर्वेद के अन्दर ही है जिसमें जीवन शक्ति को बढ़ाने की ताकत हो । दुनिया के अन्य देशों ने भी इस बात को माना है । इसलिये हमारी सरकार को चाहिये कि वह आयुर्वेद को विशेष रूप से प्रोत्साहन दे । अगर इसे प्रोत्साहन दिया जाता है तो हमारे लिये वह बहुत ही मुफीद बात होगी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां हमारे देश के रहने वालों के शरीर के अनुकूल पड़ती हैं जबकि विदेशी दवाइयां अस्थायी रूप से ही यहां के लोगों को लाभ पहुंचाती हैं । हमारे यहां के पुराने ग्रन्थों में इस बात का वर्णन मिलता है कि एक च्यवन ऋषि थे जिन्होंने एक ऐसी दवा खायी जिससे वे बूढ़े से जवान हो गये । उन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश नाम की दवा आज बिकती है जो काफी ताकतवर समझी जाती है । इसी तरह से मकरध्वज नाम की दवा हमारे यहां की ही है जिसमें जीवन शक्ति को बढ़ाने की ताकत है । इन शब्दों के साथ जो अनुदान माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के सामने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपसे आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की मांग करता हूं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं । किसी भी देश का भविष्य उज्ज्वल तभी हो सकता है जब कि उस देश के नौजवान तन्दुरुस्त हों । किसी भी देश की तरक्की वहां के नोजवानों के द्वारा ही होती है । अगर नौजवानों की सेहत खराब है तो उस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती । उस मुल्क की ही तरक्की हो सकती है जिस मुल्क के नौजवान तन्दुरुस्त होंगे । हमारे मुल्क में अगर नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल है, उनकी सेहत ठीक है, उनका शरीर तन्दुरुस्त है, उनका दिमाग स्वस्थ है तो वह सही दिशा में सोचेंगे और समझेंगे कि हमारे लिये सही मार्ग क्या है, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य ही खराब है, उनकी सेहत ही ठीक नहीं है तो उस कमजोर शरीर में दिमाग भी तन्दुरुस्त नहीं हो सकता और उस बीमार दिमाग से न वह सही दिशा में सोच ही सकते हैं और न उस दिमाग से मुल्क का कल्याण ही होने वाला है । हमारे मुल्क में ज्यादा तादाद किसानों की है जो गांवों में ज्यादातर बसते हैं और शहरों में भी जनता आबाद है । हमें दोनों ही जगह की रहने वाली जनता के स्वास्थ्य का बराबर ही खयाल रखकर चलना होगा और दोनों को एक ही नजर मे देखना होगा । शहरों और देहातों के मुताल्लिक इस सरकार की जो चिकित्सा के सम्बन्ध में स्कीमें हैं उनको हमें देखना होगा कि वे उन दोनों जगह पर ठीक से काम कर रही हैं या नहीं । हमारे सूबे में ब्लाकों के जरिये प्लानिंग के बहुत से काम हो रहे हैं और यह जनस्वास्थ्य का काम भी उनके जरिये से हमारे यहां होता है । जिस क्षेत्र से मैं जीतकर आया हूं वहां अमरोहा में २ ब्लाक्स हैं जिसमें से एक जोया ब्लाक है । इस ब्लाक के अन्तर्गत २०० गांव और एक ब्लाक पर सिर्फ एक मेडिकल आफिसर वहां पर रहता है, वहां पर एक हेल्थ आफिसर और दो तीन नर्सें हैं । आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े २०० गांवों के इलाके में इतना कम अमला चिकित्सा विभाग का है तो किस तरह से उस इलाके के गांवों में स्वास्थ्य का सुधार हो सकता है, यह बड़े ही ताज्जुब की बात है ।

अभी हमारे मित्र माननीय मिश्र जी ने उधर से कहा था कि हमारे यहां स्वास्थ्य के विषय में चौगुनी तरक्की हो रही है । ठीक वह तरक्की उनको दिखाई देती है । आज इस सूबे में १,१०० से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं और उनमें ३२१ के अन्दर आज भी डाक्टर नहीं हैं, जैसा कि अभी एक दिन हाउस में प्रश्न का जवाब दिया गया था । इसके माने यह हैं कि हर ४ अस्पतालों में से एक में आज डाक्टर नहीं है । यही अगर सरकार का शानदार कारनामा है और उनकी यही चौगुनी तरक्की है तो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इस तरह की हालत है तो इस पर कोई जिम्मेदार सरकार फख्र नहीं कर सकती । इस तरह की कागजी स्कीमों से या इस

तरह से महज हेल्थ सेन्टर कायम कर देने से ही काम नहीं चल सकता । मैं नहीं समझ सकता कि ऐसे अस्पतालों से क्या फायदा होगा जिनमें न डाक्टर, न हकीम, न तबीब, न वैद्य, कोई भी न हो । मेरा सुझाव है कि अगर वाकई में डाक्टरों की कमी है और पढ़े लिखे ट्रेन्ड डाक्टर नहीं मिलते तो हमारे यहां यूनानी तरीके का इलाज जारी है, आयुर्वेदिक का रिवाज है और होशियार तबीब व होशियार वैद्य मिल सकते हैं। आज भी गांवों और कस्बों में बड़े-बड़े होशियार वैद्य और तबीब मौजूद हैं उनको आप इन अस्पतालोंमें मुकर्रर करें और नये सेण्टर गांवों और कस्बों में ऐसे कायम करें और वहां इन हकीम, वैद्य और तबीबों से उस वक्त तक काम लें जब तक कि आप को डाक्टर नहीं मिलते । इसी हालत में आप के यहां जनता को राहत मिल सकती है और लोगों का सही माने में इलाज हो सकता है ।

इसके अलावा जो ब्लाक के सेन्टर्स हैं वहां पर आम तौर पर डाक्टरों को इस बात की शिकायत रहती है कि हमारे पास दवाओं के स्टाक्स बहुत कम पहुंचते हैं और अमला भी बहुत कम दिया गया है। जहां पर एक-एक ब्लाक में २०० गांवों की बड़ी आबादी हो वहां इस तरह से कैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंतजाम हो सकता है ? वह यही हमेशा कहते हैं कि हमारे पास औषधियां नहीं हैं, दवायें नहीं मिलतीं, इन्जेक्शन थोड़े से आते हैं उन्हों को हम काम में लाते हैं । इस तरीके से हम इन कागजी स्कीमों से अवाम के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते और न जनता को हम बीमारियों से बचा सकते हैं । हमें देखना होगा कि हमारी जो स्कीमें हैं वह कहां तक अमली हो रहीं हैं और कहां तक उनसे वाकई अवाम को फायदा पहुंच रहा है या वह महज कागजी स्कीमें ही हैं । आज जरूरत इस बात की है कि गांव-गांव में सेन्टर कायम किये जांय । इसके अलावा हमारे जिले मुरादाबाद में ऐसे कस्बे मौजूद हैं कि जहां दस हजार की आबादी है, लेकिन कोई इन्तजाम दवा, इलाज का नहीं है । नौ गांवा सादात में दस हजार की आबादी है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी अस्पताल, डाक्टर या हेल्थ सेन्टर का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है । वहां गरीब अवाम हैं और ज्यादातर वहां पर बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं । जब कभी वहां कोई बीमार होता है या औरतें वगैरह बीमार होती हैं, तो उस बीमारी की हालत में परेशान होकर लोगों को अमरोहा आना पड़ता है । कहा जाता है कि तमाम ब्लाक्स में स्वास्थ्य का इन्तजाम है, लेकिन दस-दस हजार की आबादी के कस्बे आज भी इस सूबे में मौजूद हैं कि जहां पर कोई इलाज का साधन नहीं है । अगर आपको इतने सेन्टर्स खोलने पर और ऐसे अस्पतालों पर कि जहां डाक्टर नहीं हैं, दवायें नहीं हैं, फख्र होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप गर्व कर सकते हैं हमें कोई एतराज नहीं है । हम आपके हक को छीनना भी नहीं चाहते,लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ज्यादा दिन तक यह बातें चल नहीं सकतीं और अवाम विश्वास न करेंगे । अमरोहा में एक बहुत छोटा-सा अस्पताल कायम है । आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मतालबा है कि उस को तोड़ कर किसी गांव में ले जायं । गौर कीजिये, एक तरफ तो ८०,००० आबादी का कस्बा और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहे कि उसे तोड़ कर एक छोटा सा सेन्टर कायम कर दिया जाय । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह फौरन मुरादाबाद के सिविल सर्जन को लिखें कि उस सेन्टर को न तोड़ा जाय, बल्कि उसमें दवाइयां आदि भेजी जांय । आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में यह शिकायत रहती है कि अच्छी दवाइयां नहीं हैं, गरीबों को उनसे कोई फायदा नहीं होता, इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप इस तरफ ध्यान दें कि वहां अच्छी दवाइयां भेजी जायं, अच्छा स्टाफ का इन्तजाम करें, तभी पूरा-पूरा लाभ जनता को हो सकता है ।

इस सूबे में जिन कस्बों की आबादी ५०,०००है, जहां पर ज्यादातर बीड़ी बनाने वाले मजदूर, ठेला चलाने वाले मजदूर हैं, वहां पर वेलफेयर सेन्टर खोले जायं । हमारे जिले में सबसे ज्यादा परेशानी बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को होती है । जितने बीड़ी बनाने वाले मजदर हैं उनमें से ८० फीसदी टी० बी० के मरीज हैं । आप इसकी इनक्वायरी सिविल सर्जन के द्वारा करा सकते हैं । मुरादाबाद में टी० बी० का बहुत छोटा-सा क्लीनिक है जो वहां की जरूरियात के मुताबिक

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

बहुत कम है। इसलिये गुजारिश है कि अमरोहा में वेलफेयर सेन्टर खोला जाय ताकि मजदूर उससे फायदा उठा सकें तभी आपकी स्कीमों से जनता को फायदा पहुंच सकता है।

*चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—माननीय, जहां तक दोनों अनुदानों का संबंध है उन पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने पेश किया था तो मैं समझता था कि वे कुछ ऐसी खास बातें कहेंगे जिनसे सरकार उन पद्धतियों को अपनायेगी जिनसे प्रदेश के जन स्वास्थ्य का भला हो। इस संबंध में जो बहुत-सी बातें कही गई हालांकि उनका उत्तर दिया जा चुका है, लेकिन मैं संक्षेप में विरोधी पक्ष के बैठने वालों ने जो बातें कहीं हैं उनका जवाब देना चाहता हूं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट को पेश करते समय इस बात को पूरी तरह से माना है कि हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है और उसको दूर करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। किस प्रकार ग्रेड बढ़ाने की व्वयस्था की गई, उनको एलाउन्सेज देने की व्यवस्था की गई, दूसरे सूबों से खास कर वेस्ट बंगाल से डाक्टर यहां आ कर काम करें इसकी व्यवस्था की गई है, इन तमाम बातों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया।

जहां तक डाक्टरों की कमी का प्रश्न है अगर मेडिकल साइंस के छोटे से इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि शुरुआत में हमारे सूबे में लखनऊ का मेडिकल कालेज था, उसके बाद आगरा का बना। उसके बाद कानपुर मेडिकल कालेज स्थापित हुआ। पिछले साल इलाहाबाद मेडिकल कालेज बना। मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी थोड़ा सा प्रबन्ध किया गया है। तो डाक्टर बनने में कुछ समय लगता है। पहले ५ साल तो पढ़ना पड़ता है उसके बाद डाक्टर बनता है। इस बात को महसूस करते हुये कि डाक्टरों की कमी है प्रदेशीय सरकार इस संबंध में पूरी तरह से सतर्क है और कोशिश की जा रही है उस कमी को पूरा करने की। हम अस्पताल खोलना चाहते हैं क्योंकि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस सरकार को इस बात में आनन्द आता है कि हमारे पास डाक्टर उपलब्ध होते और वे डिस्पेंसरीज में न भेजे जाते? इस संबंध में जैसा कि अभी जिक्र किया गया एक कमेटी के बारे में इस सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा और भी साधनों को जुटाने का प्रयत्न किया जायगा जिससे हमारे यहां डाक्टरों की कमी दूर हो।

उधर के बैठने वालों ने कहा चूंकि डाक्टरों की कमी है इसलिये डाक्टरों में इन्एफिशियेंसी का होना स्वाभाविक है। मेरा निवेदन है कि जब-जब विभाग में इस तरह की शिकायतें आती हैं किसी भी डाक्टर के खिलाफ, चाहे वह मेडिकल कालेज का किस्सा हो, चाहे छोटे अस्पताल का किस्सा हो या बड़े अस्पताल का किस्सा हो, तो विभाग के द्वारा पूरी तरह से जांच करने के बाद सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। इस तरह के विभाग में आंकड़े हैं कि कहीं किसी डाक्टर ने लापरवाही की है, यदि कहीं पर गड़बड़ी की है तो समय-समय पर सरकार की तरफ से पूरी तरह से कदम उठाये गये हैं।

आयुर्वेद का विशेष रूप से यहां जिक्र किया गया कि परे तौर से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, कुछ लापरवाही की जा रही है। सदन को यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमने अपने प्रदेश में सेपरेट आयुर्वेदिक डायरेक्टोरेट की स्थापना की है। उसका उद्देश्य यह है कि जहां तक सम्भव हो उसके जरिये इस प्रदेश में आयुर्वेदिक पद्धति के संचालन में तरक्की की जाय। लिहाजा यह तो जनता के लोगों के ऊपर है कि वे इस प्रकार की पद्धति को अपनाना चाहते हैं या नहीं। सरकार के ऊपर इस संबंध में आक्षेप लगाना कि आयुर्वेदिक पद्धति को वह प्रोत्साहन नहीं देना चाहती, उचित नहीं है। मैं उनकी सूचनाके लिये बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में १९५१ में आयुर्वेद को केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६ बेड्स थे और अब बढ़ कर वे २१९ बेड्स हो गये ह और अपने सीमित दायरे के अन्दर सरकार आयुर्वेदिक पद्धति को सुलभ बनाने के लिये, उसकी तरक्की के लिये जितने भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं मुहइया कर रही है ।

यह भी उधर से जिक्र किया गया कि हमारे प्रदेश में बेड्स की बहुत कमी है, विशेष रूप से टी० बी० के मामले में ज्यादा चर्चा की गयी । जहां तक टी० बी० का संबंध है, अगर आंकड़ों को देखा जाय तो मैं नतीजे पर पहुंचा हूं कि आजादी प्राप्त होने के बाद इस सूबे में जितना टी० बी० के मामले को, टी० बी० की समस्याओं को सुलझाया गया है उतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी प्रदेश में नहीं सुलझाया गया है और न उतना काम किया गया है । उदाहरण के तौर पर हमारे प्रदेश में ७ के करीब टी० बी० सेनीटोरियम और अस्पताल हैं जिनमें ७०२ बेड्स हैं । उनमें कुछ पेइंग बेड्स हैं और कुछ फ्री बेड्स हैं । हमारे यहां आजकल करीब ३० स्टेट टी० बी० क्लिनिक्स हैं और १९६२-६३ में ५ और स्थानों पर खोलने का प्रबन्ध किया जायगा । इसके अलावा १४ जिला अस्पतालों में टी०बी० वार्ड्स स्थापित कर दिये गये हैं जिनमें २४४ पलंगों की व्यवस्था है । साथ ही जो आर्गेनाइजेशन्स टी० बी० का इलाज वगैरह करते हैं, सरकार द्वारा उनको ग्रान्ट वगैरह दी जाती है । हम यह मानते हैं कि टी० बी० की समस्या है, क्योंकि एक मरीज को ठीक होने में ६-८ महीने लगते हैं जिसके माने यह होते हैं कि ८ महीने में एक बेड खाली होता है । समस्या तो जरूर है, लेकिन यह प्रदेश टी० बी० की ओर ध्यान देने में और प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं ।

एक बात और कही गयी कि प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अस्पतालों में असमानता है,सरकार को उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, तो हम सभी अस्पतालों को लेना चाहते हैं और उनके कर्मचारियों को सभी प्रकार की सहूलियत देना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि इधर बैठने वालों ने विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया कि अगर हम अपने प्रदेश की जनसंख्या को देखें, देहात और शहरों की गिनती करें,अपने प्रदेश के रकबे को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुचते हैं कि जहां तक जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत लोगों के लिये दवायें, उनकी खुराक और अस्पतालों में साधन जुटाने का संबंध है, उसमें दो रायें नहीं हैं कि हमरे प्रदेश में पैसे का साधन बहुत कम है ।

एक बात यह कही गयी कि जब से आजादी आयी है और राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई है, अस्पतालों में इक्वीपमेंट वगैरह में कोई बहुत बढ़ोत्तरी नहीं हुई और उसके लिये जो पैसा वगैरह दिया गया उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ । अस्पतालों में दवा और खुराक वगैरह के बारे में विशेष रूप से शिकायत की गयी कि उसके लिये जितना पैसा देना चाहिये उतना नहीं दिया गया और जो कुछ बढ़ोत्तरी हुई वह नहीं के बराबर है । लेकिन अगर हम १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३, इन तीन सालों के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि जहां इक्वीपमेंट के लिये सन् १९६०-६१ में २१,६७,९०० रुपये थे वह १९६१-६२ में बढ़ाकर ४३,९४,००० रुपये कर दिये गये और इस साल उसके लिये ५४ लाख का प्राविजन किया गया है । इसी प्रकार दवाओं के लिये सन् १९६०-६१ में ६८,६१,००० रुपये का प्राविजन था जो सन् १९६१-६२ में ७० लाख हो गया और १९६२-६३ में ९१ लाख के करीब है । खुराक के लिये सन् १९६०-६१ में २७,४०,००० रुपये का प्राविजन था उसको बढ़ा कर सन् १९६१-६२ में २७,७९,००० कर दिया गया और सन् १९६२-६३ मे ३२,२२,९०० रुपये कर दिया गया है । फिर भी जैसा मैंने निवेदन किया, जो हमारे प्रदेश की जनसंख्या है उसको देखते हुये जो साधन जुटाये गये हैं वह कोई बहुत ज्यादा नहीं हैं ।

इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका मुख्य मंत्री जी जिक्र करेंगे । अन्त में जो माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने कट मोशन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मांग पेश की गई है और इस संबंध में सदन के दोनों पक्षों की ओर से माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनको मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की है। श्रीमन्, आज देखना यह है कि हमारे प्रदेश में दिनोंदिन बीमारियों का बढ़ाव क्यों हो रहा है। होता यह है कि बुनियादी चीज देखने की कोशिश नहीं की जाती है, कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है। इस संबंध में मेरा खयाल यह है कि आज सफाई की व्यवस्था का अभाव है।

दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक बढ़ गई है और जहां बंजर पड़े हुये थे और पानी के निकास के रास्ते थे उनमें खेती होने लगी है जिससे पानी का जमाव गांवों में होने लगा है। इसके कारण नाना प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं और उसी से अनेक बीमारियां पैदा होने लगी हैं। विभागों का भी आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। पानी के निकास की बात का संबंध माननीय सिंचाई मंत्री जी से है और रोगों की रोकथाम का काम स्वास्थ्य मंत्री जी का है। मैं उनसे आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि पानी के रास्ते खोले जायेंगे तो बहुत कुछ छुआछूत की बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां व्यायाम की कमी है। इसके लिये सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। एक ओर टैक्सों की भरमार से खाने-पीने की भी परेशानी हो गई है। सरकार की ओर से हर गांव में व्यायाम शालायें खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे लोगों में नई स्फूर्ति पैदा हो और लोग बलिष्ठ हों। यदि इस प्रकार का प्रबन्ध हो जाय तो रोग अपने आप चला जायेगा और डाक्टर की कोई जरूरत ही नहीं होगी।

मान्यवर, देखा यह गया है कि जो नये अस्पताल खुलते हैं और उनमें जो दवाओं का प्रबन्ध होता है उसमें भी पक्षपात होता है। सारी चीज शहरों में की जाती है जब कि शहरों की आबादी २० प्रतिशत और गांवों की ८० प्रतिशत है। जनतंत्र में इसकी व्यवस्था करने का काम आपका है कि सब के साथ समान व्यवहार हो। अगर नये अस्पताल देहात में खोले जायं तो बिजली, सड़क आदि चीजों की भी व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये। यह कहना कि सारी सुविधायें कर दी हैं न्यायसंगत नहीं है। मैं कहूंगा कि पक्षपात की बात बन्द की जाय और यह देखा जाय कि कहां आवश्यकता है और कहां नहीं है। देहात के लोगों के पास पैसा नहीं है और उनके लिये न दवाखाने हैं और न औषधियों का ही प्रबन्ध है। वह बेचारा बीमार होने पर मन मारकर रह जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि देहात में अस्पताल खोले जाने चाहिये चाहे वे आयुर्वेदिक हों या एलोपैथिक हों। और शहरों में जो अस्पताल खोलने की व्यवस्था है वह खत्म होनी चाहिये। इसका प्रयास करना चाहिये कि अधिक से अधिक अस्पताल ग्रामीण अंचलों में खुलें।

मान्यवर, यह सही है कि जहां अस्पताल हैं वहां डाक्टरों की कमी है, अगर डाक्टर हैं तो कम्पाउन्डर नहीं है, कम्पाउन्डर है तो दवाइयां नहीं हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायें हैं जिनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार से कहूंगा कि मंत्रिमंडल का इतना विस्तार तो हुआ, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नौकरशाही में वह स्फूर्ति और कार्यकुशलता नहीं आयी जो कि उसमें होनी चाहिये। इस प्रसंग में यह कहना भी न्यायसंगत होगा कि जिस तरह ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग होती है, उनको बहुत प्रयोजनीय शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार की शिक्षा यदि माननीय मंत्रिगण को भी दे जाती और वह एक एक जिले का इन्तजाम देख लेते तो उससे भी हर विभाग के अन्दर एक सजगता आती, एक स्फूर्ति आती और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों के अन्दर एक दिलचस्पी आती, कोई टालमटोल की नीति काम में न लायी जाती। आज सारा काम इस प्रकार का है कि हम यहां तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाहर हर बात में हमारी उपेक्षा की जाती है। आज किसी काम में सजगता नहीं है, फुर्तीलापन नहीं है, इन बातों की ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

अभी दो ही तीन दिन की बात है मेरे क्षेत्र में एक फौजदारी हुई। लेकिन उनको जिस अस्पताल में मुआयने के लिये ले जाया गया वहां दो तीन दिन तक उनका मुआयना इसलिये नहीं हो सका कि वहां डाक्टर साहब नहीं थे। अगर ऐसी ही हालत बनी रही तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य के मामले में हम किसी प्रकार काबू नहीं पा सकते। इसलिये यह जो डाक्टरों की कमी है यह शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिये और उसमें कोई भी टालमटोल की नीति बरतना उचित नहीं होगा।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूं कि जब कभी मुआयना होता है तो मुआयना करने वाले व्यक्ति को इतनी अधिक फीस देनी पड़ती है कि जो मुआयना कराने वाले व्यक्ति की क्षमता के बाहर होता है। आप ऐसा कोई आदेश निकालें कि जिसमें कि यह मुआयने की फीस की परम्परा हटा दी जाय और मुआयने की किसी तरह की फीस मरीज से न ली जाय।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना न्यायसंगत समझता हूं। मैं फतेहपुर जिले के टप्पाजार क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र तीन नदियों से घिरा हुआ है। बरसात में वहां आवागमन का कोई साधन नहीं रह जाता। एक आदमी को सदर के अस्पताल आने के लिये कम से कम ६०-७० मील की दूसरी तय करनी पड़ती ह। आप स्वयं ही समझ सकत ह कि ऐसी हालत में किसी मरीज का क्या हाल हो सकता है। मेरे क्षेत्र में केवल एक ही एलोपैथिक अस्पताल है जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी के बार्डर से लगा हुआ है। बीच के क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है। आप इस बात की जांच करालें, देख लें, बीच में जाफरगंज नामक एक बहुत अच्छा सेंटर है, यह एक बड़ा अच्छा कस्बा है, कई नदियों से घिरा हुआ एक बड़ा जन संख्या वाला अच्छा टापू है, यदि वहां किसी तरह का आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कोई भी अस्पताल खोलने की व्यवस्था हो जाय तो उस क्षेत्र को काफी फायदा होगा।

एक समस्या हमारे ग्रामीण अंचलों की और है, और वह है सैनिटरी इंसपेक्टर्स की। वह बाजार में जाकर तमाम चीजों के नमूने लेते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। जो किसी किस्म की फीस उनको देना पसन्द नहीं करते उसके यहां से तेल या दूसरे किस्म के खाद्य पदार्थों के सैम्पिल वह भर लेते हैं। लेकिन जो गलत काम करने वाले होते हैं वह तो इस बात के आदी होते ह कि वह किसी प्रकार उनको खुश कर लें और किसी तरह से वह कार्यवाही से बच जायं और अक्सर वह बच जाते हैं। लकिन जो आज रिश्वत को बुरा समझते हैं और भ्रष्टाचार को बुरा समझते हैं उनके ऊपर नाना प्रकार के मुकदमे चलाये जाते हैं और उन्हीं को ऊपर से तम्बी होती है और जुर्माना होता है। तो इस तरह से जो चालाक लोग हैं वे उनके चंगुल से बच जाते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी यदि उन लोगों के ऊपर कुछ ध्यान देंगे तो यह उन दूकानदारों के प्रति बड़ा भारी उपकार होगा।

*श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान को पेश करते हुये जो अपने भाव प्रकट किये हैं वह वास्तव में उनके हृदय के उद्गार हैं। उससे साबित होता है कि वह जन कल्याण के लिये और जन स्वास्थ्य के लिये क्या-क्या करना चाहते हैं। मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

इस विवाद के अन्तर्गत बहुत सी बातें इस सदन के सन्मुख प्रस्तुत की गई हैं। एक बात विशेषकर यह कही गई कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग रहते हैं परन्तु उनकी तरफ हमारी सरकार की तवज्जह बहुत कम है। यह कहा गया है कि ग्रामीण जनता शहरों की तरफ इलाज के लिये भागती है। क्यों भागती है उसका कारण केवल यह है कि ग्रामों के अन्दर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरसिंह]

अस्पताल आदि नहीं है । अगर वहां पर ऐसा प्रबन्ध होता कि अस्पताल आदि की सुविधा होती तो ग्रामीण जनता को इस तरह से आने का कष्ट न उठाना पड़ता । मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता चाहता हूं । मैं देखता हूं कि १०, १० मील के फासले पर भी कोई अस्पताल ग्रामों में नजर नहीं आते हैं । प्रसूति गृह भी बहुत कम है । जब किसी को बच्चा पैदा होने वाला होता है तो पुरानी दाई से ही, जो अनभिज्ञ और अनपढ़ होती है, काम लिया जाता है लेकिन वे कर ही क्या सकते हैं । ग्रामों की गरीब जनता है, वह शहरों से बड़ी-बड़ी नर्स और डाक्टरों को इतनी दूर बुला नहीं सकती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है । वे इतना पैसा कहां से खर्च करें कि डाक्टरों को शहरों से बुलायें । तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं ।

दूसरी बात यहां पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के संबंध में कही गई है । यह कहा गया है कि एलोपैथिक की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है और आयुर्वेदिक की अवहेलना की जाती है । मेरा मत इस संबंध में यह है कि जनता की मांग के ऊपर यह चीज छोड़ देनी चाहिये कि कहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जायं और कहां पर एलोपैथिक अस्पताल खोले जायं, क्योंकि डाक्टर और औषधि से लाभ नहीं होता है, बल्कि जनता की भावना और उनका विश्वास जिस प्रकार की पद्धति में होता है उससे ही लाभ होता है, यह भी मानना पड़ेगा । इसलिये जनता की भावना के अनुसार इन दोनों तरह की पद्धतियों को अपनाना जरूरी है । जनता की भावना के अनुकूल हर प्रकार के अस्पताल चाहे आयुर्वेदिक और चाहे एलोपैथिक हों, उनका प्रबन्ध किया जाय और इस तरह से अस्पतालों का प्रबन्ध करना सरकार का कर्तव्य है । जन कल्याण के लिये यह जरूरी है कि जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे । यह तो हम जानते हैं कि बहुत से अस्पताल खोले जा रहे हैं । वैद्यों को भी हमारी सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है और मेडिकल कालेज भी डाक्टरों की ट्रेनिंग के लिये खोले जा रहे हैं लेकिन यह अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं है जिससे जनता की चिकित्सा संबंधी पूरी-पूरी सहायता की जा सके । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांव में डाक्टरों की जरूरत तो बहुत रहती है लेकिन देहात में बहुत कम डाक्टर जाने को इच्छुक रहते हैं । कारण यही होता है कि शहरों में उनको प्राइवेट प्रैक्टिस द्वारा अधिक पैसा मिल सकता है और देहात में उतनी प्रैक्टिस होती नहीं । वहां के लोग गरीब होते हैं और वे पैसा नहीं दे सकते इसलिये मेरा निवेदन है कि मेडिकल कालेजों में जितने भी विद्यार्थी दाखिल हों उनसे बांड लिखा लिया जाय कि वे ५ या ४ साल तक अनिवार्य रूप से देहात में जाकर कार्य करेंगे । यह पद्धति अपनाने से उनको देहात में जाना लाजमी हो जायगा और यह करना चाहिये । मेडिकल प्रोफशन म लोग केवल पैसा कमाने ही नहीं आते, वे जनता की सेवा करन की भावना से भी आतें हैं और यदि उन के लिये ५ या ४ साल के लिये देहात में जाना अनिवार्य कर दिया जाता है तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिये । वहां जाने की उनके लिये आवश्यकता है । मेडिकल कालेजेज ज्यादातर सरकार द्वारा ही चलाये जाते हैं और इसलिये वहां इस प्रकार की शर्तें लगायी जा सकती हैं ।

इसके अतिरिक्त जो टी० बी० का भयंकर रोग फैल रहा है उसका मुख्य कारण हमारी इंडस्ट्रियल लाइफ है । अस्वस्थता के वातावरण में हमारा मजदूर वर्ग रहता है और इसी में उसे काम करना पड़ता है और इसलिये यह रोग उनमें भयंकर तेजी के साथ फैल रहा है । लखनऊ में हजारों आदमी मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर साहब के पास भागते हैं इसलिये कि उनको किसी अस्पताल में, किसी सेनिटोरियम में दाखिला मिल जाय । लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो मिनिस्टरों के पास तक पहुंच पाते हैं । ज्यादातर आदमी तो अपने घरों में ही इस रोग का शिकार हो जाते हैं और इसलिये इसकी ओर खास तौर से मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इसके अतिरिक्त एक बात मैंने प्राइवेट तरीके से भी मुख्य मंत्री जी के सामने रखी थी। हमारे खुर्जा में एक जनाना अस्पताल है। वह बहुत पुराना है और उसकी एक भी छत ऐसी नहीं है जो टपकती न हो। बरामदे और दरख्तों के नीचे भी मरीजों को रहना पड़ता है और वहां परदे तक का इंतजाम नहीं है। हमारे मंत्री जी को मालूम है कि वहां के एक सेठ ने उस के लिये डेढ़ लाख रुपये देने का वायदा किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों नहीं जल्द से जल्द उस रुपये का इस्तेमाल करती है और इस दिशा में कदम उठाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार अब इस ओर विशेष ध्यान देगी और मेरे क्षेत्र की जनता की इस मांग को पूरी करने का प्रयत्न करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं, जो अनुदान सदन में प्रस्तुत है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, जनस्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस के बारे में कटौती का प्रस्ताव आये यह उचित नहीं दिखायी देता, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आलोचना के लिये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके कारण मजबूर हो कर यह कटौती का प्रस्ताव रखना पड़ा है। श्रीमन्, जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में केवल २-३ बातें ही आप के सामने रखूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। सब स पहल म डाक्टरों के व्यवहार क सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हमारे सरकारी अपस्तालों में जो डाक्टर रहते हैं उनमें आपस में यह बातचीत चला करती है कि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस कितनी है? उसी पर कभी-कभी तो वे अभिमान तक करने लगते हैं। इसके कारण बहुत सी भ्रष्टाचार की बातें भी अस्पतालों में देखने में आती हैं। यह भी देखने में आया है कि अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती के लिये आया है तो उससे कह दिया जाता है कि कोई बेड खाली नहीं है। लेकिन अगर वह उसी डाक्टर को फीस देकर प्राइवेटली दिखाता है तो उसकी भर्ती अस्पताल में हो जाती है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, उनकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन यह सही है कि मरीजों को जो दवा लिखी जाती है उसके खरीदने के लिये भी एक अमुक दूकान रहती है और उसी दूकान से उस दवाई को खरीदने के लिये मरीज से कहा जाता है जिसके कारण उसको दवा के पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं।

एक बात और कहता हूं। जो कत्ल वगैरह होते हैं, मारपीट होती है उसमें डाक्टरों की रिपोर्ट एक विशेष महत्व रखती है। यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई कत्ल होता है तो कत्ल करने वाला व्यक्ति इस बात की खोज करता है कि उस दिन कौन डाक्टर ड्यूटी पर है, कौन कल रहेगा, और यह जानकारी कर के वह उस डाक्टर से मिलकर उसको कुछ फीस आदि देकर अपनी जांच कराता है और नतीजा यह होता है कि यदि गोली चलती है तो डाक्टरी रिपोर्ट में अन्य प्रकार की चोटें दिखायी जाती हैं। तो इस प्रकार की बातें जो विभाग में होती हैं उन पर सरकार का विशेष नियन्त्रण होना चाहिये, उसकी जांच होनी चाहिये, और जो लोग इस तरह के कार्य में पकड़े जायं उनको दंड मिलना चाहिये। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। अन्यथा वे लोग सरकार से पैसा लेकर जनता के पैसे का बुरुपयोग करेंगे। यह भी छिपी हुई बात नहीं है कि अस्पताल के कर्मचारी यदि ४ दिन की दवा देते हैं तो उसका पैसा ले लेते हैं। यह बात भी सुनने में आई है। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमारे यहां फतेहपुर में जो अस्पताल है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर जिला अस्पताल के अन्दर ३ बड़े हाल हैं और एक के अन्दर करीब ३०-४० चारपाइयां पड़ी रहती हैं। अफसोस की बात यह है कि वहां कोई पार्टीशन वाल नहीं है। एक ओर

[श्री रक्षपालसिंह]

चोट का मरीज वीभत्स रूप से पड़ा चिल्ला रहा है, बराबर में बुखार का मरीज पड़ा हुआ है। गर्मियों में बरांडे में पड़े रहते हैं और लू आदि से बचने के लिये टाट आदि के पर्दे नहीं हैं। तो इन कमियों की ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में कहा गया कि यह विवाद का विषय है। यह विवाद का विषय नहीं है। आयुर्वेदिक के साथ हमारी भारतीयता जुड़ी हुई है। आयुर्वेद के साथ हमारा स्वदेशी आन्दोलन जुड़ा हुआ है। तो क्या कोई भारतीय उन इंजेक्शन को लगवाना चाहेगा जिसमें कभी मरीज को पानी लगवाना पड़ता ही है, क्योंकि एलोपैथिक के इंजेक्शंस बड़े कीमती होते हैं, उनके लगाने की स्थिति में आज गरीब भारतीय नहीं है?

मुझे सुनने में आया है कि आयुर्वेद के स्थान पर एलोपैथी को बढ़ाने की ओर हम चल रहे हैं, एलोपैथी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर कोई दवा आयुर्वेद में अच्छी होती है उसकी खोज की जाती है उस दवा को एलोपैथी में एलोपैथी के डेवलप करने के लिये प्रयुक्त की जाती है, जब कि उसका उल्टा होना चाहिये कि दवाओं की एनालिसिस होने के बाद, उन पर अन्वेषण और विश्लेषण होने के पश्चात् आयुर्वेद के अन्तर्गत उनका प्रयोग होना चाहिये और आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये क्योंकि प्रत्येक भारतीय जड़ी-बूटी के द्वारा सस्ते में अपना इलाज करा सकता है और उसमें अपनी सफल चिकित्सा करा सकता है। इसका प्रमाण साथ ही यह भी है कि अस्पतालों में जो मरीज अच्छे होते हैं वह कम हैं और जो वैद्यों द्वारा होते हैं वह कहीं ज्यादा हैं, लेकिन उनकी संख्या कहीं गिनी तो जाती नहीं है, इसलिये पता नहीं चल पाता है। यदि वैद्यों को थोड़ी सी ट्रेनिंग मिले तो कार्य बहुत अच्छा चल सकता है। मेरी प्रार्थना सरकार से यह भी है कि वैद्यों के लिये जो रजिस्ट्रेशन के नियम कड़े कर दिये गये हैं उनको सुविधा उसमें प्रदान करनी चाहिये जिससे लोगों को वैद्यों के इलाज द्वारा सहायता मिले और आयुर्वेद को प्रोत्साहन न मिले। इससे जिन स्थानों में डाक्टरों की कमी है और लोगों को कष्ट होता है उसकी पूर्ति हो सकती है। जहां डाक्टर नहीं पहुंच पाते हैं उनकी उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।

मैं अपनी खागा तहसील के उस इलाके की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर ८, ८ और १०, १० मील तक कोई अस्पताल नहीं है। आज ब्लाक हेड-क्वार्टर्स पर अस्पताल खोले गये हैं, लेकिन टाउन एरियाज पर कोई अस्पताल नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे स्थानों पर अस्पताल होने चाहिये। मैंने किसुनपुर टाउन एरिया के बारे में सवाल रखा था। उसकी आबादी बहुत अधिक है, बाजार है बहुत बड़ी और जिले का प्रमुख स्थान है, लेकिन उस स्थान पर बांदा से भी लोग आते हैं। वहां एक अस्पताल की नितान्त आवश्यकता है। विजयपुर, जिसकी जन संख्या २, ३ सौ होगी, वहां अस्पताल खोल कर यह कह दिया गया है कि अब किसुनपुर में अस्पताल नहीं खोला जा सकता। यह जनहित के विरुद्ध है और इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि अस्पताल किस जगह खोले जायं इस बात पर विशेष ध्यान उसे रखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समथन करता हूं।

*श्री काजी जलील अब्बासी—उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। शिकायत करना बहुत आसान काम है, तारीफ करना मुश्किल है।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—तारीफ करना आसान है, आलोचना करना नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काजी जलील अब्बासी—वह तो आप के लिये है। आज जब कि १० साल के अन्दर सरकार ने इतनी उन्नति की है तो फिर अगर हम अपनी आंखों पर परदा भी डाल लें तो शिकायत के लिये तो कमियां मौजूद हैं ही, क्योंकि हम अभी उस मंजिल तक तो पहुंच नहीं पाये हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मैं ऐसी बहुत सी चीजें गिना सकता हूं जो १०, १२ साल पहले नहीं थीं, जब हम आये दिन सुनते थे कि आज उस गांव में हैजा पड़ा, आज दूसरे गांव में पड़ा और इसी तरह करते करते पूरी आबादी उड़ जाती थी। हमारे यहां मेडिकल कालेज के तालिब इल्म थे, बस्ती जिले में जो वहां जा कर रात दिन अथक परिश्रम करते थे और अथक काम कर के उन्होंने उस विपदा से लोगों को छुड़ाया। हैजा खत्म हुआ तो मलेरिया आया, लेकिन इन सभी एपोडेमिक्स को जिस तरह से हमारी सरकार ने कंट्रोल किया है उसके बाद यह हमारे लिये निहायत अफसोस की बात होगी कि अगर अपनी सरकार को हम इसके लिए बधाई न दें। आज एपेडेमिक्स करीब-करीब खत्म हो चुकी हैं। बस्ती इस प्रदेश का सब से बड़ा जिला है जो कि पहले बराबर एपिडेमिक्स का शिकार रहता था, कोई भी साल आराम से नहीं बीतता था, हजारों आदमी इन एपिडेमिक्स से मर जाया करते थे, लेकिन अब हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे जिले में अब कोई एपिडेमिक से नहीं मरता। यह कन्ट्रोल जो हमने कर लिया है इसलिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

जहां तक अस्पतालों की बात है, अगर ईमानदारी से देखा जाय तो पहले के मुकाबले में उन्होंने तरक्की की है। हम खुद बस्ती के अस्पताल को देखते हैं जिसमें १०-१२ साल के अन्दर सिर्फ यही नहीं कि ज्यादा बिल्डिंग बनी, डाक्टर ज्यादा बढ़े, मरीज ज्यादा बढ़े, बल्कि दवाइयां भी बढ़ी हैं। मैंने अभी अपने विरोधी दल के सदस्य को बहुत गौर से सुना, जिन्होंने कहा कि दवाइयां दुकानों पर रख दी जाती हैं और पर्चे लिखे जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में आजाद हैं, जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे डाक्टरों में कहीं दो-चार भले ही ऐसे हों जिनका अनुभव विरोधी भाइयों को हुआ हो, लेकिन उनको यह भी अनुभव हुआ होगा कि ऐसे भी डाक्टर्स हैं जिनको सवेरे से कर रात के १२ बजे तक जूता खोलने की नौबत नहीं होती, खाना खा नहीं सकते, विश्राम कर नहीं पाते घर पहुंचे नहीं कि कोई न कोई काल आ गई या कोई ऐक्सीडेन्ट हो गया। वह मुस्तकिल तौर से अस्पताल के काम में लगे रहते हैं। उन डाक्टरों की जिन्दगी को देख कर जो सुबह शाम तक इस तरह की मेहनत करते हैं उनको हम बधाई देने के लिये मजबूर हैं। अगर हम उनकी मुश्किलात को महसूस नहीं करेंगे तो अपने को इन्सान नहीं कहेंगे। उनकी मुश्किलात को महसूस कर के ही हम उनमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। उनमें परिवर्तन लाने के लिये हमें अपने में भी परिवर्तन करना होगा। इन्सानियत के नाम पर हमें सोचना चाहिये कि डाक्टर कितना काम कर सकता है।

आज हालत यह है कि ग्रेजुएट्स देहातों में रहना नहीं चाहते, नौकरी की तलाश करते बाहर जाते हैं, क्योंकि देहात की जिन्दगी में उनको ऐशोआराम के वह साधन नहीं मिल पाते। इसलिये अगर यह डाक्टर डिग्री लेने के बाद इस तरह के अस्पतालों की तलाश करता है तो थोड़ी देर के लिये हमें संजीदगी से गौर करना चाहिये। आखिर वह भी इंसान हैं, हमारी तरह से पढ़ा-लिखा है, वह भी हमारी तरह से अपने बाल-बच्चों के साथ साफ सुथरी जिन्दगी में रहना चाहता है। यह और बात है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने ग्रेजुएट्स हों वह जाकर देहातों में रहें। पहले हम इस बात को कर के देखें कि हम में से कितने भाई हैं जो बजाय इसके कि शहर में नौकरी तलाश करें या वकालत या तिजारत करें, वह देहातों में जाकर खिदमत करें और खेतों में काम करें। तब हम डाक्टरों को लेक्चर दे सकते हैं। डाक्टर को देहात में रखने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मेरा सरकार को यह सुझाव है कि उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। देहात के लिये दूसरी और शहर के लिये दूसरी तनख्वाह मालूम नहीं डबल तनख्वाह करनी पड़ेगी। साथ-साथ ऐसी ऐसी चीजें निकल आयी हैं कि आप

[श्री काजी जलील अब्बासी]

डलाक्स में फलश वगैरह का इन्तजाम हो जाता है और दूसरी जरूरियात की चीजें मुहैया हो जाती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा एक भूतपूर्व माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि डाक्टरों को चाहिये कि जाकर अरहर के खेत में पाखाने जांय। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को भाषण दे सकते हैं। हम डाक्टरों को भी इंसान समझें। अगर तनख्वाह बढ़ा दी जाय तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे डाक्टर देहात में जाकर जनता की सेवा कर सकते हैं और उनके नेता बन सकते हैं। देहात में जा कर उनके हाथ में लीडर शिप आ सकती है। इस तरह से आप डाक्टरों को देहात में जाने का प्रोत्साहन दें।

इसके साथ ही साथ मैं आप के द्वारा अपने क्षेत्र के बारे में मंत्री जी से यह कह रहा था कि हमारे इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। दूसरे वर्तमान मुख्य मंत्री जो जब हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने १२ साल पहले एक जनाना अस्पताल मंजूर किया था अब आप के माध्यम से मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे आज इतने बड़े आसन पर बैठे हैं, उस जनाने अस्पताल को खोलने की कृपा करें। डुमरियागंज एक बहुत बड़ी तहसील है। वहां पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल की और आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां पर अस्पतालों की बड़ी कमी है। कम से कम ५-५ मील पर एक अस्पताल अवश्य खोलने की कृपा करें। अस्पताल चाहे होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो, किसी भी प्रकार का हो। अस्पतालों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि बड़े-बड़ो बिल्डिंग्स ही तलाश करें, हमें तो सस्ते से सस्ते इलाज को अपनाना है। हर तरीकए इलाज को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

मैं आप का ध्यान इस ओर आर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिले की आबादी बहुत बड़ी है और दूसरे जिलों के देखते हुए हमारे जिले में तरक्की भी बहुत कम हुई है। इसलिये बस्ती जिले की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती जिला मलेरिया का एरिया था, उसके सम्बन्ध में वहां कुछ काम हुआ है, लेकिन और भी बहुत सी बीमारियां वहां हैं। टी० बी० का अस्पताल लोगों ने खोल कर आप को दे दिया, वहां भी जो साधन होने चाहिये वह नहीं हैं। हमारे यहां ट्रान्स राप्ती में भी अस्पतालों की बहुत कमी है। बरसात में वह क्षेत्र दो भागों में बंट जाता है। इसलिये वहां भी अस्पतालों के बारे में ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर---उपाध्यक्ष महोदय....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने जिनका नाम पुकार लिया है अब तो वही बोलेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कभी आप किसी पार्टी वाले को बुलाते हैं कभी किसी को। खास-खास आदिमयों को ही आप मौका देते हैं, हम लोग रह ही जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---सुन लीजिये। सब पार्टियों को मौका देता हूं और निर्दलीय को भी मौका दे चुका हूं। समझकर ही बुलाता हूं।

श्री लखपत राम शर्मा---एक निर्दलीय को बुला लिया और कांग्रेस के तो बहुत से लोगों को बुला लिया।

श्री उपाध्यक्ष---आपको भी तो कई बार मौका दिया जा चुका है।

श्री लखपतराम शर्मा---वहां लोगों की मौत और जिन्दगी का सवाल है और आप कहते हैं कि पहले मौका मिल चुका है।

*श्री मैनेजर—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जनस्वास्थ्य और चिकित्सा के अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में डाक्टरों का अभाव है। मान्यवर, डाक्टरों के अभाव का प्रश्न बारम्बार इस सदन में उठाया जाता है लेकिन सरकार इस अभाव को दूर करने में असफल रही है। इसका एक कारण है कि मेडिकल कालेजों में जो भर्ती का तरीका है उसमें उन्हीं लोगों को प्रमुखता दी जाती है जो शहरों के रहने वाले हैं अथवा बड़े लोगों के नाते रिश्तेदार हैं यही कारण है कि ये डाक्टर बन कर जब मेडिकल कालेज से निकलते हैं तो देहातों में जाना पसन्द नहीं करते। इसलिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। कि मेडिकल कालेजों में भर्ती के कुछ नये नियम बनाये जायं जिससे देहातों के लोगों को भी कुछ स्थान मिले। मैं तो यह चाहूंगा कि इसका भी परसेन्टेज मुकर्रर कर दिया जाय, जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से। यदि आपने परसेन्टेज मुकर्रर कर दिया तो निश्चित रूप से देहाती विद्यार्थी मेडिकल कालेज में आवेंगे और वहां से शिक्षा प्राप्त कर के, बाद में वे अवश्य देहातों में जायेंगे, बिना किसी प्रलोभन के, और इससे जनता की सेवा हो सकेगी।

दूसरी बात यह है कि जहां आपने देहातों के अस्पतालों में डाक्टरों का प्रबन्ध किया है, कम्पाउन्डरों का प्रबन्ध किया है, जहां वेतन पर एक हजार रुपये खर्च करते हैं, वहां औषधियों पर बहुत कम व्यय होता है। जहां आप एक हजार रुपये वेतन पर खर्च करें वहां साल में दवाइयों पर कुल एक हजार रुपये खर्च करें तो इससे जनता को लाभ नहीं होता है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि औषधियों की मद में अधिक रुपये स्वीकृत होने चाहिये। देहात के अस्पतालों में आपने रोगियों की शय्या बढ़ाने का प्रबन्ध किया है, लेकिन साथ ही आपने भोजन के लिये ५० रुपये रख दिये हैं जो एक मजाक और हंसी की बात मालूम होती है। यह एक खानापूरी की सी बात मालूम होती है जिससे देहात की गरीब जनता का कोई भला नहीं हो सकता है।

यह सर्वविदित है कि रोगियों में स्त्रियों व बच्चों की संख्या अत्याधिक है लेकिन उनकी दवा दारू के लिये सरकार ने कोई विशेष प्रबन्ध आज तक नहीं किया है। मैं मानता हूं कि पिछले सालों में कुछ तरक्की हुई है, कुछ ज्यादा साधन उपलब्ध किये गये हैं, लेकिन बच्चों के लिये, विशेषकर स्त्री रोगियों के लिये बेड्स के लिये कोई विशेष व्यवस्था इस प्रदेश में नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे कि स्त्री रोगियों के लिये ज्यादा साधन उपलब्ध किये जायं।

इस सम्बन्ध में मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो जनरल अस्पताल देहातों में पुरुषों के लिये मौजूद हैं, उन्हीं में लेडी डाक्टरों का प्रबन्ध किया जाय ताकि देहातों की जो पर्दानशीन औरतें हैं और जो अपने रोगों के सही विवरण डाक्टरों के सम्मुख नहीं दे सकतीं वे लेडी डाक्टरों को अपने रोगों को बतलावें जिससे उनका सही इलाज व उपचार हो सके।

इस सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अपने गुण हैं, उसका विकास व प्रसार होना चाहिये, लेकिन साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एलोपैथिक चिकित्सा इतनी महंगी पड़ती है कि उससे सम्पूर्ण देश और प्रदेश की जनता की सेवा नहीं हो सकती। एक नही दस पन्द्रह योजनाओं के बाद भी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से सम्पूर्ण जनता की सेवा नहीं हो सकती है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सस्ती चिकित्सा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर]

पद्धति को आप अपनावें । उसके लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का बहुत ही व्यापक क्षेत्र है । कहने का अर्थ यह है कि यदि आप इसका विकास करें और इसको आगे बढ़ावें तो कम समय में और कम खर्च में ही आप सम्पूर्ण जनता की सेवा कर सकते हैं । साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के गुण का और एलोपैथिक चिकित्सा के गुण का समिश्रण होना चाहिये । संयुक्त पद्धति अपनानी चाहिये, जिस प्रकार की कोशिश हमारे महामना मालवीय जी ने हिन्दू विश्वविद्यालय में शुरू की थी । मैं चाहता हूं कि सरकार उस तरफ ध्यान देगी और संयुक्त पद्धति अपना कर इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की कोशिश करेगी ।

कहा गया है कि पहले एक लखनऊ में ही मेडिकल कालेज था, लेकिन अब आगरा, कानपुर में मेडिकल कालेज हैं तथा इलाहाबाद में भी एक मेडिकल कालेज है । लेकिन क्या मंत्री जी की सरकार ने कभी यह भी गौर किया कि इस सूबे के जो ऐसे इलाके हैं जहां कि रोगियों की संख्या ज्यादा है, जहां लोगों को अनेकानेक प्रकार की बीमारियां होती हैं वहां की क्या हालत है । कभी सरकार ने उस प्रदेश के पूर्वी अंचल में कोई मेडिकल कालेज खोलने की बात नहीं सोची । बार-बार इस विषय में अनुरोध किया जाता है, लेकिन सरकार उस को अनसुनी कर देती है । मैं चाहूंगा कि इधर के माननीय सदस्यों ने जो गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज खोलने की मांग की है उस को मैं चाहता हूं कि इस अनुदान के संबंध में सरकार मान कर घोषणा करे कि गोरखपुर में शीघ्र ही एक मेडिकल कालेज की स्थापना होगी । यदि आप ऐसा करेंगे और वहां पर गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर के छात्रों को डाक्टरी पढ़ने के लिये प्रमुखता देंगे तो गोरखपुर मेडिकल कालेज से निकले हुये डाक्टर देहात की पूर्ण रूपेण सेवा करेंगे ।

इसके अलावा बलिया जिला जो आप के सूबे का पूर्वी जिला है वह ३ तरफ से नदियों से घिरा हुआ है । ३ तरफ से घाघरा और गंगा पूरे जिले को घेर लेती हैं और हर साल वहां बाढ़ का भयंकर प्रकोप होता है और नाना प्रकार की बीमारियां वहां फैलती हैं और सारी की तमाम जनता बाढ़ और अनेक प्रकार के रोगों की शिकार होती है । ऐसे सैलाबी इलाकों के लिये सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि घाघरा के ढाहो के क्षेत्र में जो हुसेनपुर, दुर्जनपुर, मिल्की और सुरेमनपुर आदि प्रमुख गांव हैं वह बरबाद हो गये और नई बस्ती बनाई गई । वहां हमारे भूतपूर्व गवर्नर महोदय श्री भगवान गये थे । उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि यहां पर अस्पताल की स्थापना होगी, सरकार से उस विषय में लिखा-पढ़ी हुई, उस के लिये जमीन के संबंध में भी पूछताछ हुई और जमीन भी उपलब्ध हो गई, उसके बाद फाइल बन्द हो गई और अब कोई कार्यवाही अस्पताल खोलने के लिये नहीं हो रही है ।

इसके अलावा एक गांव माननीय जदुनाथनारायण जी के गांव में है जहां पर देश के ही नहीं वरन् विदेशों के भी बड़े-बड़े लोग देखने के लिये आते हैं और अमरीका के भी लोग आते हैं जहां से कि आप कर्ज लेते हैं और जिन को कि आप हरा बाग दिखाया करते हैं । वहां के लोग देखकर आश्चर्य करते हैं कि स्वास्थ्य के नाम पर इतना रुपया आता है और वह कहां जाता है और किस तरह से आप जिले में अस्पताल खोलकर धोखा देते हैं । इस तरह से आप स्वयं अपनी विदेशों में बदनामी कराते हैं । मैं चाहता हूं कि इस प्रमुख क्षेत्र में चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की जाय और मैं आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान उस तरफ जायगा ।

चिकित्सा के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिये हमें शुद्ध जल और शुद्ध खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है । आज हमारे यहां मिलावट की बीमारी इतनी फैल गई है कि कोई भी खाने की वस्तु मिलावट से खाली नहीं है । वनस्पति घी को रंगने की बात थी, लेकिन आज तक उस को रंगने के लिये कोई रंग नहीं मिलता । न मिलने का कारण यह है कि सरकार उन विजीटेबिल के बनाने वाले मिलमालिकों और पूंजीपतियों के चक्कर में है । मैं तो कहूंगा कि माननीय अन्न

मंत्री जी पर वनस्पति घी के व्यापारियों का दवाब पड़ता है और वह कहते हैं कि अगर वनस्पति घी को रंग दोगे तो सारी उस की खपत ही बन्द हो जायगी और रोजगार को नुकसान पहुंच जायगा। मंत्री जी भी उन की बात मान लेते हैं, क्योंकि वह उन से लाखों रुपया अपने चुनाव कोष में लेते हैं और इसी कारण से उन का इन पूंजीपतियों के ऊपर वरद्हस्त है। क्या सारा आप का विज्ञान फेल कर गया कि आप आज तक उस को रंगने का कोई रंग ही नहीं निकाल सके? देशी घी में आधा भाग भी इस के वजह से शुद्ध नहीं मिलता। इस मिलावट की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि घी, दूध अन्न सब में मिलावट होती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पूंजीपतियों का मोह छोड़ कर जल्द से जल्द डालडा को रंगने की व्यवस्था करें। यही मेरा निवेदन था, माननीय मुख्य मंत्री जी हंस रहे हैं, शायद वह जल्द इधर कदम उठावेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मान्यवर, ५ मिनट का समय हमें भी दे दिया जाय।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—सदन का कुछ समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—मतलब यह कि सदन का समय आप बढ़ाना चाहते हैं।

श्री झारखंडेराय—जी हां, मैं चाहता हूं सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय, ताकि कुछ सदस्य और बोल सकें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आधा घंटा बढ़ा दिया जाय, इससे ज्यादा नहीं।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, मौजूदा राष्ट्रीय सरकार की कोई राष्ट्रीय चिकित्सा नीति नहीं है यह मेरा पहला आरोप है। चिकित्सा नीति में पूरी अनार्की चल रही है, योजनाहीन चिकित्सा नीति है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन परम्परा और प्राचीन चिकित्सा पद्धति तथा ज्ञान से नई नीति निर्धारण में कोई लाभ नहीं उठाया गया। रोग बढ़ते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों अस्पताल बढ़ रहे हैं, डाक्टर बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही है त्यों-त्यों भयानक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे टी० बी० टायफाइड, टिटनेस, जो पहले गांवों में सुने भी नहीं जाते थे। मलेरिया नाश हो रहा है। परन्तु मच्छर बढ़ते जा रहे हैं। ५० लाख क्षयरोगी देश भर में हैं। प्रतिवर्ष ५ लाख क्षय से मरते हैं। कानपुर तथा प्रयाग में क्रमशः १ लाख और ४० हजार क्षय रोगी हैं। १५ लाख कोढ़ी देश में और ८० हजार उत्तर प्रदेश में हैं। प्रत्येक १० में एक भारतीय गुप्त रोगों से पीड़ित है। कुष्ट रोग प्रदेश में बढ़ाव पर है। पागलपन का रोग बढ़ रहा है। यह सरकार की चिकित्सा नीति में असफलता का प्रमाण है। मान्यवर, माननीय डी० पी० करमार्कर ने सेन्ट्रल काउन्सिल आफ हेल्थ की जयपुर की मीटिंग में अक्तूबर १९६० में इस बात को स्वीकार किया था।

In so far as doctor-population-ratio was coneerned the country was at present practically where it was in the first five year plan because the outturn of doctors had only just kept pace with the growth of population.

[श्री झारखंडे राय]

देश में भयानक रोगों के बढ़ाव का एक बड़ा कारण मिलावट है। मिलावट राष्ट्रीय अपराध घोषित होना चाहिये। दवाओं का राष्ट्रीय-करण हो जाय। लखनऊ मेडिकल कालेज से अस्पताल अंग को अलग स्वतंत्र किया जाना चाहिये।

मान्यवर, आयुर्वेद के साथ वर्त्तमान सरकार ने आज विदेशी सरकार की भांति सौतेली मां की नीति जरूर छोड़ दी है, लेकिन सौतेली मां का व्यवहार करना नहीं छोड़ा। सरकार की कोई नेशनल पालिसी आयुर्वेद के बारे में न होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मैं एक उदाहरण आयुर्वेद के बारे में सरकार की नीति के विषय में देना चाहता हूं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के एक पत्र की कुछ पंक्तियां जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन के आयुर्वेद ब्लाक के नाम ११ जुलाई, १९६० को लिखा था, मैं पढ़ना चाहता हूं। "यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है कि हम भारत में जानबूझ कर आयुर्वेद की उपेक्षा कर रहे हैं। चीन की वर्तमान साम्यवादी सरकार चीनी चिकित्सा के लिये इससे अधिक करती प्रतीत होती है। हम इस धारणा के वशीभूत हो रहे हैं कि जो प्राचीन है वह अवैज्ञानिक तथा जो नवीन है वह वैज्ञानिक है।" आगे इसमें कहा गया है- "इस मध्य में सरकार द्वारा अपनाई गयी नीति बैद्यों को पूर्णतया निकाल फेंकने की है। उनके द्वारा स्वीकृत प्रारम्भिक स्वास्थ्य खंड योजना का उद्देश्य समस्त देश में ऐसे खंडों का जाल बिछाना है जिसमें एक डाक्टर एलोपैथ अवश्य होगा। इस योजना में वैद्य के लिये कोई स्थान नहीं है"। अन्त में उस पत्र में बहुत भावपूर्ण तरीके से कहा गया है "एक हजार वर्ष से भी अधिक काल के विदेशी शासन में भी दृढ़ निश्चय वाले आयुर्वेद का स्वातंत्र्योत्तर भारत लगभग एक दशाब्दी में ही हनन कर देगा।"

इससे बढ़ कर आयुवद संबंधी पूरी चिकित्सा नीति के बारे में हम और क्या कह सकते हैं? जो वैद्य और डाक्टर एक ही प्रकार के अस्पताल में काम करते हैं उनके पे स्केल में फर्क है। जो कंपाउंडर एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक अस्पताल में काम करते हैं उनके पे स्केल में फर्क है। उपमंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि उन्होंने आयुर्वेदिक डायरेक्टोरेट अलग कर दी है। बात सही है, लेकिन डायरेक्टर का पे स्केल वही है जो उनके डिप्टी डायरेक्टर रहने के समय का था। केवल १०० रुपये और बढ़ा दिये गये हैं। आज प्रश्न इस बात का है कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को वह स्थान दिया जाय जो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज को दिया जाता है, तथा वैद्यों और हकीमों को डाक्टरों के बराबर अधिकार मिलें। जो आयुवदिक डिस्पेंसरीज को देहात में दिया जाता है ५०० रुपये वार्षिक वह बहुत कम है, उसे बढ़ाना चाहिये, ७५० रुपये वार्षिक इन्डोर के लिये कम है। और जब डायरेक्टरेट अलग हो गया तो जरूरत यह है कि जिला स्तर पर भी इस विभाग को अलग किया जाय। कम से कम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो १४ क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनके मातहत सरकार १४ जिले देकर इस प्रयोग को कर सकती है, ११ आयुर्वेद में और ३ यूनानी में और अगर वह सफल हो जाय तो ५ वर्षों में पूरे प्रदेश में आयुर्वेद को एलोपैथ से अलग करके स्वतंत्र रूप से उसका संचालन किया जाय। आयुर्वेद महाविद्यालयों को अन्वेषण हेतु पर्याप्त धनराशि दी जाय। आयुर्वेद का बजट २ करोड़ तो होना ही चाहिये। इससे जनता का उतना लाभ होगा, जितना एलोपैथी पर १० करोड़ व्यय से भी नहीं होगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने २० दिसम्बर, १९६० को राजकीय आयुर्वेदिक सेमिनार में लखनऊ में इस बात को स्थानीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्वीकार किया और उनके ये शब्द है—मैं जानता हूं कि आज तक जो वैद्यों को तनख्वाहें दी गयी हैं वह संतोषप्रद नहीं हैं। मैंने कुछ जगहों का प्रान्तीयकरण किया था। मैं समझता हूं कि जो आयुर्वेद व तिब्ब पढ़े उनकी कद्र उसी प्रकार होनी चाहिये जिस प्रकार एक एलोपैथ डाक्टर की होती है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछता हूं कि उनके हाथ में विभाग है, किस तरफ वह कदम बढ़ा रहे हैं? उनके ये शब्द जहां तक सम्भव है आयुर्वेद और यूनानी को जिन्दा रखने के लिये, हमारी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। ये शब्द कोरे शब्द हैं? उस दिशा की ओर वांछनीय कदम नहीं बढ़ाया गया है।

अन्त में एक मिनट दे मैं खत्म करूंगा। गाजीपुर जिले में एक बहादुरगंज स्थान है जिसमें एक अस्पताल की निहायत जरूरत है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। वहां से ७, ८ मील के अन्तर्गत कोई भी अस्पताल नहीं है। बरसात के दिनों में वह स्थान टौंस की बाढ़ से घिर जाता है। इसलिये वहां अस्पताल बनाने की निहायत जरूरत है। आजमगढ़ जिले के घोसी क्षेत्र में सुल्तानपुर तथा नदवासराय बहुत पिछड़े इलाके हैं और बाढ़ से वे भी घिर जाते है। वहां भी अस्पताल की निहायत जरूरत है। वहां पर भी ५, ६ मील के अन्तर्गत कोई अस्पताल नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद (जिला रायबरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रायबरेली पूर्वी क्षेत्र से आपके बीच में आया हूं और जो प्रथम अवसर आपने मुझे दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे विरोधी साथियों ने सरकार के खिलाफ बहुत सी बातें कहीं कि सरकार ने यह नहीं किया और वह नहीं किया और स्वास्थ्य के विषय में प्रदेश में जरा भी प्रगति नहीं हुई। हमारे प्रिय दोस्त झारखंडे राय ने जो मेरे पुराने साथी हैं, आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा भिड़ा कर साम्राज्यवादी हुकूमत के खिलाफ कदम उठाया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि मेरे दोस्त सरकार को सहयोग प्रदान करें, गांवों में जाकर डाक्टरों को सहयोग प्रदान करें। सो बात तो है नहीं, केवल यहां बैठ कर आलोचनायें करते हैं। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि बजाय इस प्रकार क्रिटिसाइज करने के वे सरकार को सहयोग प्रदान करें तभी स्वास्थ्य के मामले में देश की प्रगति होगी, नहीं तो बाधा होगी।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह इतना जल प्लावित क्षेत्र है कि वहां जहां एक तरफ गंगा की बाढ़ से प्रति वर्ष जल प्रलय होती है वहां दूसरी तरफ सई की बाढ़ से सारा क्षेत्र पानी से भर जाता है। मैं विनम्रता के साथ श्रीमान् जी से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को विशेषकर उस क्षेत्र की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां हर साल मलेरिया, चेचक और हैजे का प्रकोप होता है। (लाल बत्ती जलने पर) मैं पहली बार बोल रहा हूं और श्रीमान् ने लाल बत्ती जला दी। मैं अदब के साथ प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी कुछ टाइम दें। मैं भी विधायक होकर आया हूं और जनता ने चुन कर मुझे भेजा है। मेरे क्षेत्र में लालगंज में एक राजकीय अस्पताल है, लेकिन वहां कम्पाउन्डरों के रहने के लिये कोई स्थान नहीं है, डाक्टरों के लिये कुछ थोड़ा सा स्थान है। वहां ऐहार में १ १/२ साल से डाक्टर नहीं है और डलमऊ अस्पताल में भी कोई डाक्टर नहीं है। अभी चार दिन हुये कि वहां के प्रारम्भिक पाठशाला की एक बुढ़िया खादिमा मलेरिया बुखार से पीड़ित हो गयी। उसे १०६ डिग्री का तेज बुखार हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी डाक्टर के अभाव के कारण। इसलिये मैं श्रीमन्, स्वास्थ्य मंत्री से विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूं कि उस एरिया की तरफ ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले धन्यवाद दूं कि मुझे पांच ही मिनट आप देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं तह दिल से समर्थन करता हूं। आज ही हमको एक पुस्तिका मिली है। ज्यादा हम इसको पढ़ नहीं पाये, लेकिन इसमें यह जरूर बताया गया है कि पहली आयोजना में ५१ नये पैसे प्रति व्यक्ति, दूसरी आयोजना में ९२ नये पैसे प्रति व्यक्ति और अब तीसरी आयोजना में १ रुपया ५५ नये पैसे प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय करने की व्यवस्था है।

उधर से कहा जाता है कि हम लोग विरोध करते हैं। हम विरोध नहीं करते हैं, सच्ची बात कहते हैं। सच्ची बात को विरोध बताया जाय तो क्या दवा है? जो वर्तमान स्थिति है उसको हम कहते हैं। देवरिया, गोरखपुर और बस्ती वगैरह से जो आज आवाज आ रही है क्या वह झूठ बात है? ८० हजार जनता के प्रतिनिधि को झूठा करार दिया जा रहा है, विरोधी कहा जा रहा

[श्री लखीसिंह]

है। मैं कह सकता हूं कि छाता क्षेत्र में ३-३ फीट पानी भरा हुआ है। वहां न मुख्य मंत्री जो जाते हैं और न स्वास्थ्य मंत्री जो जाते हैं, कोई देखता ही नहीं है। आकाश की हवा खाते हैं, कारों में बैठते हैं और हवाई जहाजों में दौड़ते हैं और हमें झूठा कहा जा रहा है।

मैं मानता हूं कि औषधालय बढ़े हैं, दीवारें बढ़ी हैं लेकिन डाक्टर घटे हैं और औषधियां बिलकुल नहीं हैं, और जब औषधियां ही नहीं हैं तो औषधालयों की क्या जरूरत है। पानी दिया जाता है और झूंठी दवायें दी जाती हैं। हां, यह जरूर है कि १५ अगस्त, १९४७ से अब तक बीमारियां बढ़ी हैं, मंत्री बढ़े हैं और मंत्रिमंडल भी बढ़ा है। हमारे साथी माननीय डालचन्द राय के लिये कह रहे थे कि वे पुराने साथी हैं, हम भी पुराने साथी गुप्ता जी के हैं, हुकुमसिंह जी के हैं और सम्पूर्णानन्द जी के हैं, और दूसरे लोग तो ३०० वोटों से जीतकर आये, लेकिन मैं दस हजार वोट से जीतकर आया हूं और कांग्रेसी उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाकर आया हूं। मैं सच्ची बात कहने में हिचकूंगा नहीं।

मथुरा में टी० बी० अस्पताल खुला हुआ है, उसमें गरीबों को स्थान नहीं मिलता है। आगरा में मानसिक औषधालय है, वहां पर बड़े-बड़े आदमियों को तो जगह मिल जाती है, लेकिन गरीब किसान और गरीब आदमियों को जो मेहनत करते-करते और हल जोतते-जोतते पागल हो जाते हैं उनको जगह नहीं मिलती है। यह आपके रामराज्य की हालत है, यह आप के गरीब राज्य की हालत है, और समाजवादी समाज बनाने आप चले हैं जब कि सारी सुविधायें अमीरों को ही दी जाती हैं और अगर गरीब के पास पैसा न हो तो इंजेक्शन तक नहीं लगाया जाता है। १९५८ में मैं जिला अस्पताल में दाखिल हुआ। मुझ से कहा गया कि बाजार से दवा लाओगे तो इंजेक्शन लगेगा। मैं २४ घंटे राष्ट्र का काम करता हूं और मैं बाजार से दवा लाऊं? इस सरकार से और क्या आशा की जा सकती है? आजकल हजारों गरीब अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं दवा न मिलने के कारण और गरीब बिना काल के मरता है और अमीर मृत्यु से ही मरता है। गरीबों को दवा नहीं मिलती है। अमीर दवा के जोर से नहीं मरते हैं उनके पास तो पैसा ही काफी है। डाक्टरों को फीस के लिए काफी पैसा उनके पास है। वह तो चार-चार डाक्टर लगा सकते हैं। तो आपने सुखसुविधा जो दी है वह बड़े बड़े शहरों को दी है, बड़े बड़े औषधालय शहरों में खोले हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आपको स्वास्थ्य विभाग को अच्छी तरक्की देनी है तो हर पंचायती अदालत के क्षेत्र में एक-एक औषधालय कायम कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने माननीय सदस्य भाई का भाषण सुन रही थी और मैं बहुत ही प्रभावित हुई जिस आवेश से वह बोल रहे थे। मेरे पास भी इस समय कुछ फैक्ट्स और फीगर्स मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और फिर सच्चाई किसमें है इसका निर्णय आपके हाथ में छोड़ूं। आज की जो समस्या है वह काफी महत्वपूर्ण समस्या है। इसका हमारी सात करोड़ आबादी के भावी जीवन से संबंध है। जनस्वास्थ्य केवल शारीरिक चीज नहीं है, इससे हमारे मन का भी सम्बन्ध है और दोनों चीजें जब इकट्ठा होती हैं तभी हमारे जन का स्वास्थ्य बन पाता है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी।

आपको याद होगा कि दस साल पहले देश की औसत उम्र २८ वर्ष थी। आज की औसत उम्र आपको मालूम है कि ४२ वर्ष हो गई और पहले ४१ नये पैसे हर आदमी पर खर्च होता था वहां अब १.४८ खर्च किया जाता है। दूसरी बात आपको खयाल रखनी चाहिए कि इस बीच में एक करोड़ की आबादी हमारी बढ़ गई है और बढ़ती हुई आबादी में चिकित्सा पर ज्यादा व्यय करना यह कोई साधारण बात नहीं है। तीसरी बात मैं रखना चाहती हूं-

पहली पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ रुपया इस पर रखा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२.६ करोड़ रखा गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में २८.१२ करोड़ रुपया रखा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। चौथी बात है—रेट आफ इंफेन्टाइल मार्टलिटी भी घटी है। यह चीजें क्यों घटती हैं? यह तब घटती हैं जब उनको साधन उपलब्ध किये जाते हैं। पांचवी बात आप यह देखें कि पहले १० हजार की आबादी पर एक डाक्टर था। अब इस १५ वर्ष के अन्दर हमने जो प्रयत्न किया है उसके फलस्वरुप ४ हजार की आबादी पर एक डाक्टर है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूं। सिर्फ आंकड़े आपके सामने रख रही हूं। छठी बात---प्रदेशीय सरकार द्वारा ८७५ जो हमारे विकास खंड हैं उनमें ५२१ खंडों पर प्राथमिक चिकित्सा के साधन उपलब्ध कर दिये गये हैं, बाकी जो हैं उन पर भी १९६३ में यह सुविधा प्रदान करने का विचार सरकार का है। इस तरह १९६३ तक हर एक ब्लाक में यह सुविधा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। सातवीं बात यह देखिए, कि मलेरिया से पहले १००० औसत आदमियों पर १०.७१ आदमी शिकार होते थे। वह अब ०.७८ हो गए हैं। इन बातों पर गौर फरमाइए। आठवीं चीज है फैमिली प्लानिंग की। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १५० गांवों में और २५ नगरों में क्लिनिक थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में १५०० क्लिनिक गांवों में और ५० नगरों में खोलने का इरादा है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपका निर्णय चाहती हूं कि बतलाइये कि हमारे भाई ने जो आरोप लगाये हैं कि डाक्टर घटते जा रहे हैं, इमारतें बढ़ती जा रही हैं और लोग रोगों के शिकार होते जा रहे हैं, वह कहां तक सही है।

मैं सिर्फ इतना और कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन वह एक पूरे कल्याणकारी समाजवादी सरकार के लिए बहुत कम है। सिर्फ ६ प्रतिशत पूरे बजट का इसके ऊपर व्यय किया जा रहा है। यह एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। मैं यह चाहूंगी कि इस ६ प्रतिशत को बढ़ा कर के २६ प्रतिशत कर दिया जाय और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना भी खर्च किया जाय उसको थोड़ा समझना चाहिए।

एक बात मैं यह भी कहूंगी कि कुछ चीजें हैं जिन पर काफी रोकथाम कर ली गई है। जैसे मलेरिया का जिक्र हुआ कि उसके लिए हमारी कंट्रोल यूनिट्स बनीं और यही नहीं कि अब उसके कम लोग शिकार होते हैं बल्कि बहुत से मलेरिया से इन्फेक्टेड जगहों में जहां पैदावार नहीं हो सकती थी, वहां इस पर पूरे तौर से काबू कर लिया गया है।

मैं कानपुर ऐसे शहर से आती हूं। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूं कि कानपुर में चिकित्सा के संबंध में बहुत उन्नति हुई है। बड़ा भारी अस्पताल वहां खुला है। मुमकिन है कि उस पर कुछ बहस हो सकती है लेकिन जहां तक अस्पताल का मामला है वह एक बहुत ही सराहनीय काम वहां हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां सिर्फ ५० डाक्टर हर साल तैयार होकर निकलते थे वहां अब ४०० डाक्टर हर साल तैयार होकर निकल रहे हैं। यह बहुत ही कम है। जिस तरह से हमारे प्रदेश की जरूरत है उसके लिहाज से बहुत ही कम है। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारा जो कदम है वह सही रास्ते पर है। मैं कहूंगी कि कानपुर में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैटरनिटी अस्पताल भी खोला गया है। साथ में यह भी कहूंगी कि आम तौर पर अस्पतालों में जैसा कोआर्डिनेशन होना चाहिये वह बहुत कम है। डाक्टरों की कमी जगह जगह है। वह सिर्फ शहरों में ही नहीं है, गांवों में भी है। यह बात जरूर है कि खास कर वह कमी गांवों में है।

मैं कानपुर से संबंधित एक खास बात और कहना चाहती हूं। वहां पर जो इमरजेन्सी वार्ड है उसके शब्द का मतलब बिलकुल गलत है। इमरजेन्सी का मतलब होता है कि आदमी की तुरन्त चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध की जाय। वहां पर अक्सर मैं देखती हूं कि डाक्टरों की कमी होने के कारण, नर्सों की कमी होने के कारण और दवाइयों की कमी होने के कारण मामूली

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

मारफिया इंजेक्शन भी लोगों को शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध नहीं होता है। उसके लिये मैं यह कहूंगी कि इमरजेन्सी वार्ड का मतलब सही तरीके से प्रयोग किया जाय ताकि वहां लोगों को सहूलियत मिल सके ।

जहां तक टी० बी० का प्रश्न है वह कानपुर में संसार में हर जगह से ज्यादा है। जिन लोगों ने डब्लू० एच० ओ० की रिपोर्ट को देखा होगा उनको पता होगा कि सारे संसार में हमारा शहर ऐसा है जहां पर बहुत काफी लोग इससे मरते हैं। यह कानपुर के लिये बड़ा भारी प्राब्लम और कलंक है। आप लाखों की इमारत बनाते हैं लेकिन वह इमारत बनते बनते सैकड़ों आदमी अपनी जान खो बैठते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब जमाने का तकाजा यह है कि इस समय बड़े पैमाने पर इस चीज को जल्द से जल्द लिया जाय। कानपुर के लिये यह बहुत आवश्यक है और वहां की जनता के लिये यह बहुत जरूरी है कि डार्मिसिलरी ट्रीटमेंट (dormicillary treatment) का जल्द प्रबन्ध हो।

दूसरा प्रश्न यह है कि कानपुर में स्लम की भी समस्या है। हजारों की संख्या में वहां पर स्लम्स हैं। जिस तरह से हाउसिंग की समस्या बढ़ती जा रही है उसी तरह से स्लम्स भी बढ़ते जाते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि वहां पर सफाई और प्लानिंग हो जिससे स्लम्स की हालत में सुधार हो। उन स्लम्स के लिये कारपोरेशन को ऐसी पावर दी जाय कोई लेजिस्लेशन बना कर जिससे वह जल्द से जल्द उन स्लम्स का सुधार कर सके। जितना ही जल्दी इस काम को किया जा सकेगा उतना ही जल्दी टी० बी० को वहां से दूर कर सकेंगे। अन्त में मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करूंगी और वह यह है, हमारे यहां का लेपर्स अस्पताल है यह यह छत की बीमारी है, लेकिन लेपरोसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। मैं चाहती हूं कि सरकार उस तरफ अपना ध्यान दे। हमारे यहां बेचारे अपना घर बार छोड़ कर शहर से बाहर अस्पताल में लोग पड़े रहते हैं। उन लोगों का उस अस्पताल में दिल तो भर चुका है लेकिन शरीर कुछ ऐसा जरूर था कि वे आशा रखते थे कि ठीक हो जायंगे, लेकिन कुछ महीने से शायद सरकार ने ऐसा निर्णय किया है, यह खबर मेरे पास आई है, कि सरकार उनको जो अनुदान देती थी उसको उसने रोक दिया है। तो शायद उन बेचारे मरीजों को उस अस्पताल को छोड़ना पड़े। वे न यहां के रहे और न वहां के। उनकी हालत और भी खराब हो जायगी। इनका कहना यही है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसलिये मेरा अनुरोध सरकार से है कि उस लेपरोसी अस्पताल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और जो भाई वहां पर पीड़ित हैं उनके प्रति कुछ ध्यान आकर्षित किया जाय। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उनको मैंने सुना, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहीं पर तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है और कहीं बहुत कम किया जाता है। जहां पर सरकार हजारों रुपया खर्च करती है वहां पर वह पैसा बेकार हो जाता है और उस पैसे की कीमत नहीं के बराबर होती है। जो यहां आज किताबें दी गई हैं, जिस दिन बजट पर बहस होती है उसी दिन वह किताब दी जाती हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इस पर जनता का हजारों रुपया खर्च किया जाता है।

जहां तक इस चिकित्सा के अनुदान का सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इंग्लैन्ड वगैरह में भी यह प्रथा है कि वहां पर डाक्टर को देश की सम्पत्ति समझा जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर डाक्टर को इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि जो वह अपनी पढ़ाई में खर्च करता है उससे यह १० गुना कम होती है। इससे १० गुना ज्यादा वह अपनी पढ़ाई में खर्च करता है। यहां का ग्रेड उनके लिये बहुत कम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत

से लोगों को देहात में तकलीफ होती है क्योंकि उनको डाक्टर वहां पर मिलता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में सुझाव रखूंगा कि इस तरह की बहुत सी योजनायें हो चुकी हैं। जो यहां आइ० ए० एस० का ग्रेड है वह उनको बी० ए० और एम० ए० पास करने के बाद और कम्पिटीशन में आने के बाद मिलता है, लेकिन डाक्टरों की जो नालेज होती है वह उससे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको ग्रेड कम मिलता है। कई डाक्टर तो ऐसे मिलेंगे कि उनकी हालत बहुत खराब पायेंगे, कई डाक्टर तो थानेदार से भी बदतर हालत में आज रह रहे हैं। देहातों के अन्दर डाक्टर क्यों नहीं जाते ? देहातों में उनको आप सहूलियत दीजिये तो वे जायंगे।

बुन्देलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर एक स्थान मंडावरा है जहां एक अस्पताल है। अगर कोई डाक्टर वहां पर जाय तो उसका फर्नीचर रास्ते में आने जाने के समय टट जाता है। यह सुविधा उनको अस्पताल में ही मिलनी चाहिये। कम से कम उनको ऐसे स्थानों पर फर्निस्ड रेजिडेन्स मिलना चाहिये। डाक्टरों के आगे लाने के लिये और कुछ न कुछ उनकी दशा में सुधार करने के लिये उनको आइ० ए० एस० का ग्रेड दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाय तो उनको जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन दिक्कतों में कमी आ जायगी।

जहां तक श्रीमन्, दवाइयों का सवाल है, मैं लखनऊ की बात करता हूं। मैं यहां बीमार हुआ और यहां दारुलशफा के डाक्टर ने मुझे यहां के सिविल अस्पताल में भेज दिया। अब श्रीमन्, आप स्वयं सोचें, सरकार सोचे और यह मंत्री जी के विचार करने की बात तो है ही कि सिविल अस्पताल गरीबों के लिये बनाया गया है। जिनके पास खाने को न हो, पहनने को कपड़ा न हो, उन के लिये सिविल अस्पताल बनाया गया है और उन्हीं के प्रयोग में वह आना चाहिये, लेकिन वहां हम और बहुत से गजटेड आफिसर और सेक्रेटरियट के अधिकारी पहुंच जाते हैं और उन के असर से डाक्टर उनको खुश करने के लिये अच्छी से अच्छी दवाई उनको देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे अस्पताल में गरीब जाता है तो उसको अच्छी दवा कैसे मिल सकती है ? यह जो प्रथा चला दी गयी है कि हर एक को सिविल अस्पताल में भेज दिया जाय, यह उचित नहीं है। हम लोगों को बलरामपुर अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा दी गयी है इसलिये हम लोगों को सिविल अस्पताल में नहीं जाना चाहिये। इसके अलावा उस अस्पताल का नाम खैराती अस्पताल है। हम लोगों को इसके अलावा बहुत सी मेडिकल सहूलियतें प्राप्त हैं और तब हमें या गजटेड अफसरों को वहां भेजने की क्या जरूरत है। यह मौत और जिन्दगी का सवाल है। यहां यह ठीक है कि बहुमत के बल पर लाखों रुपयों का अनुदान पास करा लिया जाता है, लेकिन सरकार इस प्रकार पक्षपात की नीति बरतते हुए इसमें अधिक सुधार नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार पक्षपात की नीति तबादलों और पोस्टिंग्स तक में बरत रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। आपके ड्रग ऐक्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में कोई इंजेक्शन बनाने का कार्य बिला लाइसेन्स के नहीं कर सकता, किन्तु यदि आप गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करायें तो झांसी जिले के बरुआसागर क्षेत्र में आपको एक इंजेक्शन बनाने की फैक्टरी पूरे तौर पर काम करती हुई मिलेगी। उसके मालिक कांग्रेस के एक बहुत बड़े आज के युग में लीडर हैं और इसलिये उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। श्रीमन्, कई बार उनके इंजेक्शन पकड़े गये हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी आजतक, और यहां एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह एक इंजेक्शन है जिस पर लिखा हुआ है: मुक्ता दो सी सी, लक्ष्मी आ० अनुसंधान भवन, बरुआसागर, यू० पी०। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं उनको पकड़ा जा सका ? वहां नकली और गैरकानूनी इंजेक्शन बेच रहे हैं और यह उसका सबूत है (इंजेक्शन दिखाते हुए)। अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं तो यह मैं उनको पेश कर दूंगा और वे सही तौर पर इसकी पूरी जांच करावें। इस कंपनी से लाखों रुपया जनता की दृष्टि में पैदा करने वाले इनकम टैक्स से दूर हैं इसलिये कि वे कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। मैं कहना चाहता

[श्री लखपतराम शर्मा]

हूं कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में मिनिस्टरों की बढ़ती होती चली जा रही है उसी प्रकार से यहां बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है । यहां के अस्पतालों में गरीब व्यक्ति को दवा नहीं मिलती । (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं आधा मिनट और चाहता हुं और इंजेक्शन भी दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप समय ले लीजिये, किन्तु आहिस्ता बोलिये ताकि लिखा जाय ।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, मेरी स्पीड १८० से अधिक की है और यह १४० तक लिखते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है । मैं बतलाना चाहता हूं कि झांसी में एक गरीब तांगेवाला है, वह टी० बी० से बीमार पड़ा था । जांच करा कर देख लिया जाय, वह वहां के अस्पताल से हटा दिया गया । वह गरीब अपनी कोठरी में पड़ा था और यह सही है कि न उसके पास खाने का ठिकाना था न रहने का, लेकिन झांसी के अस्पताल में उसे फिर भरती नहीं किया गया । जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने स्वंय सिविल सर्जन से बात कर के प्रबन्ध किया और तब उसका कोई इंतजाम किसी प्रकार किया जा सका । यह सही है कि कागज पर बड़े-बड़े प्रबंध होते हैं और बड़ा सुधार किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं । बड़े आदमियों के लिये सहुलियतें हैं, मगर छोटे और गरीब आदमियों के लिये नहीं हैं ।

श्रीमन्, मैं एक बार एक मंत्री महोदय से मिलने गया । वहां चपरासी ने मुझे बताया कि मंत्री महोदय इस समय मालिश करा रहे हैं, नहीं मिल सकते । तो जो और बातें मेरी उस चपरासी से हुई उसमें एक बात बड़ी मजेदार मालूम हुई । उसने कहा कि साहब गरीबों को कौन पूछता है ? जब मंत्री जी बीमार पड़ते हैं और उनके सुई लगाने के लिये डाक्टर आता है तो उनके पतली सुई से इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनको तकलीफ न हो, मगर हम जैसे गरीब आदमी के मोटी से मोटी सुई लगा दी जाती है बिना उसकी तकलीफ का खयाल किये हुए, जरा सोचिये कि उस बदनसीब बाप पर क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बिना दवाई के छट-पटा कर मर जाता है । इसलिये यदि आपको सुधार करना है तो आप दवाओं को सस्ता कीजिए, पढ़ाई को सस्ता कीजिये और छोटे बड़े के भेदभाव को मिटाइये, यही मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—(श्री लखपतराम शर्मा से) आप कृपया वह इंजेक्शन मुझे दे दीजिये ।

(श्री लखपतराम शर्मा द्वारा इंजेक्शन मंत्री जी को दे दिया गया ।)

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में तथा विपक्ष में भाग लिया है और अपनी राय प्रस्तुत की है । उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि विरोधी दल के लोग नकारात्मक रूप में टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने भाषण में, आखिरी लाइन में, यह कह दिया कि उनके यहां कोई अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं है और किसी ने एक अस्पताल मांगा, किसी ने दो मांगे । तत्व यही निकला कि आज चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं है और ठीक प्रकार से चिकित्सा नहीं होती ।

कुछ सुधार हुये हैं, जिनकी ओर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । किस प्रकार का भ्रष्टाचार है अस्पतालों में उस संबंध में भी बातें यहां कही गयीं । सरकारी नौकरों को जो सुविधा रीइम्बर्समेंट की थी उसके आधार पर वे अपनी चिकित्सा करा लिया करते थे, उस प्रथा को समाप्त करके अब एक स्टाक अस्पतालों में रख दिया गया है और उसी में से अब दवा का प्रबन्ध किया जाता है । आपने यह व्यवस्था की है, मगर उससे उन लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता । पहले यह सुविधा थी कि एक कर्मचारी अगर दूसरी जगह इलाज कराता था तो उसको दवा का पैसा रीइम्बर्स हो जाता था । मगर अब आपने उसको उस सुविधा

से वंचित कर दिया । अब तो जो दवा का स्टाक अस्पताल में है उसी में से डाक्टर मरीज को देगा और उसका इलाज करेगा । फिर जो आपका आथोराइज्ड डाक्टर है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह हर प्रकार के मर्ज का इलाज कर सके । तो इस तरह से जो आप चिकित्सा का विकास करना चाहते हैं और लोगों को सुविधायें देना चाहते हैं वह नहीं हो सकता और वह मेरे खयाल से इस तरह से रुक जायेगा । यह जो नियम आपने इसके लिये बनाया है वह हानिकारक है और इसे बदलने की जरूरत है ।

इसके अलावा अस्पतालों में एक और दिक्कत है और वह यह है कि जो ग्रांट उनको मिलती है उससे सामान खरीदने के लिये एक एप्रूव्ड लिस्ट होती है और उसी के अनुसार सामान खरीदा जाता है । उसमें कोई चीज कहीं से खरीदने का जिक्र है, तो कोई चीज कहीं से, एक इस कोने से प्रदेश के और दूसरी दूसरे कोने से । जो सामान वे साज-सज्जा का खरीदते हैं उसमें भी यही परेशानी होती है । कुछ सामान मेडिकल विभाग द्वारा एप्रूव्ड दूकानों से खरीदना होता है, कुछ इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा एप्रूव्ड दूकानों से । स्टूल कहीं से एप्रूव्ड हैं तो कुरसी कहीं से है । तो जो ५०० की ग्रांट मिली उससे सामान खरीदने के लिये वह आदमी काफी चक्कर लगाये और पैसा खर्च करे तब उसमें वह सामान भी खरीद सकता है और सुविधा की भी व्यवस्था कर सकता है ।

एक सुझाव करीब सभी पक्ष की ओर से, सर्वसम्मति से आया कि डाक्टर्स को जो प्राइवेट प्रैक्टिस की सुविधा है अगर उनका वेतन अधिक बढ़ा दिया जाय और वह अस्पतालों पर ही कंसेंट्रेट करें तो उससे चिकित्सा का कार्य अत्यन्त सुविधापूर्वक चल सकता है । हमारे यहां सीतापुर अस्पताल में जब माननीय हुकुमसिंह जी ठीक १० बजे दिन में पधारे थे तब वहां डाक्टर नहीं थे और वह प्राइवेट प्रैक्टिस पर गये हुये थे । यही नहीं यह भी देखा गया है कि सभी डाक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस में अधिक व्यस्त रहते हैं और अस्पतालों में पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करते और जब पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करते तो लामुहाला जो मरीज होते हैं उनको बड़ी असुविधा होती है। सरकारी डाक्टरों के साथ एक असुविधा और भी है और वह है मेडिको-लीगल प्रैक्टिस की । उनका समय काफी बरबाद होता है कोर्ट में १० बजे से ४ बजे तक हाजिरी देने में । जो सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सक डिस्पेंसरीज पर हैं उनके पास इतना अधिक काम बढ़ जाता है कि आये दिन उन्हें अस्पतालों से बाहर रहना पड़ता है और उससे चिकित्सा के काम में बाधा पड़ती है । मैं चाहूंगा कि इस संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था की जाय, चाहे कोई कमेटी बनावें, या और कुछ प्राइवेट डाक्टर को लाकर इस तरह से लोगों को रखा जाय जिससे कि जिन डाक्टर्स का चिकित्सा से संबंध है उनको रोजबरोज गैरहाजिर होने की नौबत न आये । मेरे यहां भी, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्पेंसरी है, लेकिन वहां भी सप्ताह में दो-तीन दिन ऐसी नौबत आ जाती है । तो उस संबंध में भी सुविधा देने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि चिकित्सा में पक्षपात नहीं है । यहां भी पक्षपात का बोलबाला है । हमारे यहां आंख का अस्पताल है और वह प्रदेश का सबसे बड़ा आई हास्पिटल है । दो स्थानों पर अस्पताल हैं । एक स्थान के हास्पिटल को ३० हजार और दूसरे के लिये ५ हजार रुपये ग्रांट, काम बराबर, हमारे यहां जो वितरण हुआ है इस प्रदेश में यह भी ठीक नहीं है । प्रदेश के किसी अस्पताल के साथ कुछ ट्रीटमेंट है, किसी के साथ कुछ । इस तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पक्षपात का वातावरण है, इस तरह की शिकायत लोगों को है जैसा कि सभी सदस्य कहते हैं शिकायत है, कुछ लोगों को कम है, कुछ लोगों को अधिक है, लेकिन है । ऐसी स्थिति में जो अवस्था है उसमें जो सुविधा दूसरे बड़े आदमियों को देते हैं उसमें यह आशा करना कि सब के साथ एक सा व्यवहार करें, वह अपेक्षित नहीं है और न कोई करेगा, लेकिन पक्षपात की मात्रा बहुत अधिक है और मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जब इन बातों की व्यवस्था करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ।

[श्री टम्बेश्वरी प्रसाद]

एक बात और, माननीय मंत्री जी ने कही है कि उन्होंने आयुर्वेद का डाइरेक्टोरेट अलग से निर्मित कर दिया, लेकिन यह कोई ऐसा पहला डाइरेक्टोरेट नहीं है जिसका निर्माण अभी हुआ हो। होता यह है कि पहले डाइरेक्टोरेट अलग हो जाता है और समझा जाता है कि सब काम अलग हो जायगा। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस तरह से प्रदेश में आडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सैपरेशन होता चला आ रहा है उसी तरह से यह डाइरेक्टोरेट भी नामचार के लिये अलग रहेगा।

(इस समय ४ बज कर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जैसा माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि जहां पर चिकित्सा का किसी भी प्रकार का प्रबन्ध है वहां पर एलोपैथिक चिकित्सा की ही व्यवस्था है और उन लोगों को जो एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेद या अन्य पद्धति से चिकित्सा कराना चाहते हैं उनको सुविधा कम रहती है। इस दृष्टि से मैं जानता हूं कि सदन के कुछ माननीय सदस्य इस बात के इच्छुक हैं कि वे आयुर्वेद पद्धति से अपनी चिकित्सा करावें, लेकिन उस सुविधा के प्राप्त करने के लिये कितनी दूर जाना पड़ेगा और वहां जाते-जाते शायद उनका मर्ज भी मेरे खयाल से बढ़ जायगा। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, मांग करूंगा कि आज की जो कम से कम आवश्यकता है अगर उसको देखें तो वह यह है कि जिले के प्रमुख स्थानों पर जैसे तहसील है, वहां पर कम से कम १०० बेड्स का अस्पताल हो जिसके साथ एक फिजीशियन, एक सर्जन और एक महिला डाक्टर का होना अत्यन्त आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि किसी तहसील में लाखों से कम आबादी नहीं होती। यहां पर मंत्री जी ने ६६ हजार का जिक्र किया लेकिन वास्तव में वह व्यवस्था है नहीं। ये फीगर्स बड़ी ही भ्रामक हैं। ६० हजार की आबादी पर कतई व्यवस्था नहीं की गई है।

यहां पर कुष्ठ रोग का भी जिक्र किया गया। मेरा खयाल है कि सरकार की ओर से इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। पूर्वी जिलों में बाबा राघवदास की ओर से आश्रम जैसी कोई चीज है जिसमें इसकी व्यवस्था है। इसलिये इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना है क्योंकि यह रोग बढ़ता बड़ी जल्दी है। स्थान-स्थान पर इसके केन्द्र होने चाहिये। यह एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति को बेकार ही नहीं कर देता, उसको जीवन से निराश ही नहीं करता बल्कि समाज में उसकी अवस्था बड़ी ही निरीह हो जाती है क्योंकि उसको कोई देखना या छूना पसन्द नहीं करता।

हमने यह भी अनुभव किया है कि जब तक औषधालयों के साथ-साथ ग्रामीण जनता के लिये महिला चिकित्सालयों की स्थापना नहीं होती तब तक मैटरनिटी सेन्टर्स की बहुत आवश्यकता है। उनको अधिक खोलने का प्रयास करना चाहिये। साथ ही साथ इस समय जो सेन्टर्स हैं उनमें सुविधायें नगण्य हैं। वहां पर एक्सपीरिएन्स्ड महिलायें न होने के कारण अजाय लाभ होने के हानि अधिक होती है।

जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों और स्वयं मंत्री जी ने कहा कि लोगों में यह इच्छा बढ़ती चली जा रही है कि नये-नये आविष्कारों से लाभ उठाया जाय, तो कहीं ऐसा न हो कि पुराने आविष्कार बन्द भी हो जायं और नये से कोई लाभ भी न हो। इसमें हानि की संभावना अधिक है। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने न्यूनतम आवश्यकतायें बतलाईं उनकी व्यवस्था करें क्योंकि यह जनता का न्यूनतम अधिकार है जिसका हनन नहीं होना चाहिये। बिना इसको किये हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकते जिस पर विचार करने के लिये हम यहां बैठे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं उनके उन सुझावों के लिये जो उन्होंने इस सदन में जन-स्वास्थ्य की रक्षा के हेतु प्रस्तुत किये हैं। साथ ही जब मैं उन सुझावों के प्रति आभार प्रकट

करता हूं तो आपके द्वारा नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले १४-१५ वर्षों में जबसे देश स्वतन्त्र हुआ हमने अपने सीमित साधनों के रहते हुये अवश्य उस दिशा में कार्य किया है जिस दिशा में कार्य करके हम इस प्रदेश की जनता की अधिकांशतः सेवा कर सकें। हमारा दावा तो यह नहीं है कि हमारी सारी कमियां और खामियां जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में थीं वे सब हमने इन वर्षों में अपने बीच से दूर कर दी हैं। परन्तु हमारा यह दावा अवश्य है कि इन १४-१५ वर्षों में हमने उस दिशा में कार्य किया है। और जिस दिशा में कार्य करके हम रोगों को अपने बीच से दूर कर सकें और आधुनिक विज्ञान की देन से अधिक लाभ उठा सकें।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान १९४६-४७ की ओर ले जाऊंगा। जिन्होंने उस समय के अस्पतालों का अनुभव किया है वे कदाचित् इस बात का अनुभव कर सकेंगे कि हमने इन १४-१५ वर्षों में विश्वास के साथ तरक्की की है। क्या हम यह नहीं जानते हैं कि १९४६-४७ में जब हमें स्वराज्य मिला तो हमारे जिला स्तर के अस्पताल में वे तमाम साधन नहीं थे जो हमें आधुनिक विज्ञान में हमारे देश और संसार के देशों को उस समय प्रदान कर रखे थे। विज्ञान के उन साधनों को जिनके द्वारा इलाज हो सकता था, जिनके द्वारा सर्जरी हो सकती थी, जिनके द्वारा रोग की जांच हो सकती थी, अस्पतालों में नहीं पाते थे। वे साधन केवल मेडिकल कालेज और जिन स्थानों में अंग्रेज लोग रहते थे, पाते थे। जिला स्तर के अस्पतालों में भी रेडियोलोजी और एक्सरे का प्रबंध नहीं था और न उन अस्पतालों में उन बीमारियों के इलाज का प्रबंध था जिन बीमारियों के इलाज का प्रबंध आज है। इसलिये यह कथन कि रोग बढ़ रहे हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता। हां, यह सत्य हो सकता है कि पहले हमारे बीच में अज्ञानता फैली हुई थी और जो लोग बीमार होते थे वे मर जाते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान के लाभ वे उठाते न थे। पहले यह भी पता नहीं चल सकता था कि किस व्यक्ति की मृत्यु किस रोग से हुई। आज जितनी संख्या में अस्पताल बढ़ते जाते हैं उतनी ही संख्या में मानव का ज्ञान भी बढ़ता जाता है, इसलिये विज्ञान की जानकारी विशेष रोगों के प्रति बढ़ती जाती है इसलिये विशेष रोगों के प्रति इलाज करने का ढंग बढ़ता जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विगत १५ वर्षों में हम औषधियों में, अस्पतालों में और इलाज के तरीकों में उत्तरोत्तर आगे बढ़े हैं, परन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया कि, मेरे द्वारा और उस विभाग के द्वारा यह दावा तो कभी किया ही नहीं गया कि बीमारियों को रोकने के लिये जितने अस्पतालों की आवश्यकता है, जितने डाक्टरों की आवश्यकता है, उतनी संख्या में अस्पताल खोल दिये हैं, डाक्टर पैदा कर दिये हैं। हां, हमारा यह दावा है कि उत्तरोत्तर हमने उस दिशा में प्रगति की है और यह प्रगति उन आंकड़ों से प्रकट होती है जो आंकड़े मेरी बहन श्रीमती सुशीला रोहतगी ने अभी सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये थे।

१९५१ में हमारे यहां पर कैपिटा अस्पतालों के ऊपर या स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खर्चा करीब ५१ पैसे का था और आज वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में एक रुपया ५५ पैसे हो गया। तो वह खर्चा कैसे बढ़ा? वह खर्चा बढ़ा तभी जब कि हमने उन आधुनिक विज्ञान की देनों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करना शुरू किया। आज कौन नहीं जानता कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य महज रोगों के इलाज करने से ही नहीं है, परन्तु आज उसका उद्देश्य यह है कि रोग हमारे बीच में फैलने व बढ़ने ही न पावें और आज यही दृष्टिकोण स्वास्थ्य विभाग के उन विशेषज्ञों का है जो रोगों से लड़ना चाहते हैं, जो रोगों को हमारे बीच से दूर करना चाहते हैं। अस्पतालों की संख्या में और बेड्स की संख्या में हमने कितनी प्रगति की है, उसकी प्रगति को हम आंक नहीं सकते है। हम आंक सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमने उन रोगों से अपने को बचाया जो हमारे बीच में पैदा होते हैं, उनके फैलने में रुकावट डाली और उनको बढ़ने नहीं दिया, उनको अपने बीच से खतम किया और उस दिशा में जब हम विचार करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि मलेरिया की वजह से लाखों व्यक्ति जो बेकार रहते थे, लाखों व्यक्ति जो रोजगार में नहीं लग सकते थे, हमने मलेरिया इरेडिकेशन योजना चलायी जिससे लाखों व्यक्ति रोजगार में लगे। लाखों को उन कार्यों में लगाया जिन कार्यों के करने में वे असमर्थ

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

थे। क्या हम नहीं जानते कि तराई के क्षेत्र में जहां हजारों की संख्या में लोग खेती में काम करते हैं जिससे हमारी ऊपज व पैदावार बढ़ी ? वह कैसे सम्भव हुआ ? वह तभी सम्भव हुआ जब कि वे खंड जो मलेरिया से ग्रसित थे, हमने उन स्थानों से मलेरिया को अलाहिदा किया और अपनी इरेडिकेशन योजना चलायी जिससे हजारों एकड़ जंगल साफ करके और मलेरिया के कीड़ों को वहां से दूर करके उन स्थानों को ऐसा बनाया कि आज वहां हजारों एकड़ भूमि में लोग खेती कर रहे हैं और हजारों व्यक्ति उन इलाकों में बस कर हमारी ऊपज को बढ़ा रहे हैं।

इसी प्रकार टी० बी० के रोग का विषय है। कौन नहीं जानता कि टी० बी० का रोग उत्तरोत्तर हमारे प्रदेश में ही क्या सारे देश में बढ़ता जा रहा है। आज की सभ्यता की युग में जगह-जगह वह बढ़ता हुआ दिखायी देता है। परन्तु उस टी० बी० को हम बढ़ने न दें, उसे पैदा ही न होने दें, इसके लिये हमने बी० सी० जी० योजना को कार्यान्वित किया और उस दिशा में हमने कार्य करने का प्रबन्ध किया जिस दिशा में कार्य पूरा करके हम हजारों आदमियों को टी० बी० रोग में ग्रसित होने से बचा सके और टी० बी० रोग को कम करने के लिये हमारे भारी संख्या में बी० सी० जी० टीम द्वारा लोगों को इंजेक्शन दिलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि काफी लोग टी० बी० रोग में ग्रसित होने से बच गये। आंखों के रोग, जसा कि हम आप जानते हैं कि प्रदेश के जिलों में काफी फैले हुये हैं। अगर हम देखें तो प्रदेश के ३०-४० प्रतिशत लोग आंखों के रोगों से आज ग्रसित रहते हैं। लेकिन हम ने उस के लिये एक जोनल कौंसिल बनाई और उसके मातहत जो आखों के इलाज की योजनायें चली हैं उन से क्या लोगों को प्रकाश नहीं मिला है ? हमारे यहां सीतापुर का आंख का अस्पताल है, इलाहाबाद का आंख का अस्पताल है, कानपुर का आंख का अस्पताल है, इलाहाबाद का मनोहरदास हास्पिटल, बनारस का आंख का अस्पताल है, इन सब को आंख के इलाज के लिये सहायता मिलती है। इसके अलावा हमारे लखनऊ के मेडिकल कालेज में भी आई सेक्शन्स हैं जो आंखों का इलाज करते हैं। जिन जोनल कौंसिल्स को हमने नियुक्त किया था उनके मातहत आई केम्पस ने हजारों आदमियों को रोशनी दी है और रोग से बचाया है, जो कि रोग से ग्रसित थे और जिन को प्रकाश दिखलाई नहीं पड़ता था और इस कारण से वे कोई कार्य भी नहीं कर सकते थे। क्या इस दिशा में यह सब काम कर के हम ने प्रगति की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है ?

इस तरह से इस योजना के अन्तर्गत और इस वर्ष में जैसा कि माननीय सदस्यों ने स्वतः इस पुस्तक से अध्ययन किया होगा कि हम ने हूपिंग कफ की बच्चों की बीमारी को रोकने के लिये एक योजना स्थापित की है जिससे कि उस बीमारी से भिड़ा जा सके और वह बीमारी बच्चों में पैदा ही न हो। इसी तरह से स्माल पाक्स के संबंध में भी हम ने एक व्यापक योजना बनाई ताकि हम उस खराब बीमारी से भिड़ सकें और वह बच्चों में और बड़ों में फैलने न पाये। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि वह पहले उन परिस्थितियों से लड़ें कि जिन परिस्थितियों में यह बीमारियां हमारे बच्चों में प्रवेश करती हैं, उन बीमारी के कारणों को ही पास न आने दें कि जिन से बच्चे बीमार होते हैं। क्या हम आप यह नहीं जानते हैं कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण औद्योगिक केन्द्रों में नई-नई बीमारियां उत्पन्न होती हुई दीखती है। आज हम ने उन मजदूरों के लिये जो कि उन बीमारियों से शिकार होते हैं स्कीम बनाई है। हमने जगह-जगह १७ औद्योगिक केन्द्रों में यह यनिट खोले हैं उनके द्वारा क्या हम उन गरीब मजदूरों की सेवा नहीं करते जो तरह-तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। क्या हम ने इन औद्योगिक केन्द्रों में अस्पतालों की स्थापना कर के और इन्श्योरेंस की स्कीमों को चलाकर हजारों मजदूरों और उन के बच्चों के स्वास्थ्य का प्रबन्ध नहीं किया ?

हमने १०० बेड्स के अस्पताल का मोदीनगर के लिये प्रबन्ध किया है, एक अस्पताल कानपुर में अभी दो तीन वर्ष पहले हम बना चुके हैं, उसमें भी १०० बेड्स का प्रबन्ध था और एक और १०० बेड्स का प्रबन्ध हम बच्चों और औरतों के इलाज के लिये करने जा रहे हैं। इस तरीके से हम अपने उस उद्देश्य की पूर्ति में बराबर लगे हुये हैं जिसके तहत में हम चाहते हैं कि

हर प्रकार की बीमारियों से लड़ा जा सके । मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को स्वीकार करने में मैं गुरेज नहीं करता कि आज देहाती क्षेत्रों में जितने डाक्टरों और अस्पतालों की आवश्यकता है अभी हम उनकी पूर्ति नहीं कर सके हैं, यद्यपि हमने उस दिशा में कदम उठाया है, लेकिन इन ५–७ वर्षों में हमने विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे मेडिकल कालेजों में भरती होती थी उस में वृद्धि की है और नये मेडिकल कालेज भी स्थापित किये हैं, इलाहाबाद मेडिकल कालेज, कानपुर मेडिकल कालेज हमने इसीलिये स्थापित किये ताकि वहां से डाक्टरों की अधिक संख्या निकले और बनारस में भी केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार की सहायता से इस माने में कि अस्पताल तो प्रदेशीय सरकार को ही उस कालेज के लिये चलाना पड़ता है, स्थापित हो गया है––और अगली जुलाई, अगस्त से अलीगढ़ में मेडिकल कालेज बनेगा और अगर सम्भव हो सकेगा . . . . . .

श्री नरसिंहनारायण––गोरखपुर में मेडिकल कालेज के लिये क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सम्भव हो सकेगा तो तृतीय योजना में दूसरा मेडिकल कालेज हम खोलेंगे। माननीय सदस्य पूर्वी जिलों के बारे में कह रहे हैं। बनारस तो पूर्वी अंचल का केन्द्र है। वहां अभी डेढ़ साल पहले मेडिकल कालेज खुलवाया है और प्रदेशीय सरकार की ओर से सहयोग प्रदान किया गया है। अस्पताल उनके लिये बनवाया है। दूसरा अस्पताल बनाने के लिये धन दे रहे हैं और इस साल ५०,००० रु० उस अस्पताल के चलाने के लिये रखा है। एक चिल्ड्रेन अस्पताल के लिये हमने बजट में रुपया रखा है। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर पूर्वी जिलों में बलिया और गोरखपुर ही समझा जाता है और बनारस नहीं तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। उत्तरोत्तर हम पूर्वी जिले को जनता की वे सुविधायें देते जा रहे हैं जिनके द्वारा जनता रोगों से बचायी जा सकती है। क्या माननीय सदस्य नहीं जानते कि पहले जिन इलाकों में लोग मलेरिया और हैजे के शिकार हुआ करते थे वहां वे बीमारियां दूर हुईं ? क्या हम भुला दें कि जब लोग अयोध्या के मेले में या कुम्भ में जाया करते थे तो हजारों की संख्या में हैजे की बीमारी लेकर आते थे और दुनियां से फना हो जाते थे, लेकिन आज वह बात नहीं रही ? आज वह बीमारियां उन क्षेत्रों में नहीं फैल पातीं। ज्यों ही सूचना मिलती है आज हमारे पास वे साधन हैं, वह विज्ञान की देने हैं जिनसे हम उन बीमारियों पर फैलते ही काबू पा लेते हैं। अगर आज पूर्वी जिलों में जहां तक इन बीमारियों का सम्बन्ध है, उन बीमारियों के विषय में बहुत भारी संख्या में जनता ने रक्षा पायी है। हर साल लाखों आदमी इन बीमारियों से मर जाया करते थे। मेरे साथी जलील साहब ने बताया कि १९४७–४८ का जमाना मुझे याद है जब हजारों की संख्या में गांव-गांव के लोग हैजे की बीमारी से मर जाते थे। परन्तु आज क्या वे बीमारियां फैल पाती हैं ? आज बड़े-बड़े मेले होते हैं, वहां एक मक्खी भी भिनकने नहीं पाती है तथा इस प्रकार से इंतजाम कर लिया जाता कि कोई भी रोग या बीमारी वहां न फैलने पाये। इन तमाम बीमारियों से प्रदेश की जनता बची है तथा जो कुछ केन्द्र सरकार पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्रों की जनता को दे सकती थी, सबको सब उसी मात्रा में जिस मात्रा में प्रदेश के कोई भी क्षेत्र के निवासी पाते रहे हैं।

गोरखपुर में मेडिकल कालेज की चर्चा की जा रही है। मेडिकल कालेज बिना एक बड़े अस्पताल के पहले बन नहीं सकता। पहले मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये यह जरूरी होता है कि एक अस्पताल हो, जिसमें जो लड़के मेडिकल कालेज में पढ़ें, उन्हें वे क्लीनिकल मैटीरियल मिल सके जो बड़े अस्पताल दे सकते हैं। गोरखपुर में मेडिकल कालेज बनेगा। थोड़ा सब्र माननीय सदस्यों को रखना है। पहले गोरखपुर में एक बड़े अस्पताल का निर्माण करना है। उन तमाम साधनों का निर्माण करना है–जिनको बुनियाद पर मेडिकल कालेज वहां चलाया जा सके। आज अगर मैं कह दूं कि वहां मेडिकल कालेज खुल जायगा तो क्या बिना एक बड़े अस्पताल के वह सम्भव हो सकेगा ? जिन स्थानों पर मेडिकल कालेज बने हैं पहले इस बात का

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

प्रबन्ध कर लिया गया कि वहां १, २ बड़े अस्पताल हों जिनकी मदद से वे मेडिकल कालेज चलाये जा सकते हों। इसलिये मैं उन सब साथियों से सब्र रखने को कहता हूं और यदि इस योजना म वह मेडिकल कालेज नहीं आता है तो अगली योजना में आयेगा, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं।

मैं यह कह रहा था कि हमने टी० बी०, इंफेक्शस डिजीजेज, कालरा, मलेरिया, लेपरोसी इत्यादि बीमारियों के खिलाफ सामूहिक ढंग से लड़ाई लड़ी है और विभिन्न संस्थाओं को अनुदान देकर, विशेषज्ञों की मदद दिलाकर इन बीमारियों को दूर करने का प्रयत्न किया है और उत्तरोत्तर प्रगति की है। यह नहीं कि ये बीमारियां बिलकुल हमारे बीच से हट गईं, लेकिन काफी मात्रा में उस दिशा में हमने प्रगति की है और उत्तरोत्तर हम प्रगति करते जा रहे हैं। १९४६ में जब हमने बजट पेश किया था तो दोनों विभागों में एक में ७० लाख और दूसरे में सवा करोड़ का बजट था, लेकिन आज यह बजट १२ करोड़ का हो गया और हमने प्रदेश में उन तमाम सुभीतों को फैलाया है, आज सारे विज्ञान की देनों को एक साथ सब स्थानों पर नहीं फैलाया जा सकता।

मुझे यह बात सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे इस सदन के सदस्यगण यह चाहते हैं कि आयुर्वेद के सिलसिले में हमें और तेजी से कदम उठाना चाहिये जिससे उसका और अधिक प्रसार हो सके। मुझे इस सदन को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रदेश की सरकार वह सरकार रही है जिसने आयुर्वेद के विकास के लिये बहुत से प्रदेशों के मुकाबले में आयुर्वेद को फैलाने तथा प्रोत्साहन देने के लिये अधिक कार्य किया है। हां, अभी हम आयुर्वेद के पंडितों की उतनी सेवा नहीं कर सके हैं जितनी मात्रा में इस सदन के माननीय सदस्यगण आग्रह करते हैं। परन्तु यह निर्विवाद है कि इस प्रदेश की सरकार ने, उसके स्वास्थ्य विभाग ने आयुर्वेद के फैलाने में एक भारी कदम उठाया है और अब उत्तर प्रदेश के उन अस्पतालों में जहां आयुर्वेद के पंडित हैं उनको २०० से ४०० के ग्रेड में रखने का प्रबन्ध हुआ है। पिछले वर्ष २०० से ४००, पी० एम० एस० में कुछ जगहों को रखने की घोषणा की थी और ७५ जगहों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इस वर्ष भी ३० व्यक्तियों को अपग्रेड करेंगे। तो यह किस बात का द्योतक है? क्या इस बात का द्योतक नहीं है कि उत्तरोत्तर हम उस दिशा की ओर चलने की चेष्टा कर रहे हैं? अब यह कि ६२३ आयुर्वेद और यूनानी के जो अस्पताल कायम हैं और जो डाक्टर वहां पर काम करते हैं उन सबका वेतन २०० से ४०० कर दिया जाय तो उसके लिये हमें कितने करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी? उतने साधन हमारे पास हैं कहां?

डाक्टरों को अधिक पैसा देते हैं और आयुर्वेद के पंडित को उतना पैसा नहीं दे रहे हैं तो यह बात सही है। उसके कारण रहे हैं। उसका कारण लिखाई पढ़ाई तो रहा ही है। क्या समय व्यतीत होता है वह भी कारण रहा है और संस्थाओं का स्तर भी कारण रहा है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुर्वेद के जितने पंडित हैं उन्हें उतने समय के अन्दर ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है जितने समय के अन्दर एक एलोपैथ के पंडित को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। एलोपैथी का पंडित ५ वर्ष पढ़ता है। इंटरमीडियेट पास करके वह जाता है। वह व्यक्ति जाता है जो कंपिटीटिव एग्जामिनेशन में बैठता है और कंपिटीटिव एग्जामिनेशन में बैठ कर यदि उसके इतने अधिक नम्बर आते हैं तभी वह कालेज में प्रवेश पाता है। आयुर्वेद की संस्थाओं के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां—यह सही बात है, इसको हमें छिपाना नहीं है—पहले तो मैट्रिकुलेशन का भी प्रतिबन्ध नहीं था। कुछ तो संस्कृत के व्याकरणाचार्य इत्यादि आयुर्वेद के इम्तहान में बैठते थे। हां, कुछ अवश्य ऐसे थे जो मैट्रिकुलेशन के बाद बैठते थे। अब बनारस विश्वविद्यालय में कदाचित् इंटरमीडियेट के बाद विद्यार्थी इम्तहान में बैठते हैं।

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि होम्योपैथी के लिये भी कुछ कहें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लेकिन आज जो आयुर्वेद का प्रसार इस प्रदेश में हुआ है और हमने जो उसकी प्रगति के लिये काम किये हैं उनसे यह साबित होता है कि हम आयुर्वेद के प्रसार में जुटे हुये हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि आज जो आयुर्वेद के बड़े हामी हैं उनकी भी मनोवृत्ति इलाज के सम्बन्ध में बदली नहीं है। आज अगर उग्रसेन जी बीमार पड़ते हैं, या टम्बेश्वरी प्रसाद जी बीमार पड़ते हैं या गेंदासिंह जी बीमार पड़ते हैं तो डाक्टर शर्मा का ही इलाज करायेंगे। अगर इलाज कराने के बारे में उनकी मनोवृत्ति बदल जाय तो जो आज इतना बोझा बलरामपुर अस्पताल पर पड़ता है वह न पड़े। आयुर्वेद के प्रसार के लिये जो हम सबसे बड़ी संस्था कायम कर सकते थे वह कायम कर रखी है और मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि उनमें से कितने ऐसे हैं जो यदि इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो वहां जाते हैं? इसलिये हमें आज अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आयुर्वेद का प्रसार इस तरह नहीं होने वाला है कि हम यहां भाषण तो दे दें, लेकिन जब इलाज कराने की बात हो तो उससे कोई फायदा न उठाना चाहें। आज हम देहातों म आयुवदिक और एलोपैथिक, दोनों अस्पताल खोलते हैं, लेकिन जब मेरी माननीय सदस्यों से बातचीज होती है, चाहे पार्टी की मीटिंग में या बाहर, तो कोई भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं चाहता, सभी एलोपैथिक डिस्पेंसरी चाहते हैं। तो आज दुर्भाग्य यह है कि अभी हमारी मनोवृत्तियां उस तरफ की बन नहीं पायी हैं। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान अपने आदर्शों को जगह जगह फलाता जा रहा है। यह नहीं है कि आज यह सरकार आयुर्वेद के क्षेत्र को विस्तृत करने को उद्यत नहीं है। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि हमारे प्रदेश में ६२३ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हैं। पिछले वर्ष हमने १७ आयुर्वेदिक अस्पताल कायम किये थे और इस साल १२ कायम करने जा रहे हैं।

मैनेजर सिंह साहब ने फरमाया कि मेडिकल कालेजेज में शहर के विद्यार्थी लिये जाते हैं, देहात के नहीं लिये जाते और सिफारिश से लिये जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ह कि हमारे सदस्यों की जानकारी इतनी कम ह। मेडिकल कालेज में विद्यार्थी इम्तहान के जरिये से लिये जाते हैं। जो विद्यार्थी पास होते हैं उस कम्पिटीटिव इम्तहान में, वही लिये जाते हैं। उसमें देहात के व्यक्ति भी आते हैं।

यदि सम्भव हो, तो मैं समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना करूं।

श्री बैजनाथ सिंह---सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय और यदि आधा घंटा सम्भव न हो तो १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---५ बजे के पहले प्रस्ताव होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय, यानी पौने ६ बजे तक कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो भ्रान्ति माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में मडिकल कालेजों के दाखले के सम्बन्ध में है, उसको निकाल दिया जाय। यह भ्रान्ति कि शहर के ही लड़के लिये जाते हैं, सही नहीं है। आज तो इंटर कालेजेज और हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रदेश के गांव-गांव में फैल गये हैं, और जो विद्यार्थी उच्च श्रेणी में पास होते हैं कम्पिटीशन में बैठते हैं और जिनका उत्तम स्थान होता है वे दाखिल किये जाते हैं। हमारी बराबर कोशिश रही है कि देहात से आने वाले विद्यार्थियों को अधिक संख्या में सम्मिलित करें

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि इन कालेजों में कुछ रूरल एरियाज के विद्यार्थियों के लिये जगहें रिजर्व कर रखी हैं। उन स्थानों से विद्यार्थी आते हैं और सम्मिलित किये जाते हैं। लेकिन देखा यह गया है, और तजुर्बा बताता है, कि विद्यार्थी चाहे देहात का हो या शहर का हो, हर विद्यार्थी जब मेडिकल कालेज से पास होकर निकलता है तो शहर में ही बसने की कोशिश करता है या टाउन एरिया में ही बसना चाहता है और जिस ग्रामीण क्षेत्र से वह आता है वहां नहीं रहना चाहता है।

जो विद्यार्थी शहर में पैदा हुआ है उसके लिये तो यह कहा जा सकता है, लेकिन जो देहात में रहता है और अपने बच्चे को अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा निकाल कर इन विद्यालयों में भेजता है, वे विद्यार्थी भी शहर में ही बसना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि देहात के रहने वाले विद्यार्थी और शहर के रहने वाले विद्यार्थी यह मनोवृत्ति लेकर निकलते हैं कि वे या तो कस्बे में बसना चाहते हैं, या शहरों में बसना चाहते हैं और इसके कारण हैं लेकिन उन पर प्रकाश डालने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। परन्तु जिस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं यह चीज मिट जायगी। ज्यों-ज्यों सड़कें बनती जायंगी, ज्यों-ज्यों शिक्षा के साधन देहात में उपलब्ध होते जायेंगे और ज्यों-ज्यों यातायात और बिजली की सुविधा मिलती जायगी, हमें विश्वास है कि आज जो एक विद्यार्थी के ऊपर रिऐक्शन होता है, कदाचित् उसका रिऐक्शन बदलेगा और वह स्वतः देहात में जाने के लिये उद्यत होगा। इस बात की आवश्यकता को मेडिकल प्रोफेशन ही पूरी कर सकता है।

बहुत से स्थानों से जब मांग की गयी और कहा गया कि हमारे अस्पताल डाक्टरों से खाली हैं तो मैंने यह चैलेंज मेडिकल प्रोफेशन वालों को दिया है और उनका यह उत्तरदायित्व है कि इस कमी को पूरा करें, और आजकल डाक्टरों की संख्या बढ़ने लगी है। हमारे यहां चार मेडिकल कालेज बढ़ गये हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई है फिर भी हमारे २५०, ३०० अस्पताल बिना डाक्टर के रहें, तो यह मेडिकल प्रोफेशन के लिये चुनौती है। यह उनका कर्तव्य है कि वे ऐसी मनोवृत्ति उनमें पैदा करें जिससे वे देहात की सेवा करने के लिये उद्यत हों। आज ये तैयार नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं कमी अवश्य है जभी वे देहातों में काम करने की अपने अन्दर क्षमता पैदा नहीं करते हैं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि भले ही अभी हमने देहात के क्षेत्रों में वह आधुनिक विज्ञान की देन के सुभीते न दिये हों, लेकिन आज उन्हीं देहात के निवासियों की सेवा करने के लिये हमने हर रीजनल सेंटर पर, हर कमिश्नरी के सेंटर पर जो अस्पताल थे वहां वह सारी सुविधायें देने का प्रयत्न किया है। आपके छः सात बड़े-बड़े अस्पताल, जो कि कमिश्नर्स के हेडक्वार्टर्स पर बसे हुए हैं, उनमें आज सर्जरी का ऐक्सपर्ट मौजूद, है मेडीसिन का ऐक्सपर्ट मौजूद है, रेडिओलाजिस्ट मौजूद है, ब्लड बैंक का इन्तजाम है, डेंटल क्लिनिक बन गयी है, वहां टी० बी० के इलाज का प्रबन्ध है। तो यह सारे कार्य उस दिशा में हमने रचे हैं जिस दिशा में चलकर हम देहात के निवासियों को अधिक से अधिक सेवा कर सकें। आज से पहले अगर कोई देहात का रहने वाला किसी असाध्य रोग से बीमार होता था तो उसे आगरा, मेडिकल या कानपुर आना पड़ता था। लेकिन आज हमने प्रबन्ध कर दिया है कि झांसी में भी उसका इलाज हो सकता है, इलाहाबाद में भी उसका इलाज हो सकता है, मेरठ में भी उसका इलाज हो सकता है, गोरखपुर में भी उसका इलाज हो सकता है, बरेली में भी उसका इलाज हो सकता है। यह सारे सुभीते हमने रीजनल अस्पतालों में कर दिये हैं और उनको अपग्रेड करके आधुनिक सब साधन वहां उपलब्ध करने का प्रयत्न किया है। आज से चौदह पन्द्रह वर्ष पहले कहां यह डेंटल क्लिनिक्स थे? कहां यह टी० बी० क्लिनिक्स थे?

आज जो सब से बड़ा काम हम अपने प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये कर रहे हैं, वह काम है फैमिली प्लानिंग का, और उसके लिये जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स हैं, उन्हें हम बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी पंच वर्षीय योजना में १५० क्लिनिक्स देहातों में और २५ शहरों में हमने कायम किये। पिछले साल १४५ देहात में और २५ शहरों में हमने और

कायम करने का प्रयत्न किया और योजना के दूसरे वर्ष में और कायम करने जा रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या अपने प्रदेश की है उसके बढ़ने में रुकावट डालें क्योंकि रोग भी तो इसी कारण बढ़ता है कि हमारी संख्या बढ़ती जाती है। उतनी मात्रा में उस बढ़ती हुई संख्या की उदर पूर्ति के लिये उपाय हम नहीं कर पाते। जितनी मात्रा में पैदावार बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं उससे दूनी और डयोढ़ी जन-संख्या बढ़ती है। तो हम इस बीमारी से तभी लड़ सकते हैं जब हम देहात के निवासियों को वह प्रकाश दें, वह ज्ञान दें, जिससे कि वह अपने जीवन पर स्वयं ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकें कि अधिक संख्या में हमारे पापुलेशन की वृद्धि न हो पाये। वह कार्य भी हम आज आधुनिक विज्ञान की देनों के द्वारा ही पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं।

मैंने जैसा पहले कहा कि अधिक संख्या में ब्लड बैंक्स आज उपलब्ध कर दिये गये हैं जो कि पहले उपलब्ध नहीं थे। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिनमें कि एक दूसरे व्यक्ति के ब्लड की मदद से किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सके। आज से दस बारह वर्ष पहले तक हम ब्लड बैंक का नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन आज दस बारह जगहों में, अलावा मेडिकल कालेजों के, ब्लड बैंक का प्रबन्ध है। वह इसीलिये तो है कि गांवों के निवासी यदि किसी असाध्य रोग से ग्रसित हों और वह अपना इलाज उस जगह पर न करा पायें तो वह उस स्थान पर आयें और उनके जीवन की रक्षा की जा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तरोत्तर हम वह कार्य कर रहे हैं और उन सुभीतों को अपने बीच में लाने की चेष्टा कर रहे हैं जिनसे कि प्रदेश के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। माना कि अभी कमियां और खामियां हैं, लेकिन हम बराबर उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

देहात के रहने वालों के बीच में होम्योपैथी के इलाज का भी प्रसार हमने किया है। आज ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी में विश्वास करते हैं, यद्यपि हमारी इस नीति का विरोध डाक्टरगण करते हैं और वह इस पद्धति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन देहात में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं उनको हम सहायता दे रहे हैं और अनुदान दे रहे हैं। जो अनुदान इस पुस्तिका में लिखे हुए हैं उनसे विदित होगा कि उस धनराशि को हमने जगह-जगह बढ़ाया है। यहां, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, एक होम्योपैथिक कालेज की स्थापना हमने कर दी है जो आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कर दिया गया है। वहां होम्योपैथी की शिक्षा ग्रेजुएट कक्षा तक दी जाती है और डिप्लोमा की उपाधि भी दी जाती है। तो उस संस्था से जो डाक्टर निकलने वाले हैं वे देहाती क्षेत्रों में जायंगे और अन्य क्षेत्रों में जायंगे और उन क्षेत्रों में जाकर होम्योपैथी का प्रचार करेंगे और उसके द्वारा जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो बीमारी से दुखी हैं उनकी वह सहायता करेंगे।

मैं और अधिक सदन का समय न लेता हुआ माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तरोत्तर हम इस बात की कोशिश करेंगे कि बीमारी हमारे बीच से घट और बीमारी को घटाने के लिये तो सब से बड़ा कार्य तब होगा जब हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी और प्रदेश के लोगों का स्तर ऊंचा होगा। पैदावार बढ़ाने के लिये और लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिये जरूरी है कि लोगों के बीच में बीमारी पैदा न होने दें। उसके लिये ही आज प्रदेश की योजना है और हम उसी दिशा में चल रहे ह। भल ही कहीं चलते-चलते भूल हो जाय, कहीं गलती हो जाय, कहीं रुकावट हो जाय, लेकिन बराबर हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस प्रदेश के व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करें जिससे उनके बीच से दुख और दरिद्रता की कहानी मिटे और लोगों को रोक सकें। उसी दिशा में यह बजट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह एक कदम है। यह नहीं कि यह आखिरी कदम है या इस कदम से हमने सारी समस्या सुलझा दी, किन्तु यह हमारा एक प्रगति की ओर माइलस्टोन है। उत्तरोत्तर आने वाले वर्षों में इस प्रकार से हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे तभी वह दिन हम अपने बीच में ला सकेंगे जब कि कोई रोग हमारे बीच में नहीं रहेगा और साथ ही नये-नये विज्ञान के अनुसंधान की मदद से रोगों को अपने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बीच से इस तरह से हम दूर कर सकेंगे कि फिर वे हमारे बीच में उत्पन्न न हो सकें। आज विज्ञान का युग है। आज का युग ऐसा नहीं है कि अस्पताल में जाकर रोग का इलाज हो। आज तो वह विज्ञान का युग है कि जब घर पर जाकर बीमारी का इलाज करें चाहे वह टी० बी० की बीमारी हो या और बीमारी हो। तो उसी दिशा में आज हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। हम आशा करते हैं कि देहातों में जनता के सहयोग से जब उत्तरोत्तर हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी तभी हम बीमारी दूर कर सकेंगे। इस तरह से स्वास्थ्य की रक्षा में हम प्रगति का एक माइलस्टोन रखेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो अनुदान सदन की स्वीकृति के लिये पेश किया गया है उसको सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९---के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९---चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४,५.१,२३,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २० के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०---जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४,३६,०८,६०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ मई, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

घटना का संक्षिप्त विवरण

श्री भगवानदास निवासी मौजा टिकरिया, थाना राठ, जिला हमीरपुर ने दिनांक २५-४-६२ को समय ६-१५ शाम को एक लिखित रिपोर्ट थाना राठ में की, कि उसके चचा श्री हिन्दूपति जो अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य थे, को रामनाथ लोधी, मौजा टिकरिया, के इशारे पर दो अपरिचित व्यक्तियों ने दिनांक २५-४-६२ को लगभग साढ़े चार बजे दिन में राठ-टिकरिया मार्ग पर गोलियों से मार डाला। श्री भगवान दास ने अपने साथ में अलावा मृतक के सर्वश्री दया राम व सुन्दरलाल लोधी का होना भी बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना राठ में एक मुकदमा अपराध संख्या ६४ धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दिनांक २५-४-६२ को सायंकाल ६-१५ पर रजिस्टर किया गया। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर फौरन पहुंची और श्री हिन्दूपति की लाश का पंचायत नामा लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिये राठ भेज दिया गया जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ। मृत्यु का कारण अग्नेय शस्त्र से होना पाया गया।

घटनास्थल का निरीक्षण उप पुलिस अधीक्षक और केस की जांच सर्किल इन्स्पेक्टर द्वारा की गई। अपराधी रामनाथ इस घटना के बाद फरार रहा और दिनांक २-५-६२ को ए० डी० एम० (जे०) हमीरपुर की अदालत में हाजिर हुआ, जहां से उसे हमीरपुर जेल भेज दिया गया। जांच से अपराधी रामनाथ का जुर्म में शामिल होना पाया गया अतः उसके विरुद्ध दिनांक ८-५-६२ को द्वारा अभियोग पत्र चालान अदालत किया गया। शेष दो अपरिचित अभियुक्तों की तलाश जारी है। चूंकि इन दोनों अभियुक्तों की केवल हुलिया ही रिपोर्ट में लिखाई गई तथा बाद की जांच से भी उनके नाम का पता नहीं लग पाया, इस कारण इन दोनों व्यक्तियों के पता लगाने में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है, परन्तु पुलिस इस दिशा में पूर्णतया प्रयत्न-शील है।

जांच से घटना इस प्रकार पाई गई कि श्री हिन्दूपति लोधी दिनांक २५-४-६२ को अपने गांव टिकरिया से श्री दयाराम लोधी के साथ सर्वश्री भगवान दास तथा सुन्दरलाल को अल्प बचत योजना का रुपया दिलवाने राठ गये थे। राठ में उन्होंने सर्वश्री भगवानदास व सुन्दर लाल को रुपया दिलवाया और फिर वह अपरान्ह में राठ से सर्वश्री दयाराम, भगवानदास व सुन्दरलाल के साथ अपने गांव टिकरिया वापस जा रहे थे। श्री हिन्दूपति व उनके साथी पैदल वापस जा रहे थे। अपराधी जो अपरिचित थे साइकिल पर श्री हिन्दूपति का पीछा राठ की तरफ से कर रहे थे और धन्नी के डेरे के पास एक बन्जर भूमि में दोनों ने तीन फायर श्री हिन्दू-पति पर किये जिससे वह वहीं गिर गये और मर गये। तदुपरान्त दोनों अपरिचित व्यक्ति व रामनाथ, जिसके बारे में गवाहों ने बताया कि पास की झाड़ियों में छिपा था व इशारा कर रहा था, साथ-साथ राठ की तरफ बम्बे के रास्ते से चले गये।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१२ पर]

फिल्म में काम करने वाले पात्रों के नामों की तालिका

(१) श्री प्रकाश चन्द्र शल्य (शील कुमार) .. हीरो

(२) श्रीमती जयश्री मुकर्जी .. .. हीरोइन

(३) श्री के० के० सिंह .. .. .. सहायक हीरो

(४) श्री मुन्नीलाल .. .. .. एक्सट्रा

(५) श्री अरुण कुमार .. .. .. एक्सट्रा

(६) श्री रामहेतु .. .. .. एक्सट्रा

(७) श्री राम लखन .. .. .. एक्सट्रा

इनके अतिरिक्त कुछ और एक्सट्रा पात्रों ने भी काम किया है, जिनके नाम इस तालिका में इसलिये नहीं दिये गये क्योंकि वे फिल्म शूटिंग के स्थल पर सम्मिलित कर लिये गये और उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

मत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

प्रतियोगिता का आधार व स्वरूप

इस समय तक सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा स्वायत्त शासन विभागों में असिस्टेंट इंजीनियरों की प्रारम्भ में भर्ती केवल अस्थायी कैडर ही में की जाती रही है । यह अनुभव किया गया कि उच्च श्रेणी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सेंट्रल पी० डब्लू० डी०, रेलवे आदि में स्थायी जगहों के लिये जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं, उसमें बैठना पसन्द करते हैं । विश्वविद्यालय से उच्च श्रेणी में डिग्री प्राप्त किये हुये नवयुवक इस प्रदेश की अस्थायी इंजीनियरिंग सेवाओं में आना पसन्द नहीं करते और यदि वे यहां की सेवाओं में आ भी जाते हैं तो बाद में दूसरी सेवाओं की प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास कर के यहां की नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं । अतएव इस बात की आवश्यकता प्रतीत की गई कि इस प्रदेश की इंजीनियरिंग सेवाओं में भी असिस्टेंट इंजीनियरों के स्थायी पदों के लिये सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा की जाय तथा मेरिट में जो अभ्यर्थी नीचे हों उनको अस्थायी पदों के लिये चुन लिया जाय ।

प्रत्येक विभाग में प्रति वर्ष असिस्टेंट इंजीनियरों के स्थायी क्रैडर में कुल रिक्त स्थानों की निम्न प्रकार से बटवारा कर के भरा जायगा :—

(क) ५० प्रतिशत प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से ।

(ख) २० प्रतिशत सबार्डिनेट सर्विस से पदोन्नति द्वारा (सार्वजनिक निर्माण विभाग में २५ प्रतिशत) ।

(ग) ३० प्रतिशत विभाग में काम कर रहे अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियरों में से, जो लोक सेवा आयोग द्वारा अस्थायी जगहों पर भर्ती किये गये हैं, चुनाव द्वारा (सार्वजनिक निर्माण विभाग में २५ प्रतिशत) ।

जो असिस्टेंट इंजीनियर लोक सेवा आयोगके परामर्श से अस्थायी पदों पर भर्ती किये गये थे और अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं उनको कुछ सुविधा देने के लिये कुछ समय तक असिस्टेंट इंजीनियरों के स्थायी रिक्त स्थानों का बटवारा निम्न प्रकार से किया जायगा :

(क) ३० प्रतिशत प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से (सार्वजनिक निर्माण विभाग में २५ प्रतिशत) ।

(ख) २० प्रतिशत सबार्डिनेट सर्विस से पदोन्नति द्वारा (सार्वजनिक निर्माण विभाग में २५ प्रतिशत) ।

(ग) ५० प्रतिशत विभाग में इस समय काम कर रहे अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियरों में से, जो लोक सेवा आयोग द्वारा अस्थायी जगहों पर भर्ती किये गये हैं, चुनाव द्वारा ।

सफलता प्राप्त अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सीधे स्थायी रिक्त स्थानों पर परीक्षण पर नियुक्त किया जायगा और उनसे नीचे के अभ्यर्थियों को अस्थायी जगहों पर नियुक्त किया जायगा । प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के लिये १ वर्ष का क्रियात्मक अनुभव आवश्यक नहीं है, अतः विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किये हुये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी सीधे प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठ सकते हैं । विभागों में कार्य कर रहे असिस्टेंट इंजीनियरों को, जो निर्धारित योग्यता के अन्दर आते होंगे तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षा में स्थायी जगहों के लिये बैठना चाहेंगे उनके मामले में अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष होगी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

जिला जालौन में १–१–६२ से ३१–३–६२ तक पड़ी डकैतियों की संख्या तथा उनमें हुई जान-माल की हानि का थानेवार विवरण

क्रम-संख्या	नाम थाना	डकैतियों की संख्या	जन-हानि	धन हानि
१—	कुठौन्द	१	शून्य	२५,७४१ रु०
२—	रामपुरा	३	,,	११,०१७.२५
३—	जालौन	१	,,	४४५ रु०
४—	कोंच	१	,,	४,५०० रु०
५—	एट	१	एक व्यक्ति	२,८२४ रु०
६—	कदौरा	१	शून्य	१,२७२ रु०
७—	चुर्खी	१	,,	६९३ रु०

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

जिला जालौन में इस समय भिन्ड और इटावा से मिले हुए क्षेत्र में डाकू विरोधी अभियान के लिये निम्नलिखित प्रांतीय सशस्त्र पुलिस की चौकियां अस्थायी रूप से कार्य कर रही हैं। इन चौकियों में एक पूरी कम्पनी तैनात है :—

थाना रामपुरा—	
१—ग्राम विलोड़	डेढ़ सेक्शन मय प्लाटून कमान्डर।
२—ग्राम अन्देलन की मड़इया	डेढ़ सेक्शन।
३—ग्राम जगम्मनपुर	डेढ़ सेक्शन मय प्लाटून कमान्डर।
थाना रेढर—	
१—ग्राम महोई	डेढ़ सेक्शन मय कम्पनी कमान्डर।
२—ग्राम अर्जनपुरा	डेढ़ सेक्शन मय प्लाटून कमान्डर।
थाना कुठौन्द—	
१—ग्राम पतराही	डेढ़ सेक्शन।

———

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

१९६२-६३ की राज्य योजना

(लाख रुपये में)

विकास के मद	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित १९६२-६३	नियोजन आयोग द्वारा स्वीकृत १९६२-६३
१—कृषि कार्यक्रम	१,५०१.५१	१,५६०.६९
२—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास ..	१,२२६.९६	१,१७१.८०
३—सिंचाई एवं विद्युत्	२,९०७.६२	२,७५७.६२
३—उद्योग एवं खनिज पदार्थ	३२५.६३	३११.४४
५—परिवहन एवं यातायात	५०५.६२	४०४.७०
६—समाज सेवायें	२,०४७.६०	१,८४३.३४
७—विविध	५४८.३४	४५१.९६
योग ..	९,०६३.२८	८,५००.८५

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

सिधौली तहसील, जिला सीतापुर में १९५९, १९६० व १९६१ में लघु उद्योग धन्धों हेतु ऋण व अनुदान पाने वालों की सूची।

१९५९—ऋण—

१—मेसर्स तेल घानी गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, सिधौली, सीतापुर ।

२—मेसर्स तेल घानी गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, पतारा कलां, सीतापुर ।

१९५९—अनुदान—

३—मेसर्स तेल घानी गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, सिधौली, सीतापुर ।

४—मेसर्स तेल घानी उद्योग सहकारी समिति लि०, पतारा कलां, सीतापुर ।

५—श्री गुरप्रसाद, बेलदारी टोला, महमूदाबाद, सीतापुर ।

१९६०—ऋण—

१—मेसर्स `ेल घानी गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, शेरापुर, सीतापुर ।

२—श्री मोहम्मद हादी, महमूदाबाद, सीतापुर ।

३—श्री राम चरन, अलादादपुर, सिधौली, सीतापुर ।

४—श्री कुबेर प्रसाद, कटरा, महमूदाबाद, सीतापुर ।

५—श्री नूर मोहम्मद, कटरा, महमूदाबाद, सीतापुर ।

६—श्री अब्दुल लतीफ, रामपुर मथुरा, सीतापुर ।

७—श्री गया प्रसाद, रामपुर मथुरा, सीतापुर ।

८—श्री नबी अहमद, कटरा, महमूदाबाद, सीतापुर ।

९—श्री शगीर अहमद, कटरा, महमूदबाद, सीतापुर ।

१०—श्री शाहिद अली, महमूदाबाद, सीतापुर ।

११—श्री अब्दुल समद, महमूदाबाद, सीतापुर ।

१२—श्री मुहम्मद बशीर, महमूदाबाद, सीतापुर ।

१९६०—अनुदान—

१३—मेसर्स तेल घानी गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, शेरापुर, सीतापुर ।

१४—श्री देवी दयाल, ग्राम मुजफ्फरपुर, सिधौली, सीतापुर ।

१५—श्री कृष्णपाल सिंह, नवागांव, गंगागंज, सीतापुर ।

१६—श्री मुहम्मद इदरीस बारी, सिधौली, सीतापुर ।

१७—श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्राम देवीपुर, सिधौली, सीतापुर ।

१८—श्री सूर्य प्रसाद, सिधौली, सीतापुर ।

१९—श्री छंगालाल, तिरई कलां, सिधौली, सीतापुर ।

२०—श्री माधो राम, गोपालपुर, सिधौली, सीतापुर ।

२१—श्री शिव शंकर, देवीपुर, सिधौली, सीतापुर ।
२२—श्री राम सहाय, गोपालपुर, सिधौली, सीतापुर ।
२३—श्री गौरीशंकर, ग्राम खेरवा हेमलेट आफ खस्वालिय, सिधौली, सीतापुर ।
२४—श्री गया प्रसाद, रामपुर मथुरा, सीतापुर ।

१९६१—ऋण—

१—श्री वहीदुल हसन, सिधौली, सीतापुर ।
२—श्री नजीर अहमद, फतेहपुर, सीतापुर ।
३—श्री कढ़िले, ग्राम मातनपुर, डाकखाना मिरकल्लापुर, सीतापुर ।
४—श्री मुन्ने, खुदागंज, महमूदाबाद, सीतापुर ।
५—श्री शिव बालक, कटरा बाजार, सीतापुर ।
६—श्री कुंवर महेन्द्र सिंह, नसीराबाद, सिधौली, सीतापुर ।
७—श्री ब्रह्मादीन, महमूदाबाद, सीतापुर ।
८—श्री रामलाल गुप्ता, कटरा बाजार, सीतापुर ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर)

शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० शाहजहांपुर की दरें

क्रम-संख्या	प्रयोजन	दर प्रति यूनिट	छूट प्रति यूनिट
		रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	रोशनी तथा पंखे मिनिमम चार्ज ..	४६ न० पै०	६ न० पै०
	१ के० डब्लू० (K. W.) तक ..	२ रु० प्रति मास	
	एक से अधिक और		
	२ के० डब्लू० (K. W.) तक ..	४ रु० प्रति मास	
	२ के० डब्लू० (K. W.) से अधिक पर	५ रु० प्रति मास	
२	डोमोस्टिक पावर तथा बैटरी चार्जिंग (१ एच० पी० से कम ।) ..	२५ न० पै०	३ न० पै०
	मिनिमम चार्ज		
	१ के० डब्लू० (K. W.) तक	२ रु० प्रति मास	
	एक से अधिक और		
	२ के० डब्लू० (K. W.) तक ..	४ रु० प्रति मास	
	२ के० डब्लू० से अधिक पर ..	५ रु० प्रति मास	
३	इंडस्ट्रियल पावर कृषि तथा सिनेमा के लिये		
	(क) १ एच० पी० मोटर तथा उससे अधिक के लिये :		
	फ्लैट रेट		
	(१) प्रतिबंधित घंटों के लिये		
	प्रथम १०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० (B. H. P.) प्रति मास ..	२२ न० पै०	१ न० पै०
	अगले १०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० (B. H. P.) प्रति मास ..	२० न० पै०	१ न० पै०
	पहले २०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० (B. H. P.) प्रति मास से अधिक पर	१५ न० पै०	१ न० पै०
	(२) २४ घंटों की सप्लाई के लिये		
	उपर्युक्त दरों से ३ न० पै० प्रति यूनिट अधिक लिया जायगा ।		

मिनिमम चार्ज

कम से कम ३६० यूनिट प्रति बी० एच० पी० (B. H .P') अधिस्थापित भार प्रति वर्ष या उसके भाग के उपर्युक्त दरों के आधार पर लिया जायगा चाहे उतनी बिजली का प्रयोग हुआ हो या नहीं ।

टू पार्ट टेरिफ

फिक्सड चार्ज

प्रतिबंधित घंटों के लिये

दर–५ ० प्रति बी० एच० पी० (B. H. P.) अधिस्थापित भार प्रति मास अथवा उसके किसी के भाग का ।

२४ घंटों की सप्लाई के लिये

दर–७ ० ५० न० पै० प्रति बी० एच० पी० (B. H. P.) अधिस्थापित भार प्रति मास अथवा उसके किसी भाग का । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दरों के हिसाब से प्रति यूनिट का चार्ज लिया जायगा ।

प्रतिबन्धित घंटों के लिये

प्रथम ४० यूनिट प्रति	१७ न० पै०	१ न० पै०
बी० एच० पी०, प्रति मास अथवा उसके किसी भाग का ।		
४० यूनिट से ऊपर	१३ न० पै०	१ न० पै०

२४ घंटों के लिये

उपर्युक्त दरों से ३ न० ै० प्रति यूनिट अधिक लिया जायेगा ।

मिनिमम चार्ज

प्रति वर्ष, अथवा उसके किसी भाग में प्रति बी० एच० पी० फिक्स्ड चार्ज के बराबर मिनिमम चार्ज देना होगा, चाहे उतनी बिजली खर्च हुई हो या न हुई हो ।

(ख) सिनेमा की मशीन तथा उसमें रोशनी व पंखे के लिये ।

सिनेमा के प्रोजेक्टर के निमित्त प्रति मास या उसके किसी भाग के लिये १० रु० प्रति किलोवाट (K. W.) फिक्स्ड चार्ज लिया जायगा और साथ ही थियेटर में रोशनी पंखों तथा सभी प्रयोजनों के निमित्त खर्च की गई सभी यूनिटों के लिये २३ न० पै० प्रति यूनिट लिया जायगा ।

मिनिमम चार्ज

१० रु० प्रति के० डब्लू० (K. W.) अधिस्थापित भार प्रति मास, चाहे उतनी बिजली खर्च हो या नहीं ।

(ग) कृषि तथा सिंचाई

प्रतिबन्धित घंटों के लिये सिंचाई १८ न० ै० प्रति यूनिट ।

मिनिमम चार्ज

कम से कम ३६० यूनिट प्रति बी० एच० पी० अधिस्थापित भार प्रति वर्ष या उसके किसी भाग के उपर्युक्त दरों के आधार पर लिया जायगा चाहे उतनी बिजली का प्रयोग हुआ हो या नहीं ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६६५ पर)

(अनुदान संख्या १९—चिकित्सा)

(लेखा शीर्षक : २९—चिकित्सा)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री शिवबान सिंह	मद (क) चिकित्सा संबंधी अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—देहाती अस्पतालों के साथ सरकार के सौतेले रवैया की नीति की आलोचना करना।
२	श्री रघुबीर राम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना और सुझाव देना।
३	श्री चन्द्रबली, श्री किसुना, तथा श्री लक्खी सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—यूनानी एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर ध्यान दिलाना।
४	श्री शिवबान सिंह	मद (क) चिकित्सा संबंधी अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—मौजा गोरई, जिला अलीगढ़ में अस्पताल के खोले जाने की मांग सरकार के सामने रखना।
५	श्री शिवबान सिंह	मद (क) चिकित्सा संबंधी अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाये। कमी करने का उद्देश्य—डफरिन अस्पताल, अलीगढ़ में जनरल वार्ड की इमारत बढ़ाये जाने की आवश्यकता की मांग रखना।
६	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय सुविधा को जन-साधारण तक पहुंचाने की मांग करना।
८	श्री कोतवला सिंह भदौरिया	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के अन्तर्गत छिबरामऊ डिस्पेन्सरी का प्रांतीयकरण करने के लिये जनता तथा परिषद् के प्रार्थना-पत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जनाना अस्पताल, छिबरामऊ को शीघ्र ही चालू किया जाय, विशुनगढ़ तथा सौरिख में सरकारी इमारत शीघ्र बनाई जाय, हाथिन में एक राजकीय औषधालय खोला जाय; ताल ग्राम में सरकारी अस्पताल खोला जाय।

अनुदान संख्या २०—जन स्वास्थ्य

(लेखा शीर्षक : ३०—जन-स्वास्थ्य)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—जन-स्वास्थ्य विभाग में अधिक धन देने की मांग करना तथा इसे सर्वजन सुलभ बनाने का सुझाव देना।
२	श्री रघुवीर राम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना तथा सुझाव देना।
३	श्री मैनेजर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
६	श्री जे० पी० मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) अधिक धन की मांग करना। (२) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
५	श्री होरी लाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—प्रांत के पिछड़े क्षेत्रों में अस्पतालों तथा डाक्टरों के अभाव, मेडिकल कालेजों में ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने तथा सफलता प्राप्त करने में सरकार द्वारा शिक्षण की उचित व्यवस्था का न होना।
६	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री नवरंग सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री चैतन्यराज सिंह, तथा श्री राम अधार कन्नौजिया।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७८ एल०ए०—१९६२—८४७।